खण्ड-297, अंक-2
सोमवार, 4 वैशाख, शक संवत् 1894
(24 अप्रैल, 1972 ई0)

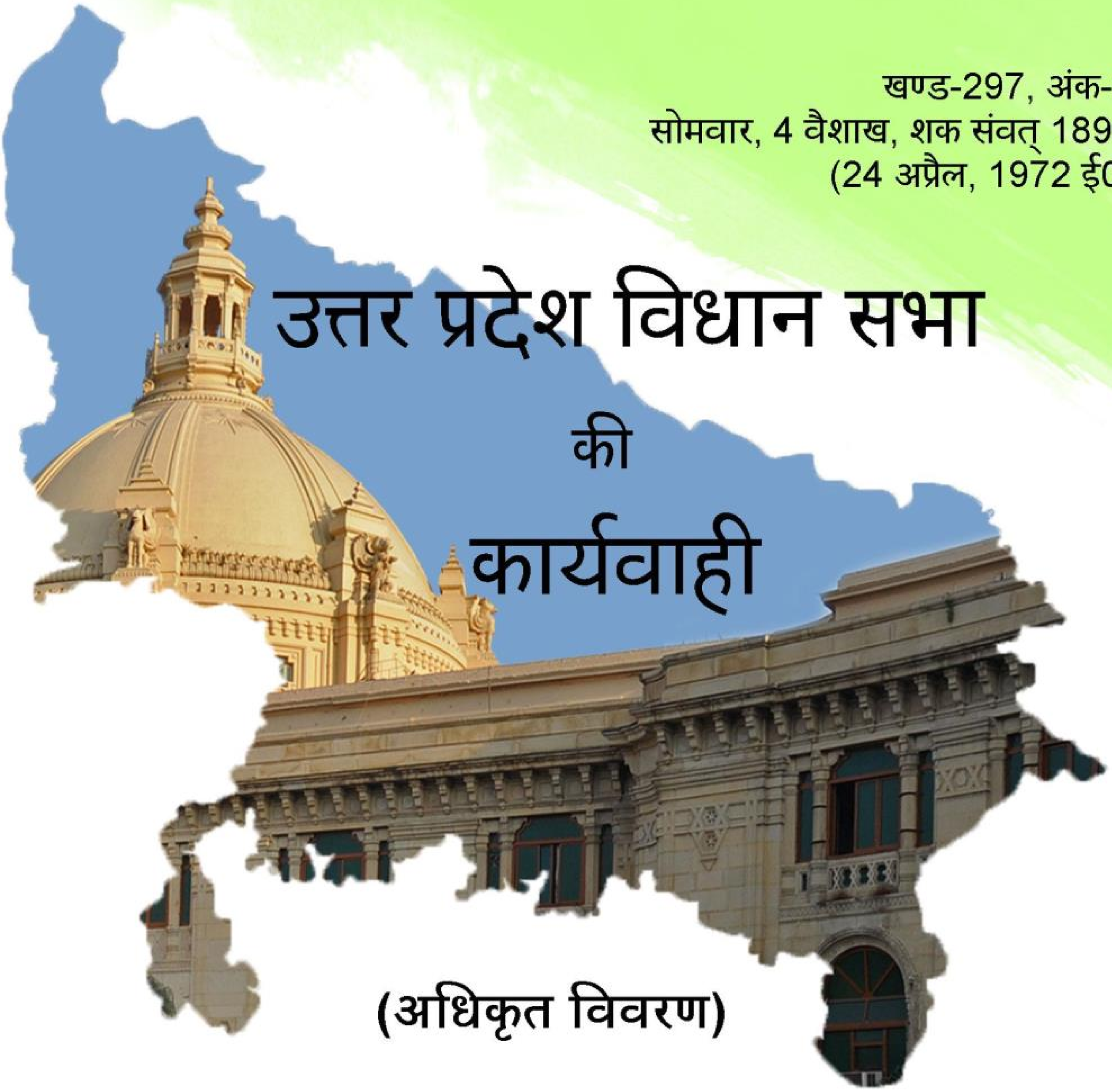

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 297 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार २४ अप्रैल, १९७२

विधान सभा की बैठक, सभा मन्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, उपाध्यक्ष श्री वासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

## उपस्थित सदस्य—३५२

अजबसिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ दुबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदयप्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त वाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए०सी० ग्राइस, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्याण सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बलराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल सरदार, श्री
चर्तुभुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रप्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह जूदेव, श्री

चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, राजा
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी०पी० वोरा, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह, 'कृष्ण' श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोन्डा )
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन , श्री
दुलारे लाल , श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह कुंवर,
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्म वीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव,श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री

भारत सिंह चौहान, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महाबीर सिंह चौहान, (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
राम चरण सिंह, (जिला आगरा)
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपालसिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ल, श्री
राम प्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिलाआजमगढ़,फूलपुर)
राम विलास पाण्डेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पाण्डेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दुबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री

राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
लोकपति, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजय पाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिंडारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरज लाल, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज , श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री

हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह, बिष्ट श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट :—श्री बलदेव सिंह आर्य पंचायत राज मंत्री भी उपस्थित थे ।

---

# प्रश्नोत्तर

---

## सोमवार, २४ अप्रैल, १९७२

---

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

**१—श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश में बेरोजगारी को दूर करने के क्रैश प्रोग्राम द्वारा जिन सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है वह तकनीकी दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है और ऐसी सड़कें निर्माण होने के पश्चात शीघ्र ही टूट फूट जायगीं ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों का परामर्श लेने पर ध्यान देगी ?

सामुदयिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने के क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत तीन प्रकार की सड़कों का निर्माण हो रहा है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग तारकोल लगाकर जो पक्की सड़कें बना रहे हैं उनकी लागत ६५,४०० रू० प्रति कि० मी० है । ये आगणन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वयं बनाये गये हैं । जहां सड़कें जिला परिषदें बना रही हैं वहां ५०,००० रु० प्रति कि० मी० की लागत रखी गई है । जिला परिषद् के आगणन भारत सरकार द्वारा बिहार प्रदेश के जो आगणन प्राप्त हुये थे उन्हीं पर आधारित है । भारत सरकार ने देहाती क्षेत्रों में सड़कों की विशिष्टियां (स्पेसिफिकेशन) निर्धारित करने के लिये एक कमेटी बैठाई थी जो सिन्हा कमेटी के नाम से प्रसिद्ध है । इस कमेटी की रिपोर्ट १९६८ में प्राप्त हुई थी और उन्होंने जो विशिष्टियां उचित मानी हैं उन्हीं को बिहार प्रदेश में और इस प्रदेश के जिला परिषदों में लागू किया जा रहा है । सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कें सिन्हा कमेटी की विशिष्टियों से भी अधिक अच्छी बनाई गई है। तीसरी श्रेणी की जो सड़कें क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत बनाई जा रही है और जितनी सतह कंकड़ की है, उनकी भी विशिष्टियां सिन्हा कमेटी द्वारा अनुमोदित विशिष्टयों पर ही आधारित है । कंकड़ सड़क की लागत ३५,००० से ४३,००० रु० प्रति कि० मी० तक आ रही है । लागत भिन्नता कंकड़ उपलब्धि के स्थानों की दूरी के कारण है यह नहीं कहा जा सकता है कि तकनीकी दृष्टि से क्रैश प्रोग्राम की सड़कें त्रुटिपूर्ण हैं ।

### ग्राम शिवपुर दिवरा, जिला बलिया में अग्निकांड

**२—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक २ अप्रैल, १९७२ को बलिया जिले के गांव शिवपुर दिवरा में भयानक आग लगी जिसमें समस्त गांव जल कर भस्म हो गया और १३१ परिवार आज भी बेघरबार हो गये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

जी हां। इस अग्निकांड में ११७ परिवारों के झोपड़े एवं घरेलू सामान जल गये। शासन की ओर से पीड़ितों की सहायता के लिये तत्काल कार्यवाही की गई। दी गई सहायता का विवरण इस प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| १—अहेतुक सहायता | २८,००० रुपये |
| २—गृह निर्माण अनुदान | ११,३०० रुपये |

उक्त सहायता के अतिरिक्त समाज से संस्थाओं की ओर से ३१—३० क्विंटल गेहूं, १० बोरा आटा, ५१० धोती/साड़ी, ८ लुंगी, २ टिन बिस्कुट ५०, ५० लोटा थाली पीड़ितों को वितरित किया गया।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

उपाध्यक्ष, इसमें यह २८ हजार अहेतुक सहायता है कि २,८०० है।

श्री उपाध्यक्ष—

जीरो काट दिया है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

२८ हजार तो काफी होगी लेकिन अगर २,८०० है तो वह कुछ नहीं है।

श्री उदित नारायण शर्मा—

वह पढ़ने में गलत हो गया। वह २,८०० ही है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि ११७ मकान जलकर स्वाहा हो गये। क्या २,८०० की सहायता काफी है उनके लिये ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इसमें २५ रु० प्रति परिवार की सहायता उन्हें पहले दी जा चुकी थी और १०० रु० प्रति परिवार, उसके बाद दी गयी।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ११७ मकान जलकर खाक हो गये, उनमें क्या सरकार ने पता लगाया है कि कितने की क्षति हुई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

१,५६,३०० रु० की यह क्षति हुई।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्षति के अनुसार जो सहायता दी गयी है, वह बहुत कम है। तो क्या मंत्री जी इसको बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

क्षति के अनुसार सहायता दना मुमकिन नहीं हो पाता है। लेकिन उसमें खाने और पहनने की सामग्री अलहदा से दी गयी है। मकान बनाने की भी सहायता देंगे। यह सहायता इसलिये दी गयी कि आपत्ति का उनका समय टल जाय।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित। आपने उसमें बताया है कि घरेलू सामान की क्षति हुई है। तो क्या उसमें मवेसियों के चारे और भूसे की भी क्षति हुई है कि नहीं, जब सारा गांव जलकर स्वाहा हो गया ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इसके अलग से आंकड़े तो नही हैं लेकिन जरूर हुई होगी।

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि देहातों में जो हरिजनों के घर होते हैं, वे छप्पर के होते हैं। जब वहां आग लग जाती है तो वे नष्ट हो जाते हैं। तो क्या हरिजनों के घर बनाने की कोई योजना है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, यह संयोग की बात है कि आग लगी। कोई जरूरी नहीं है कि फिर आग लगे। इस प्रकार का परमानेंट कोई इंतजाम करना सम्भव नहीं ?

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

जिन लोगों के मकान जलकर भस्म हो गये, तो उनके जो किसी भी प्रकार के सरकारी डिपूज हैं क्या उनको पोस्टपोन करने के आदेश माननीय मंत्री जी करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

यह हो सकता है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)

जब लोगों के सब घर जल गये हैं तथा वे असमर्थ हैं तो क्या सरकार कम से कम २००–२५० रु० उन लोगों को मुफ्त नहीं दे सकती है ? यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो क्या सरकार उनको मकान बनवाने के लिए ऋण की व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

बिल्कुल तैयार है।

श्री रामबिलास पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

११७ परिवारों को सरकार ने १२०–१२५ रु० प्रति परिवार के हिसाब से कुल २,८०० रु० की सहायता दी है। क्या १२५ रु० प्रति परिवार के हिसाब से इतनी धन-राशि आती है ? कृपया इसको स्पष्ट करें।

श्री उदित नारायण शर्मा—

जो धनराशि पहले बांटी गई थी वह तो केवल अहेतुक सहायता के रूप में दी गयी थी।

## तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

## विद्युत अनुरक्षा एवं ग्राम विद्युतीकरण मन्डल अलीगढ़ में ट्रान्सफारमर्स तथा तांबे की चोरी

*१—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विद्युत अनुरक्षा एवं ग्राम्य विद्युतीकरण मंडल (गंगा सर्किल), अलीगढ़ में किस-किस खण्ड में 1 जनवरी, १९६९ से दिनांक ३१ दिसम्बर, १९७१ तक की अवधि में कितने-कितने मूल्य के ट्रान्सफारमर्स तथा तांबे के तारों की चोरी हुई और उसके लिये कौन-कौन अधिकारी अथवा कर्मचारी उत्तरदायी हैं तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

सूचना संलग्न है। चोरी के लिये कोई भी अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं ठहराया गया।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १८४ पर)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

कुल कितने रुपये की चोरी हुई ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह सब तो उत्तर म लिखा हुआ है ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

उस केस से संबंधित जो अधिकारी थे वे थे श्री के० एन० श्रीवास्तव, एस० ई० । क्या उस अधिकारी की तरक्की कर दी गई है, और वह भी चोरी के बाद ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

वे सीनियर थे और प्रोन्नति के लिए हकदार थे। चोरी के मामले में उनका कोई उत्तर-दायित्व नहीं ठहराया गया।

श्री कल्याण सिंह—

मेरी सूचना तो यह है कि इस चोरी में विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की उदा-सीनता थी। क्या मंत्री जी इस सूचना को आधार मान कर विजिलेन्स विभाग से इस केस की जांच करायेंगे। और संबंधित अधिकारियों तथा कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इस सम्बन्ध में विभागीय जांच तो हो चुकी है। यदि माननीय सदस्य कोई और निश्चित सूचना देंगे तो विजिलेंस डिपार्टमेंट द्वारा जांच कराने की व्यवस्था की जा सकती है।

श्री हिम्मत सिंह—

जब ३८ लाख रु० की चोरी हुई है तो सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर की जिम्मेदारी क्यों नहीं है ? उन्होंने उसे रुकवाने की कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

विद्युत की चोरी का यह सबके बड़ा क्षेत्र है। इनसे पहले भी और इनके समय में भी वहां पर चोरी हुई है। वहां पर विजिलेन्स सेल स्थापित की गई तथा पुलिस स्क्वायड भी कायम किया गया ताकि चोरी की रोकथाम हो सके। ऐसी हालत में उनके ऊपर उत्तर-दायित्व ठहराना सम्भव नहीं था।

श्री कल्याण सिंह—

इस ३८ लाख रुपये की चोरी को देखते हुए क्या मंत्री जी सदन को यह आश्वासन देंगे कि उन ट्रांसफार्मर्स को आबादी के निकट लगवाएंगे जो कि जंगलों में लगे हुए हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जिनको हटाना सम्भव है उनको तो हटाया जा रहा है। विद्युत परिषद् इस तरफ चौकस है कि इस तरह का अधिक नुक्सान न हो।

## मूलक चन्द्र नरेश चन्द्र पर्चेजिंग एजेन्ट, अलीगढ़ से खाद्य निगम द्वारा खरीदा गया गेहूं

*2—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत रबी की फसल में दिनांक ३१ जून, १९७१ तक मेसर्स मूलक चन्द्र नरेश चन्द पर्चेजिंग एजेन्ट, अलीगढ़ से खाद्य निगम ने कुल कितने मूल्य का कितना गेहूं किस दर पर खरीदा ? क्या यह सच है कि उपरोक्त फर्म द्वारा खाद्य निगम को बेचा गया गेहूं निर्धारित स्तर से घटिया किस्म का गेहूं था और उक्त गेहूं का मूल्य ऊंची दर से भुगतान किया गया है ?

खाद्य मंत्री (श्री बेनी सिंह)—

भारतीय खाद्य निगम, लखनऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार मेसर्स मूलक चन्द्र, नरेश चन्द्र जो भारतीय खाद्य निगम के पर्चेजिंग एजेन्ट, अलीगढ़ में थे से उन्होंने जून, १९७१ तक

२९९ लाट गेहूं जिसका वजन करीब ८४,९३९,१५,४०० क्विंटल तथा शुद्ध मूल्य रु० ६४,४०,३०७.८१ पैसे आता है, खरीदा। यह गेहूं उचित औसत किस्म के गेहूं से लेकर तीन श्रेणी नीचे तक का था। इसका खरीद मूल्य रु० ७६.०० प्रति क्विंटल से लेकर रु० ७२.०० प्रति क्विंटल आता है।

क्रय एजेन्ट द्वारा भारतीय खाद्य निगम को दिये गये गेहूं के लाटों में से कुछ लाटों के गेहूं के नमूनों का भारतीय खाद्य निगम की प्रयोगशाला में विश्लेषण करने पर निम्नस्तर की क्वालिटी पायी गई। उसके लिये लगभग २५,००० रु० की वसूली क्रय एजेन्ट से करनी है। इस धनराशि की वसूली हेतु क्रय एजेन्ट का आवश्यक मात्रा में भुगतान भारतीय खाद्य निगम ने रोक लिया है।

श्री कल्याण सिंह—

२९९ लाट गेहूं में से कितनी लाटों का सैम्पिल लिया गया जिसका विश्लेषण किया था ?

श्री बेनी सिंह—

२९९ में से १२१ लाटों का सैम्पिल लेकर विश्वेषण के लिये प्रयोगशाला में भेजा गया था। विश्लेषण से पता चला कि गेहूं निम्न स्तर का था।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—

क्या देवरिया जिले से भी गेहूं की क्वालिटी खराब खरीदने की शिकायत सरकार के पास आयी है, यदि हां, तो क्या सरकार उसकी जांच करायेगी ?

श्री बेनीसिंह—

ऐसी शिकायतें पिछले साल आयी थीं। किन्तु जब तक कोई स्पेसिफिक शिकायत न हो तब तक जांच क्या करायी जाय। यदि माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक शिकायत बतायेंगे तो जांच करा ली जायेगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जांच कराने के बाद जब आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि गेहूं की क्वालिटी खराब थी, तो संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध जिन्होंने उसकी खरीद की थी आपने कोई कार्यवाही की ?

श्री बेनी सिंह—

पहले जांच डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से करायी गयी, उन्होंने कहा कि सी० आई० डी० से भी करायी जाय, फिर सी० आई० डी० से करायी गयी। उन्होंने कहा कि यह छोटी सी बात है। आप इसकी जांच लोकल पुलिस से ही करा लें। लोकल पुलिस को भी हमने लिखा है। इसके लिये इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये हमने भारत सरकार तथा एफ० सी० आई० को भी लिखा है।

श्री कल्याण सिंह—

मेरी यह निश्चित सूचना है तथा मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि १२१ लाटों का ही नहीं, बल्कि २९९ लाटों का सारा का सारा गेहूं इन्फीरियर क्वालिटी का था और बाद को ऐब को छिपाने के लिये ऊपर की टीन काट कर गेहूं के अन्दर पानी छुड़वा दिया गया जिससे कि वह सड़ जाय और उसको नष्ट हुआ दिखाया जा सके। इसमें डेढ़ लाख रुपये का घपला है। तो क्या आप इसकी जांच सी० आई० डी० से कराकर सदन को उसकी रिपोर्ट से अवगत करायेंगे ?

श्री बेनी सिंह—

मने अभी आपको बताया कि हमने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखा, सी० आई० डी० को लिखा, पुलिस को लिखा, एफ० सी० आई० के चेयरमन को लिखा और भारत को भी लिखा है और हम उचित कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार को यह भी पता चला है कि गहूं जो ७६ से ७२ रुपये तक के भाव से खरीदा गया है उसका मूल्य किसानों को उससे कहीं कम दिया गया है ? यदि हां, तो किसानों को क्या मूल्य दिया गया है ?

श्री बेनी सिंह—

किसानों को कितना रुपया दिया गया इसका पता लगाना तो मुश्किल मालूम पड़ता है, लेकिन शिकायत इस प्रकार की थी कि कम में खरीदा गया।

श्री बंशीधर पांडेय—

अब आप उसको दूर करना चाहते हैं या नहीं ?

श्री बेनी सिंह—

इस वर्ष कोई परचेजिंग एजेन्ट नहीं है, सारे का सारा गेहूं डायरेक्ट परचेज किया जा रहा है। उन्हीं सब गलतियों को दूर करने के लिये ही तो यह किया गया है और हमने एक स्कीम भी इन्हीं गलतियों को दूर करने के लिये बनायी है। और वह माननीय सदस्यों की सूचना हेतु प्रस्तुत है, उस पर राय मांगी है, मीटिंग भी की है। हमारा कोई इरादा नहीं है परचेजिंग एजेन्ट से खरीदने का।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच कराएंगे कि कथित फर्म ने २ लाख ९९ हजार मन जो गल्ला खरीदा है, उस पर उसने कितना रुपया एफ० सी० आई० से वसूल किया है और कुल कितना रुपया उसने किसानों को दिया है ?

श्री बेनी सिंह—

इस समय तो मैं नहीं बता सकता कि यह हो सकता है या नहीं, यदि हो सकता है तो हम जरूर कराएंगे।

श्री बीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

२ लाख ९९ हजार मन जो गेहूं खरीदा गया, उनमें से १ लाख २१ हजार मन अर्थात् ४० प्रतिशत गेहूं स्टैन्डर्ड से नीचे का पाया गया ? तो क्या क्वालिटी इंस्पेक्टर्स ने उसे प्रमाणित किया था या नहीं ? या प्रश्न के बाद आपको पता चला कि वह निर्धारित स्तर से नीचे का है ?

श्री बेनी सिंह—

श्रीमन्, एक शिकायत हमारे पास सोशलिस्ट पार्टी की आई थी, उस पर इंक्वायरी शुरू हुई। एक गुमनाम-पत्र भी हमारे पास बाद में आया था। इसकी जिला मजिस्ट्रेट ने जांच कराई तो पाया गया कि कहीं कुछ गोलमाल है। इस पर हमने एफ० सी० आई० से कहा, तो उसने यह रिपोर्ट दी है।

श्री बीरेन्द्र वर्मा—

जो यह ४० प्रतिशत गहूं खराब है, इसे पहले क्वालिटी इन्सपेक्टर ने प्रमाणित किया था और बाद में उसे ऐसा बताया—अप्रमाणित किया तो इसका कारण क्या था ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री कल्याण सिंह—

इन्फीरियर क्वालिटी का गहूं खरीदने क कारण २५,००० रुपया जो उनसे वसूल होना है, तो आपने इसके विरुद्ध उनकी कितने रुपये की धनराशि रोक रखी है ?

श्री बेनी सिंह—

ठीक धनराशि तो नहीं मालूम है, लेकिन २५,००० से ज्यादा की धनराशि रोकी है, यह निश्चित मालूम है।

*३—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

## फर्रुखाबाद जिले के ईंट के भट्ठों को कोयला न दिया जाना

*४—श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में कुछ ईंटे के भट्ठे हैं जिनको १९७१ अक्तूबर से लेकर फरवरी, १९७२ तक कतई कोयला नहीं मिला है? यदि हां, तो कौन-कौन से भट्ठे ऐसे हैं जिनको जिले के कोटे से कोयला नहीं दिया गया और उसके क्या कारण हैं?

श्री बेनी सिंह—

फर्रुखाबाद जिले में जिन भट्ठे वालों को अक्तूबर, १९७१ से फरवरी, १९७२ तक कोयला नहीं मिला उसकी सूची सदन के पटल पर रखी है। उक्त अवधि में उनको कोयला इस कारण नहीं दिया गया क्योंकि कोयले का आयात बहुत कम हुआ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १८५–१८६ पर)

*५—श्री महराम सिंह—

क्या खाद्य मंत्री को जानकारी है कि फर्रुखाबाद जिले के लिये प्रतिमाह मिलने वाले कोयले को भट्ठे वालों को बांटने की क्या नीति है?

श्री बेनी सिंह—

फर्रुखाबाद जिले में कोयला केवल उन्हीं भट्ठे वालों को दिया जाता है जो वास्तव में कार्यरत है। जिला मजिस्ट्रेट ने उनकी सूची उनके लाइसेंस के क्रम के अनुसार बना ली है और उसी क्रम से उनको जिले के आयात कोटे से कोयला दिया जाता है।

श्री महराम सिंह—

मन्त्री जी ने उत्तर दिया है कि जो भट्ठे कार्यरत थे उन्हें ही कोयला दिया गया और जिला मैजिस्ट्रेट ने एक सूची बना ली थी, सूची में ७८ भट्ठे ऐसे हैं जिन्हें फरवरी तक कोयला नहीं मिला। तो क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि जिनको नहीं मिला उनके नाम भी सावजनिक कार्यों के लिये कन्ट्रोल रेट से ईंट के परमिट काटे गये हैं? और शेष जिनको यह दिया गया है उनको कितने रेक कोयला दिया गया है?

श्री बेनी सिंह—

यह तो मुझे नहीं मालूम कि जिन भट्ठों को कोयला भी नहीं दिया गया, उनके ऊपर कोई कन्ट्रोल रेट पर सप्लाई करने हेतु परमिट काटे गये हैं। आप कहते हैं, किया होगा, बतायेंगे तो देख लूंगा। लेकिन हमने अभी तक कोयले के रेट पर कोई कन्ट्रोल नहीं किया। जो रेट वहां पर तय हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने भट्ठे वालों और कोयले वालों से मिल कर खर्चा वगैरह निकाल कर एक निश्चित रेट तय कर दिया है, बहुत दिन पहले, उस वक्त जब कि लड़ाई थी, उनकी अनुमति से वह कीमत तय हुई थी। जो सरकारी कार्य हुआ करता था उसी के परमिट काटे जाते रहे हैं। वैसे कोयले पर रोक नहीं है। लोग ठेले से ला रहे ह और तरीके से ला रहे हैं, कोई कन्ट्रोल नहीं है कोयले पर क्योंकि वैगन्स दे नहीं पाते, जितना हमारे पास पहुंचता है, हम बटवारा कर देते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कहा है कि जिस प्रकार से लाइसेन्स दिया गया है उसी प्रकार से हमने बाटा है? ११६ भट्ठे वाले हैं, ४१ को उन्होंने बांटा है। हमारे पास फरवरी में एक रेक और कुछ फोर ह्वीलर्स आये थे उनका बटवारा हुआ है।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि जितने ४१ भट्ठे कार्यरत थे, वही इस साल भी कार्यरत हैं, जो पहले साल कार्यरत उनके नाम बतायेंगे, क्या वही इस साल कार्यरत हैं ?

श्री बेनी सिंह—

जितने लाइसेन्स थे, ११९ भट्ठे हैं, जिस हिसाब से लाइसेन्स की डेट है, उसी हिसाब से ४१ को दे पाये क्योंकि कोयला कम था ।

श्री हिम्मत सिंह—

मैंने पूछा कि पिछले साल जो कार्यरत थे वही भट्ठे इस साल कार्यरत हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

यह सूचना नहीं है । यह नया सवाल हो गया है ।

श्री महराम सिंह—

प्रश्न दूसरा था, जवाब में हेरफेर हो गया है । मन्त्री जी ने कहा है कि लाइसेन्स जिस क्रम से लिये गये कोयले का अलाटमेन्ट वैसे किया गया । जवाब में यह है कि भट्ठे कार्यरत थे उनको दिया गया । तो दो बातें हुई । या तो लाइसेन्स के सीरियल नम्बर से दिया गया या जो भट्ठे चल रहे हैं उनको दिया गया । तो मन्त्री जी स्पष्ट करेंगे कि जो भट्ठे कार्यरत थे, उनको कब से कार्यरत माना है, क्या मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जो भट्ठे चल रहे हैं उनको इस सूची में बन्द घोषित कर दिया गया है ?

श्री बेनी सिंह—

पांचवें सवाल के जवाब में कहा गया है कि जिला मैजिस्ट्रेट ने उसकी सूची उनके लाइसेन्स के क्रम के अनुसार बना ली है और उसी क्रम से उनको जिला आयात कोटे से कोयला दिया जाता है । जहां तक सवाल के जवाब का ताल्लुक है वह तो ठीक है । कहीं मति भ्रम नहीं है । लेकिन जो आप बता रहे हैं कि इस प्रकार की सूची है कि जो कार्यरत हैं उनको बन्द घोषित कर दिया गया है, इस समय मैं नहीं बता सकता हूं । अगर माननीय सदस्य देंगे तो हम जांच पड़ताल करवा लेंगे ।

## कुमायूं तथा गढ़वाल मण्डल में विद्युतीकरण

*१—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल) (अनुपस्थित)—

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कुमायूं तथा गढ़वाल मन्डल के जिलेवार विद्युतीकरण के लिये कुल कितने धन को प्रस्तावित किया गया है?

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कुमायूं तथा गढ़वाल मण्डल के जिलेवार विद्युतीकरण के लिये कुल ४७१.३१ लाख रुपये की धनराशि प्रस्तावित की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है:—

| क्रम-संख्या | जिला | चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का परिव्यय (लाख रु० में)] |
|---|---|---|
| १—नैनीताल | .. .. .. | २०८.९८ |
| २—अल्मोड़ा | .. .. .. | १२२.३३ |
| ३—पौड़ी | .. .. .. | ६४.२१ |
| ४—टेहरी | .. .. .. | ७५.७१ |
| | योग .. | ४७१.१३ |

*२—श्री शिवानन्द नौटियाल (अनुपस्थित)—

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गढ़वाल में वर्ष १९६९–७० १९७०–७१ में कहा-कहां विद्युतीकरण हुआ और प्रस्तावित वर्ष १९७१–७२ में कहां-कहां की योजनायें विद्युत लगाने के लिये प्रस्तावित ह?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वष १९६९–७०, तथा १९७०–७१ में जिन स्थानों का विद्युतीकरण किया गया उनकी सूची संलग्न है। वर्ष १९७१–७२ में कुल ८० स्थानों का विद्युतीकरण प्रस्तावित था, जिनमें से निम्नलिखित सात ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है:—

१—जोशियारा

२—हरसिंह पुर

३—रतनपुर

४—बलासौर

५—फरासू

६—स्वीट

७—श्री कोट।

( देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १८७ पर)

*३–४—श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री रामकरन सिंह—

[माननीय सदस्य के प्रार्थना के अनुसार प्रश्न को संशोधित करने के लिये हटाया गया।]

## हाइडिल विभाग अलीगढ़ के भण्डार से तांबें की तार की चोरी

*५—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष १९७०–७१ में हाइडिल विभाग, अलीगढ़ के अलीगढ़ स्थित भन्डार से कितने मूल्य के तांबे का तार चोरी गया और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

ट्रांस्फार्मर में लगे तांबे के तार के बने क्वाइल्स की चोरी जुलाई १९७० में हुई। चोरी गये सामान का मूल्य रु० १००० था चोरी की प्राथमिक रिपोर्ट पुलिस को तत्काल दे दी गई थी।

श्री कल्याण सिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि मास जुलाई १९७० में चोरी किस तिथि को हुई, और रिपोर्ट पुलिस में कब दर्ज करायी गयी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इसकी सूचना सिविल लाइंस अलीगढ़ में ७–७–७० को दे दी गयी थी।

श्री कल्याण सिंह—

इससे पहले प्रश्न था, तो आपने कहा था कि कोई स्टोर से चोरी का मामला होगा तो जरूर देखेंगे। यह स्टोर की चोरी का मामला है। इस स्टोर पर स्टोरकीपर जरूर होगा। अलीगढ़ भंडार की चोरी के मामले में कौन स्टोरकीपर जिम्मेदार है और उसके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

स्टोर से सामान चोरी गया लेकिन यह निश्चित नहीं किया जा सका कि किस प्रकार सामान की चोरी हुई इसलिये किसी स्टोर कीपर को इसके लिये जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। यह जरूर है कि चेकिंग के समय चौकीदार को पकड़ा गया और उसके खिलाफ जरूरी कार्यवाही की गयी है।

## अलीगढ़ स्थित हाइडिल विभाग के विद्युत् परीक्षण खण्ड के केन्द्रीय भण्डार का सत्यापन

*६--श्री कल्याण सिंह--

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अलीगढ़ स्थित हाइडिल विभाग के विद्युत परीक्षण खन्ड के केन्द्रीय भन्डार का सत्यापन माह मई, १९७० से दिसम्बर, १९७१ तक की अवधि में एक भी बार न किये जाने के क्या कारण है तथा सत्यापन न किये जाने के लिये कौन उत्तरदायी है और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

नियमानुसार भंडारों का सत्यापन वर्ष में एक बार होना चाहिये। विद्युत् परीक्षण खंड, अलीगढ़ का सत्यापन जो मई १९७० में किया गया था १९७१-७१ के लिये मान्य था। १९७१-७२ का सत्यापन भी किया जा चुका है। इस प्रकार दोनों वर्ष १९७०-७१ और १९७१-७२ का सत्यापन हो चुका है अतः विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता।

श्री कल्याण सिंह--

क्या यह सच है कि सन् ७१-७२ का जो सत्यापन हुआ है उसकी तिथि २२ फरवरी, ७२ के बाद की है जब कि यह प्रश्न किया जा चुका था?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

७१-७२ का सत्यापन २९ से ३१ मार्च, ७२ की अवधि में किया गया है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

आदेशानुसार प्रतिवर्ष स्टोर का सत्यापन होना चाहिये तो क्या सरकार बतलायेगी कि किस कारण ७०-७१ का सत्यापन नहीं कराया जा सका और उसके लिये क्या जवाब तलब किया गया?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

७०-७१ का सत्यापन हो चुका है १० मई को और वह उसके लिये मान्य समझी गयी है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

७१-७२ का सत्यापन इस प्रश्न के करने की तिथि के बाद किया गया है। अगर प्रश्न न होता तो कदाचित सत्यापन न होता तो जिन्होंने प्रश्न के पहले सत्यापन नहीं किया उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी है।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

इस समय तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई लेकिन उनसे यह जानकारी की जायगी कि यह सत्यापन समय से क्यों नहीं हुआ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

७१-७२ का सत्यापन मार्च में हुआ तो वह ७१-७२ का सत्यापन कैसे हो गया इसे जरा स्पष्ट किया जाय ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

७१-७२ का तात्पर्य मार्च, ७२ तक से है । उसका सत्यापन २९ से ३१ मार्च तक हो जाना कोई असंभव बात नहीं है ।

श्री कल्याण सिंह---

७०-७१ तथा ७१-७२ में जो फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ था उसके परिणामस्वरूप कितने सामान की शार्टेज पाई गयी और इस सम्बन्ध में आपने क्या कार्यवाही की?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

इसकी कोई सूचना नहीं है । जब यह प्रश्न पूछा गया तो इसकी सूचना दे दी गयी कि यह सत्यापन हुआ या नहीं ।

श्री कल्याण सिंह---

क्या माननीय मन्त्री इसकी जानकारी करके सदन को सूचना दे सकेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

अवश्य जानकारी लेकर सूचना दी जायगी ।

## फर्मों के ऊपर बिक्री-कर का बकाया

*७-श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में ऐसी कितनी फर्में हैं, जिन पर २५ हजार से अधिक बिक्री-कर धनराशि देय है और यह भी धनराशि कितने समय से देय है तथा सरकार ने इसकी वसूली के लिये क्या कार्यवाही की ?

संसदीय कार्य उप-मन्त्री (श्री गुलाब सिंह)---

प्रदेश में ६८२ ऐसी फर्में हैं जिन पर २५ हजार से अधिक बिक्री-कर की धनराशि देय है परन्तु यह धनराशि कितने कितने समय से देय है इसका विवरण उत्तर के साथ देना संभव नहीं है क्योंकि प्रत्येक फर्म के मामले में बकाया की अवधि अलग-अलग है । बकाया की वसूली के लिये वसूलयाबी के प्रमाण-पत्र संबंधित जिलाधिकारियों को इस आशय से भेज दिये गये हैं कि वे बिक्री-कर देय धनराशि की वसूली भू-राजस्व की बकाया की भांति करायें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ६८२ फर्में हैं जिनके ऊपर २५ हजार से भी अधिक बिक्री-कर की धनराशि देय है उनमें कुल कितनी टोटल धनराशि बाकी है ?

श्री गुलाब सिंह---

टोटल ७ करोड़ ४५ लाख है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जो ६८२ फर्में हैं उनमें से कितनी ऐसी फर्में हैं जिनके ऊपर ५ साल से भी अधिक का बकाया है ?

श्री गुलाब सिंह---

क्या मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि सन् १९७१-७२ से पहले कुल कितनी धनराशि बकाया थी जिसको कि ७१-७२ में वसूल किया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसके लिये तो हिसाब लगाना पड़ेगा ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जो बकाया है वह ज्यादा से ज्यादा कितने सालों का है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि सबसे पुराना बकाया किस वर्ष का है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन् इतनी बड़ी लिस्ट सारे फर्मों की है.....

श्री विश्वनाथ कपूर—

मान्यवर, मैं सबसे पुराना बकाया पूछ रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके लिये आप अलग से प्रश्न कर लें ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ये जो डिफाल्टर्स हैं उनके खिलाफ क्या बाजाब्ता कार्यवाही की गई है?

(उत्तर के लिये मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय मन्त्री जी ने जो साढ़े सात करोड़ की बकाया धनराशि बताई है उनमें से दो सबसे बड़ी फर्मों के नाम बताने की कृपा करेंगे.....

(मन्त्री जी के खड़े न होने पर)

श्री विश्वनाथ कपूर—

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । इसलिये आप इसे स्थगित कर दें.....

श्री उपाध्यक्ष—

६८२ फर्मों की लिस्ट है । उनमें से देखना पड़ेगा क्योंकि आपका यह प्रश्न तफसील का प्रश्न है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

उन्हीं की लिस्ट में तो यह बात होगी । अधिक से अधिक बकाया वाली फार्म का वे नाम बता दें ।

(मंत्री जी को उत्तर के लिए नहीं पुकारा गया)

श्री महीलाल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ६८२ फर्में हैं उनमें से कितनी फर्में ऐसी हैं जिन्होंने न्यायालयों से स्टे ले रखा है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, न्यायाधीश पुनरीक्षण, बिक्री-कर ने ६ लाख ८२ हजार तथा सुप्रीम कोर्ट ने ५७ लाख १८ हजार रुपये की धनराशि का स्टे दिया है ...

श्री महीलाल---

मान्यवर, मैं पूछ रहा हूं कि सबसे अधिक किस फर्म का है... (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मान्यवर, इस प्रश्न को आप नियम ४९ में स्वीकार कर लें।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

श्रीमन्, सरकार को ऐसी कितनी फर्मों की सूचना मिली है जिन्होंने अपना नाम व रजिस्टर वगैरह बदलकर नया व्यवसाय शुरू कर दिया है और बकाया मनी डेड मनी हो गई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, १८ व्यापारी लापता है जिन पर ७ लाख १७ हजार रुपये का बकाया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, नियम ४९ में इसे स्वीकार कर दें, सारे प्रदेश का सवाल है, मैं लिख कर दे रहा हूं।

## उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् प्राविधिक कला कर्मचारी संघ का प्रतिवेदन

*८---श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् प्राविधिक कला कर्मचारी संघ (रजिस्टर्ड) का दिनांक ३१ दिसम्बर, १९७० का कोई प्रतिवेदन, जो मुख्य अभियन्ता उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के नाम था और जिसकी प्रतिलिपि राज्य सरकार को भी प्रेषित की गई थी, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

प्रतिवेदन न तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के कार्यालय में और न ही शासन में प्राप्त हुआ है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या सरकार को जानकारी है कि इस एसोसिएशन ने सरकार एसामने अपनी मांग पिछले एक वर्ष में कब रखी है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

विद्युत् परिषद् या शासन से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

## राज्य में आबकारी लाइसेंस फीस का बकाया

*९---श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या सरकार को ज्ञात है कि ३१ मार्च, सन् १९७१ तक राज्य में गत कई वर्षों से लाखों रुपये की आबकारी लाइसेन्स फीस बकाया पड़ी हुई है ? यदि हां, तो कितना कितने वर्षों से और सरकार इस बकाया धनराशि की वसूली के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

कारागार उप मंत्री (श्री रामपूजन पटेल)---

३१ मार्च, सन् १९७१ तक आबकारी राजस्व की कुल बकाया धनराशि १,३६,२७,९४९ रुपये है। इसका विस्तृत विवरण संलग्न प्रपत्र में दिया गया है। इसकी वसूली के लिये सरकार हर सम्भव प्रयत्न जिसमें सभी उत्पीड़क कार्यवाही शामिल है, कर रही है। इसमें पिछले २९ वर्षों के प्रत्येक वष में न वसूल होने वाली धनराशि भी शामिल है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १८८-१८९ पर)

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस कार्यवाही में राजस्व की वसूली के सिलसिले में कभी किसी को जेलखाने में आपने बन्द किया और किया तो कितनों को ?

कारागार मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

इसकी वसूलयाबी में किसी को जेल भेजा गया, इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री बंशीधर पांडेय--

क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे और आदेश करेंगे कि ये शराब के लाइसेन्सी हैं, पानी का पैसा बनाया है और डेढ़ करोड़ बाकी है तो उनको आगे चल करके ब्लैकलिस्ट करके लाइसेन्स दिया ही न जाय और लगान के एरियर्स की तरह से वसूल किया जाय जायदाद और संपत्ति से ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

माननीय सदस्य का सुझाव महत्वपूर्ण है, इस पर तो गौर किया जायगा और इतने करोड़ रुपया जो बकाया है वह २९ साल का रुपया है । लाइसेन्स फी ७--८ करोड़ हर साल आती है तो यह नगण्य के बराबर है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या मंत्री जी बतायेंगे, कि इस बकाया में कितनी ऐसी धनराशि है जो सरकार द्वारा स्टे कर दी गई है, वसूल नहीं की जा रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

ऐसी अभी तक कोई सूचना नहीं है लेकिन हाई कोर्ट या अन्य या एक्साइज कमिश्नर द्वारा कुल मिलाकर ८८,४५,६३७ रु० स्टे हो चुका है ।

श्री विश्वनाथ कपूर--

बकायेदार जिनकी फर्म हैं उनमें कुछ ऐसे भी लाइसेन्सीज हैं जिनके पास लाइसेन्स भी हैं और बकाया भी पड़ा हुआ हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

ऐसा तो शायद कोई न हो, लेकिन अगर माननीय सदस्य सूचना दे दें तो जांच करवायेंगे ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या मंत्री जी अपने विभाग में इस प्रकार के आदेश प्रसारित करेंगे कि ये जो बकायादार हैं उनको आगे कोई रिन्युअल या लाइसेन्स न दिया जाय ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

ऐसे तो पहले से आदेश हो चुके हैं कि बकाया वालों के लिए इस प्रकार की कार्यवाही न की जाय ।

श्री सजीवन लाल--

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इसमें देशी शराब और विदेशी शराब के सम्बन्ध में कितना बकाया होगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो नया सवाल है ।

*१०—श्री शम्भूनाथ चौधरी श्री चन्द्रभान शर्मा तथा श्री त्रिलोकी चन्द ।
[२८वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या २ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## इलाहाबाद एवं प्रदेश के अन्य जिलों में बिक्री-कर का बकाया धन

*११—श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३१ जनवरी, १९७२ तक जनपद, इलाहाबाद में बिक्री-कर का कितना धन बकाया है और उस धन की वसूली के लिए शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गुलाब सिंह—

३१ जनवरी, १९७२ तक जनपद इलाहाबाद में बिक्रीकर का ८९.२७ लाख रुपया बकाया था और इसकी वसूली के लिये बिक्रीकर अधिकारियों द्वारा जिले के संग्रह अधिकारियों को वसूली के प्रमाण-पत्र इस आशय से भेज दिये गये हैं कि बिक्रीकर बकाया की वसूली भी ठीक मालगुजारी की भांति कराई जाय ।

*१२—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १ अप्रैल, १९७१ से ३१ जनवरी, १९७२ तक बिक्री-कर का कितना कर प्रत्येक जिले में बाकी था और उसके वसूल न होने के क्या कारण हैं ?

श्री गुलाब सिंह—

प्रदेश में प्रत्येक जिले में १ अप्रैल, १९७१ से ३१ जनवरी, १९७२ तक बिक्री-कर की बकाया की सूचना संलग्न विवरण में प्रस्तुत है । कुल धनराशि २३.२७ करोड़ रुपये है । इस बकाया में से ७.९६ करोड़ रुपये की वसूली सक्षम अधिकारियों द्वारा स्थगित है । २.४१ करोड़ रुपये की धनराशि ऐसी है जिसके सम्बन्ध में प्राप्त प्राथमिक सूचना के आधार पर व्यापारी अपना व्यापार बन्द करके या तो लापता हो गये हैं या उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे बकाया का भुगतान कर सकें । शेष धनराशि के लिये सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १९०–१९१ पर)

श्री राम गोपाल सण्ड:—

मंत्री जी ने बताया कि लगभग ८९ लाख रुपया इलाहाबाद में बकाया है । तो इलाहाबाद की वह कौन सी तीन बड़ी फम ह जिन पर २५ हजार से ज्यादा बकाया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो लिस्ट में है ।

श्री राम गोपाल सण्ड—

दोनों सवाल अलग-अलग हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यह जो सूचना आपने मांगी है वह इस प्रश्न से तो उठती नहीं है । जो पहले जवाब दिया गया है उसमें पूरी सूची जिलों की रखी हुई है ।

श्री राम गोपाल सण्ड—

इलाहाबाद के बारे में एक अलग सवाल पूछा है और उसमें उन्होंने स्वयं कहा कि सारे प्रदेश में ८४ करोड़ रुपये और इलाहाबाद म ८९ लाख रुपये बकाया है । तो कम से कम बता तो द कि वह तीन कौन बड़ी बड़ी फम हैं जिनके ऊपर इतना बकाया है । सरकार उनसे वसूल करने म क्यों अक्षम है ?

श्री नारायन दत्त तिवारी—

इलाहाबाद रेन्ज की फर्मों के नाम हैं : सर्वश्री शिवमोहन बाजपेई, बिन्दकी—६२,०००रु० भवानीदीन भगवानदीन, कालपी—२,४५,२९२ रु०, भवानीदीन भगवानदीन, कौंच—७१,२८५ रुपये, बालादीन नन्दराम, उरई—८१,८२३ रु०, शिव नाथ रामनाथ, कालपी—५४,७१७ रु०, सहकारी क्रय-विक्रय समिति, उरई—२८,४२१ रु०, गोविन्द सिंह भगवान सिंह, एटा—१,५६,८०१ रु०.....

श्री राम गोपाल सण्ड—

बस, बस, अब स्थिति स्पष्ट हो गई। यह जो गरीबी हटाने वाले व्यापारी हैं इनके खिलाफ शासन कब कार्यवाही करेगा। जिससे यह ८९ लाख रुपया शासन के पास आ जाय ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जैसा कहा गया, यह बकाया की वसूली मालगुजारी की भांति वसूल करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

श्री राम गोपाल सण्ड—

जिलाधिकारी को कितना समय दिया गया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

समय दियेजाने का कोई सवाल नहीं है, मालगुजारी की बाकाया की तरह वसूल करने के लिये आदेश दे दिये गये है।

श्री रामकुमार शास्त्री—

जो दुकानदारों से इतनी रकम के रूप में हैं, तो समय-समय पर इन दुकानदारों ने कुछ दिया भी है या बिलकुल यों ही उनका बकाया पड़ा हुआ है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इसमें श्रीमन्, एक तो असेस्ड टैक्स होता है जो कि बिक्री-कर विभाग असेस करता है और दूसरे जो वह एडमिट करते हैं। एडमिटेड टैक्स वह जमा करते हैं। हमारी पद्धति यह है कि जो असेस्ड है उसी के आधार पर बकाया चढ़ाते हैं। उस पर वह अपील करते हैं लेकिन हमारी तरफ से जो बकाया की धनराशि असेस्ड है वह मांगी जाती है। उसमें कभी हाई कोर्ट स्टे दे देता है कभी अपीलेट अथारिटी स्टे दे देती है स्टे की धनराशि घटती रहती है और असेस्ड टैक्स जुड़ता रहता है। अलग-अलग केस की अलग-अलग सूचना की आवश्यकता है।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

जसा कि मंत्री जी ने कहा कि एरियर्स मालगुजारी की तरह से वसूल किये जायेंगे और मालगुजारी की वसूली की तिथि ३० जून तक होती है। इसके बाद वारन्ट जारी होते हैं तो क्या मंत्री जी ने आदेश दे दिये हैं कि ३० जून तक वसूली कर ली जाय और बकायदारों को बन्द कर दिया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, जिलाधिकारियों को कानून मालूम है जो उनको आदेश दिये गये हैं।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया):—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किन लोगों के खिलाफ मालगुजारी की तरह से वसूल करने के आदेश जारी हुए हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

व्यक्तियों और फर्मों की संख्या तो उपलब्ध नहीं हैं लेकिन मैंने रकम बता दी है।

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, इस बात को देखते हुए कि हाई कोर्ट से बकायेदार स्टे ले आते हैं तो क्या मंत्री जी इसपर विचार करेंगे कि सेल्स टैक्स ऐक्ट में इस तरह से संशोधन किया जाय कि हाई कोर्ट का जूरिस्डिक्शन समाप्त कर दिया जाय ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इस सुझाव पर अवश्य विचार करेंगे ?

श्री आशाराम (जिला मेरठ)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि रिकवरी सर्टीफिकेट्स किनके खिलाफ जारी किये गये हैं और किस तारीख को इश्यू किये गये हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अलग-अलग तारीखों में भेजे गये हैं। सबकी एक ही तारीख नहीं है।

श्री राम गोपाल सण्ड—

मंत्री जी ने बताया कि ३३ करोड़ २७ लाख बकाया है और व्यापारी लापता हो गये हैं, कुछ के ऊपर ३ करोड़ ४१ लाख रुपया बकाया है, ७ करोड़ ९६ लाख के मुकदमे चल रहे हैं तो २२ करोड़ ९० लाख रुपया कब तक वसूल किया जायगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इस सम्बन्ध में बजट भाषण में घोषणा की है कि हम बकाया वसूल करेंगे और इसके लिए पूरे प्रयत्न किये जायेंगे।

श्री रियासत हुसैन—

मंत्री जी को २२ करोड़ ९० लाख की वसूलयाबी के ३० जून तक वसूल करने के आदेश जारी करन में क्या परेशानी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, हम तो चाहते हैं कि ३० जून से पहले ही वसूल हो जाये तो बहुत अच्छा है।

श्री राम गोपाल सण्ड—

मान्यवर, कानपुर म मंत्री जी ने बताया कि ६ करोड़ २७ लाख रुपया बकाया है तो क्या वे बतायगे कि वह फर्म कौन सी है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्योरे का सवाल है।

## कोषागार निदेशालय उत्तर प्रदेश की स्थापना

*१३—श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या वित्त मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि कोषागार निदेशालय, उत्तर प्रदेश की स्थापना किन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की गई थी और अभी तक उसने पत्राचार के अतिरिक्त कोष कार्यालयों के उत्थान हेतु क्या कार्य किये हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

कोषागार निदेशालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कोषागारों की कार्य कुशलता बढ़ाना और इस बात को सुनिश्चित करना था कि कोषागारों में सरकारी लेन-देन के प्रारम्भिक लेखे ठीक-ठीक रखें जाएं और वे समय से महालेखाकार को प्रेषित किये जाएं ताकि महालेखाकार द्वारा राज्य का लेखा-जोखा ठीक-ठीक और समय से बनाया जा सके। शासन इस बात से संतुष्ट है कि कोषागार निदेशालय की स्थापना से उपर्युक्त उद्देश्यों की पर्याप्त सीमा तक पूर्ति हुई है।

## विद्युत् बोर्ड के वर्कचार्ज असिस्टेन्ट सुपरवाइजर को सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति

*१४—श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी (अनुपस्थित)—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत् बोर्ड में इस समय वर्क चार्ज कर्मचारी कितने हैं जो असिस्टेंट सुपरवाइजर के पद पर कार्य कर रहे हैं? क्या सरकार के सामने ऐसी कोई स्कीम है जिससे वर्क चार्ज असिस्टेंट सुपरवाइजर को सुपरवाइजर के पद पर प्रोमोट किया जा सके? यदि हां, तो सरकार उन वर्क चार्ज असिस्टेंट सुपरवाइजर को कब तक सुपरवाइजर की जगह पर प्रोमोट करेगी?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

विद्युत् बोर्ड के वर्क चार्ज के कार्यरत असिस्टेंट सुपरवाइजर की संख्या उपलब्ध नहीं है और उसे क्षेत्रों से एकत्रित करने में समय लगेगा।

विद्युत् बोर्ड के अन्तर्गत ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसमें वर्कचार्ज में कार्यरत असिस्टेंट सुपरवाइजर को सुपरवाइजर के पद पर प्रमोट किया जा सके।

## आई०एस०आई० के मार्क वाले विद्युत् कन्डक्टरों का क्रय

*१५—श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ), श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं) तथा श्री हिम्मत सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आई०एस०आई० मार्क का माल खरीदने के बारे में राज्य विद्युत् परिषद् का कुछ निर्णय है और पिछले एक माह में परिषद् ने १५ करोड़ रुपये के १,१५,००० किलो मीटर कन्डक्टर क्रय करने के आर्डर १५० निविदाताओं में से केवल १५१६ से उनके रेट कुछ कम कराके उन्हीं को दिये हैं? यदि हां, तो उनमें से किसका कण्डक्टर आई०एस०आई० लाइसेन्स शुदा लैब में टेस्ट किया हुआ और किसका नहीं तथा सभी १५० विनिदादाताओं को रेट कम करने की प्रतियोगिता का अवसर न देने का क्या कारण है?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री मोहनलाल कपूर—

मान्यवर, मैंने यह प्रश्न २८ मार्च, १९७२ को दिया था जिसको करीब एक महीने को आया लेकिन अभी तक सूचना एकत्रित न होने का क्या कारण है जबकि विद्युत् परिषद् को २५ लाख रुपये की हानि हो रही है?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण—

मान्यवर, सूचना उपलब्ध न होने का क्या कारण है इसको तो नहीं कह सकता। लेकिन इसका तात्पर्य यह है कि जल्दी सूचना दे दी जायेगी जैसे ही उपलब्ध हो जायगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, अक्सर मन्त्री लोग कह देते हैं कि सूचना एकत्रित नहीं हो सकी। यह बहुत बढ़िया जवाब है। क्या आप इसके लिये कोई सीमा निर्धारित करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष—

इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री मोहनलाल कपूर--

श्रीमन्, विद्युत् परिषद् का कार्यालय लखनऊ में है और मन्त्री जी का कार्यालय भी लखनऊ में है। इतने निकट होते हुए भी एक महीना क्यों लग गया, ३-४ दिन में सूचना आ जानी चाहिये थी ?

श्री उपाध्यक्ष--

नियमानुसार जब सूचना आनी चाहिए तब आयेगी।

## गोरखपुर जिले में चीनी तथा नमक की दिये गये विशेष लाइसेंस

*१६--श्री राम लाल भाई तथा श्री मैनेजर सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर में चीनी तथा नमक की व्यवस्था हेतु किन-किन व्यक्तियों को किस आधार पर विशेष लाइसेन्स वर्ष १९७१-७२ में दिये गये हैं और क्या उन व्यक्तियों की सूची एवं वितरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बेनी सिंह--

चीनी के विशेष लाइसेन्स देने के लिये नियमों के अन्तर्गत कोई व्यवस्था नहीं है।

गोरखपुर जनपद में वर्ष १९७१-७२ में २६ व्यक्तियों को थोक चीनी के लाइसेन्स दिये गये हैं। लाइसेन्स देने का आधार इस प्रकार है:--

(१) व्यक्ति का फर्म फर्जी नहीं है,
(२) इनका पूरा पता है,
(३) दूकान/गोदाम का स्थान सुनिश्चित है,
(४) गोदाम से यातायात के आने/जाने का प्रबन्ध है,
(५) व्यवसायिक प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है।

इन २६ लाइसेन्स धारियों की संख्या की सूची सदन की मेज पर दी गई है। गोरखपुर जनपद के नमक पर लाइसेन्सिंग नहीं है अतएव लाइसेन्स धारियों का प्रश्न ही नहीं उठतर है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १९२-१९३ पर)

श्री विश्वनाथ कपूर--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जो चीनी का लाइसेन्स देते हैं वह आप नये लोगों को देते हैं अथवा पुराने लोगों को ही देते हैं ?

श्री बेनी सिंह--

कोई बन्धन नहीं है। नये आदमी को भी दिया जा सकता है और पुराने को भी मिल सकता है।

श्री मैनेजर सिंह--

चीनी का लाइसेन्स देने के आपके नियम क्या हैं, किन व्यक्तियों को आप चीनी का लाइसेन्स देंगे ?

श्री बेनी सिंह--

कोई नियम इस तरह का नहीं है। उनको बता दिया जाता है कि इन-इन चीजों को देख लें और उसके बाद दे दें।

श्री कल्याण सिंह--

क्या सरकार की सामान्य नीति यह है कि न्याय पंचायत केन्द्रों पर चीनी की दूकानों के लाइसेन्स उन्हीं लोगों को दिये जाते हैं जो उस न्याय पंचायत क्षेत्र में रहते हों। यदि हां तो इन २६ लाइसेन्सों में कौन कौन ऐसे हैं ?

श्री बेनी सिंह--

हमारी नीति यह है कि फुटकर लाइसेन्स उसी न्याय पंचायत में रहने वाले को दिये जायं। लेकिन प्रश्न के उत्तर में जो बताया गया है वह थोक व्यापारियों के बारे में बताया गया है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी--

गोरखपुर में क्या तीन-चौथाई ऐसे लोग हैं जिनके पास गत ५-६ वर्षों से लाइसेन्स था लेकिन उन्होंने चीनी नहीं उठायी थी और अब उठाने लगे हैं ?

श्री बेनी सिंह--

यह सम्भव हो सकता है कि डिकन्ट्रोल के कारण बीच में लाइसेन्स बन्द हो गया हो। अगर आप कोई सूचना देंगे तो मैं जांच करा लूंगा।

श्री रामधारी शास्त्री--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इस वक्त शादी विवाह के सीजन को देखते हुए लोगों को स्पेशल चीनी का कोटा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी सिंह--

हम विचार तो कर रहे हैं लेकिन इस समय हमारे पास चीनी की कमी है लेकिन यह पहले ही बताया जा चुका है कि हम वैसी व्यवस्था करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री मैनेजर सिंह--

मन्त्री जी ने कहा कि कोई नियम नहीं है लेकिन उनकी हिदायतें हैं कि 'इन-इन' चीजों पर विचार कर लिया जाय, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि वह 'इन-इन' क्या हैं, इस को वह स्पष्ट कर दें ?

श्री उपाध्यक्ष--

वह उत्तर में है।

## आडिट आफिसर गन्ना विभाग उत्तर प्रदेश की पुनः नियुक्ति

*१७--श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--

क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आडिट आफिसर, गन्ना विभाग, उत्तर प्रदेश जो अब चीफ आडिट आफिसर के अधीन हैं, को धामपुर केन यूनियन के गबन के सम्बन्ध में तथा एक चपरासी के वेतन को नाजायज रूप में लेने के अभियोग में सेवा मुक्त करने का निश्चय किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त अधिकारी को ५५ वर्ष की आयु पूरी होने के पश्चात् पुनः सेवा में उसी पद पर नियुक्त कर काम लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

*१८--श्री अवधेश सिन्हा तथा श्री भगेलू सिंह--

[६वें सोमवार के लिये स्थगित]

## जल-विद्युत् निर्माण खण्ड, फैजाबाद के सहायक स्टोर कीपर एवं अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध आरोप

*१९—श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि असिस्टेंट स्टोर कीपर ज० वि० प्रे० निर्माण खण्ड, फैजाबाद तथा वहां के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध एक लाख बीस हजार रुपये का गबन और दुरुपयोग के लिये चार्ज शीट ६ जुलाई, १९६८ को दी गई? यदि हां, तो उसमें अब तक सरकार ने इस धन के गोलमाल से सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जल विद्युत् निर्माण खण्ड, फैजाबाद के केवल सहायक स्टोर कीपर, श्री राजेंद्र सिंह को गबन और दुरुपयोग के आरोप में जुलाई, १९६८ में चार्जशीट दी गई थी और जांचोपरान्त आरोप सिद्ध पाये जाने पर उन्हें दण्ड दिये गये।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने धन का गबन हुआ और स्टोर कीपर को क्या सजा दी गई?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

प्रारम्भ में जब आडिट हुआ तो उस में १,२०,४११ रुपये ७२ पैसे की स्टोर में कमी निकली लेकिन वेरिफिकेशन और जांच के बाद अन्तिम रूप से यह कमी २५७१.६० रुपये की ठहराई गई। इसके लिये उक्त खंड के सहायक स्टोर कीपर, श्री राजेन्द्र सिंह को कुछ आरोपों के आधार पर चार्जशीट दी गई और मामले की जांच एक कमेटी द्वारा कराई गई जिसके अधिकारी, श्री आर०एस०एल० भटनागर, अधिशासी अभियन्ता, नियुक्त हुये थे। जांच के आधार पर स्टोर कीपर के खिलाफ आरोप सिद्ध पाये गये और वह निलम्बन से मुक्त किये गये तथा निलम्बन अवधि को बिना वेतन माना गया। २ वर्ष के लिये उन की वार्षिक बढ़ोत्तरी रोकी गई और २ वर्ष के लिये ही उन की दक्षता रोक रोकी गई और सामान की कमी की धनराशि यानी २५७१.६० रुपया की वसूली उनसे आसान किस्तों में की जा रही है। और साथ ही सेन्सर करने हेतु भी आदेश दिये गये हैं।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

अभी मन्त्री जी के उत्तर से स्पष्ट हुआ कि बहुत बड़ी रकम का गबन हुआ है लेकिन उसके लिये निलम्बित किया गया और फिर बहाल कर दिया। लेकिन मन्त्री जी कृपया बतायें कि इसमें और कौन-कौन अधिकारी दोषी थे? क्या उनको बचाने के लिये ही छोटे कर्मचारियों को बहाल किया गया ताकि यह रहस्य न खुले?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

रिपोर्ट के आधार पर और कोई तथ्य नहीं है प्रश्न यह है कि स्टोर कीपर के खिलाफ आडिट में आपत्ति लगी और फिर उसका वेरीफिकेशन हुआ और उस में २५७१ रुपये की कमी पायी गई और अधिशासी अभियन्ता, श्री भटनागर द्वारा मामले की जांच कराई गई और उस रुपये की वसूली की व्यवस्था की गई है और वह पैसा वसूल किया जा रहा है और विभिन्न तरीकों से उनको दन्डित किया गया है।

श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या यह सही है कि फैजाबाद की नेशनल इंजीनियरिंग कम्पनी में चीफ इंजीनियर के भाई शेयर होल्डर हैं उनका भी हित इसमें था इसलिये इस मामले में सख्त कार्यवाही नहीं की गई?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

इससे इस प्रश्न का सम्बन्ध नहीं है। स्टोर कीपर पर २४७१ रुपए के गबन का चार्ज था और वह उसका जस्टिफिकेशन न दे सके और इसीलिए उस की वसूली की, दण्ड की और सेन्सर की व्यवस्था की गई है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

जो चार्जशीट दी गई उसमें आरोप क्या थे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जो आडिट आब्जेक्शन्स थे, उनके आधार पर चार्जशीट दी गई और कम्पलायेंस मांगी गई और एग्जिक्यूटिव इंजीनियर, श्री भटनागर की नियुक्ति जांच के लिए की गई और वेरीफिकेशन के बाद अन्तिम रूप से जो कमी पाई गई उसके आधार पर स्टोर कीपर को चार्ज लगाया गया और उसी के आधार पर दन्ड की और वसूली की व्यवस्था की गई।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

मेरा उत्तर नहीं आया, इसमें अधिशासी अभियन्ता ने जानबूझकर गबन किया है और अपने को बचाने के लिये यह सब किया गया है तो क्या मन्त्री जी अधिशासी अभियन्ता के खिलाफ सी०आई०डी० की जांच करायेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मैंने प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी सेंसर के आदेश हैं। अभी जांच की अन्तिम रिपोर्ट नहीं हुयी है। तत्काल जो आरोप लगे थे, उन पर कार्यवाही हो गयी है। रकम की वसूली की किस्तों के आदेश भी हो गये हैं।

## बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील के ग्रामों एवं नलकूपों का विद्युतीकरण तथा आर० ई० सी० स्कीम

*२०---श्री अभिमन्यु प्रसाद पान्डेय (जिला बस्ती)---

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विद्युत् योजना के अन्तर्गत जिला बस्ती के नौगढ़ तहसील में वर्ष १९७०-७१ और १९७१-७२ में कुल कितने ग्रामों एवं नल कूपों के विद्युतीकरण करने की योजना थी ? उन ग्रामों का नाम क्या है तथा किन- किन ग्रामों एवं नलकूपों का विद्युतीकरण हो चुका है और शेष में प्रगति क्या है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

नौगढ़ तहसील में वर्ष १९७०-७१ व ७१-७२ में एल0 टी0 मेन्स के खम्भे बिछाकर ७ गांवों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव था जिनकी सूची संलग्न है। इनमें से ४ का विद्युतीकरण किया जा चुका है, २ का कार्य प्रगति पर है और अन्तिम गांव तीतरी बुजुर्ग से निर्धारित प्रतिलाभ प्राप्त न होने के कारण इसका विद्युतीकरण रद्द अभी नहीं किया जा चुका। नलकूपों के विद्युती-करण का विवरण भी संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १९४-१९५ पर)

*२१---श्री अभिमन्यु प्रसाद पांडेय---

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती की नौगढ़ तहसील में बिजली का फैलाव नहीं के बराबर है उस तहसील के पिछड़ेपन को देखते हुए क्या सरकार नौगढ़ तहसील को आर० ई० सी० स्कीम के अन्तर्गत लेने का विचार कर रही है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत लेने का विचार है।

श्री अभिमन्यु प्रसाद पांडे--

नौगढ़ तहसील की आबादी लगभग ६ लाख है। वहां पर छोटे मोटे १ हजार गांव हैं। अभी तक वहां पर ४ गांव में बिजली पहुंच पायी है। इससे स्पष्ट है कि आपकी ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना बड़ी मंथर गति से चल रही है। क्या आप कोई ऐसी योजना बनायेगें जिससे इस योजना की गति में तेजी ला सकें? यदि हां तो दूसरे गांवों में कब तक विद्युतीकरण हो जायगा?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

नौगढ़ तहसील के लिए विद्युतीकरण की योजना विशेष रूप से बनवाने की योजना है। उसके बन जाने पर इस क्षेत्र का विद्युतीकरण आसानी से हो जायगा।

*२२--श्री गोविन्द सिंह नगी--

[६ठें सोमबार के लिये प्रश्न संख्या ४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२३-२४--श्री भगवती सिंह विशारद--

[५वें शुक्रवार में प्रश्न संख्या ५०-५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२५--श्री त्रिलोक चन्द--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

## डिनेचर्ड स्प्रिट विक्रेता, मंझनपुर, इलाहाबाद के विरुद्ध शिकायतें

*२६--श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)--

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला इलाहाबाद की तहसील, मंझनपुर के डिनेचर्ड स्प्रीट बिक्रेता के विरुद्ध क्षेत्रीय जनता के हस्ताक्षरों द्वारा दिनांक १२ फरवरी, १९७० का तथा सहायक कमिश्नर, इलाहाबाद तथा सहायक कमिश्नर, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भारतीय जनसंघ, इलाहाबाद के उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर से दिनांक २४-४-७१ को कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी हां, आबकारी आयुक्त के ई0 आई0 बी0 अनुभाग में जनसंघ के उपाध्यक्ष, श्री नाथूराम शिक्षक द्वारा हस्ताक्षरित शिकायती-पत्र दिनांक 24-4-71 तथा ग्राम करारी के निवासियों द्वारा हस्ताक्षरित शिकायती पत्र दिनांक 12-2-71 प्राप्त हुए हैं जिनमें मंगल लाल वर्मा के विरुद्ध जो इलाहाबाद जिले की तहसील मंझनपुर के विकृत स्प्रिट के अनुज्ञापी हैं शिकायतें की गई हैं। संक्षेप में शिकायतें निम्नलिखित हैं:--

ये अनुज्ञापी ग्राम करारी के रहने वाले है और जब से इन्होंने मंझनपुर का बिकृत स्प्रिट की बिक्री का अनुज्ञापन लिया है काफी धन कमाया है और लगभग 1 लाख की लागत की कोठी ग्राम में बना ली तथा ग्राम करारी में भी अपने रिश्तेदारों के माध्म से स्प्रिट की बिक्री अवैधानिक तरीके से लोगों के पीने के लिए करते हैं जिससे जनता के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसी प्रकार श्री मंगल लाल वर्मा, मंझनपुर के ठेके से भी पीने के लिए स्प्रिट बेचते हैं।

इसके अतिरिक्त इन शिकायती-पत्रों में यह भी आरोप लगाये गये हैं कि ये असमाजिक तत्वों को आर्थिक सहायता देकर समाज में अनैतिकता को बढ़ावा देते हैं तथा जुआ आदि खिलाने म इनका पुलिस द्वारा चालान भी किया जा चुका है किन्तु राजनैतिक प्रभाव के कारण ये छूट गये हैं।

---

ोट:--तारांकित प्रश्न संख्या २१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हुआ।

[ श्री स्वामी प्रसाद सिंह ]

इन शिकायती-पत्रों की जांच आबकारी अधीक्षक (रेगुलर), इलाहाबाद तथा जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा अलग-अलग करायी गयी है और जो जांच रिपोर्ट प्राप्त हुयी है उनसे यह निष्कर्ष निकला है कि उक्त आरोप सिद्ध नहीं होते और शिकायत राजनैतिक पार्टीबन्दी की दुश्मनी से की गई प्रतीत होती है ।

## सहायक अभियन्ता (विद्युत्), गंगोहा, जिला सहारनपुर का निवास स्थान

*२७—श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहायक अभियन्ता (विद्युत), गंगोह जिला सहारनपुर ने अपना निवास स्थान गंगोह की बजाय सहारनपुर खास में बना रखा है और वे प्रतिदिन, सहारनपुर से गंगोह आते जाते हैं जिसकी दूरी लगभग 28 मील है ? यदि हां, तो उन्होंने ऐसा किसकी स्वीकृति से कर रखा है और क्या यह नियम विरुद्ध नहीं है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी:—

जी नहीं ।

सहायक अभियन्ता, उपखण्ड गंगोह, ने अपना निवास स्थान गंगोह ही में बना रखा है परन्तु उन्हें जब कभी अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड, सहारनपुर बुलाते ह अथवा जब कार्यालय का काम पड़ता है तभी वह सहारनपुर आते जाते हैं ।

*२८—श्री राम सिंह—

[राज्य सरकार से असम्बद्ध के कारण निरस्त]

*२९—श्री कल्याण सिंह—

[९ वें सोमवार में तारांकित प्रश्न ७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## विभागाध्यक्षों द्वारा लेखा रखे जाने वाले ऋणों का बकाया

*३०—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि गत तीन वर्षों में उन ऋणों के बकायों को, जिनका लेखा विभागाध्यक्षों द्वारा रखा जाता है, दूर करने हेतु वित्त विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? तथा उनके क्या परिणाम निकले ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

ऋणो की स्वीकृति उनका वितरण तथा वसूली इत्यादि का उत्तरदायित्व ऋण स्वीकृत करनेवाले प्रशासकीय विभागों का होता है । फिर भी वित्त विभाग यह देखने के लिए कि ऋणों की वसूली भली भांति चल रही है सचिवालय के समस्त विभागों से, विभागाध्यक्षों द्वारा बांटे गये ऋणों की वसूली तथा बकाया आदि का विवरण एक निर्धारित रूप पत्र पर छःमाही मंगाता है और आवश्यकतानुसार विभागीय सचिवों का ध्यान बढ़ती हुई बकाया की ओर आकर्षित करते हुए उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को ऋणों को शीघ्र वसूली के लिए उचित निर्देश दे दें । समय समय पर होने वाली वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के सम्मेलनों भी वित्त विभाग बकायों की स्थिति का मसला सदैव उनके विचारार्थ रखता रहा है । इन उपायों के कारण ऋणों के बकायों की वसूली में प्रगति अवश्य होती है पर यह कहना सम्भव नहीं है कि क्या निश्चित परिणाम निकलें हैं ।

*३१—श्री सूरज लाल गुप्त—

[६ वें सोमवार के लिये स्थगित]

## प्रदेश के जिलों में चीनी का आवंटन

*३२—श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी गढ़वाल) तथा श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में कितनी चीनी आवंटित की जाती है तथा आवंटित के आधार क्या हैं? और भारत सरकार से जो २५,००० टन आवंटित है उसमें शहरी क्षेत्रों को कितनी तथा देहाती क्षेत्रों में कितनी चीनी दी जाती है ?

श्री बेनी सिंह—

प्रदेश के २५,००० मी० टन के चीनी कोटे को किस प्रकार प्रदेश के समस्त जिलों में बांटा जाता है उसकी सूचना सदन की मेज पर रख दी गई। जिलों को चीनी का आवंटन प्रदेश के कोटे को ध्यान में रखते हुए उसकी नगर एवं ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। शहर में प्रति यूनिट प्रतिमास एक किलो तथा देहात में एक समय में एक व्यक्ति को ग्राम प्रधान की पर्ची पर एक किलो चीनी दी जाती है। शहरी क्षेत्र तथा देहाती क्षेत्रों में कितनी चीनी बटती है, उसके पृथक पृथक आंकड़े शासन के पास नहीं हैं क्योंकि शासन द्वारा जिलास्तर पर चीनी का आवंटन किया जाता है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १९६–१९७ पर)

*३३—श्री कृष्ण सिंह—

[७वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ५६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## खाद्य निरीक्षक के पद पर ज्येष्ठ लेखा लिपिकों की पदोन्नति एवं पुराने नियम

*३४—श्री सूबे दार प्रसाद (जिला मिर्जापुर) तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य विभाग में खाद्य निरीक्षक के पद पर कितने ज्येष्ठ लेखा लिपिक इस समय कार्य कर रहे हैं और उनके निरीक्षक पद पर पदोन्नति के आधार क्या हैं ?

श्री बेनी सिंह—

खाद्य विभाग में इस समय ३२ ज्येष्ठ लेखा लिपिक खाद्य निरीक्षक (पूर्ति निरीक्षक व ज्येष्ठ निरीक्षक) के पदों पर कार्यरत हैं।

इन ज्येष्ठ लेखा लिपिकों को १ अप्रैल, १९६५ के पूर्व उक्त पद से उच्च वेतनमान के पदों पर प्रोन्नति दी गयी।

*३५—श्री सूबेदार प्रसाद तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या खाद्य मंत्री यह भी बतायेंगे कि खाद्य विभाग में ज्येष्ठ लेखा लिपिक को निरीक्षक पद पर कार्य करने के पुराने नियम को रद्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उसे सदन क पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बेनी सिंह—

खाद्य विभाग में ज्येष्ठ लेखा लिपिक को निरीक्षक के पद पर कार्य करने की पुरानी पद्धति को रद्द कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में जारी किये गये आदेशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखना जनहित में उचित नहीं होगा।

## अतारांकित प्रश्न

### विजिलेन्स यूनिट द्वारा ग्राम्य विद्युतीकरण एवं निर्माण मंडल (गंगा सर्किल, हाईडिल विभाग), अलीगढ़ के कर्मचारियों तथा राज्य पत्रित अधिकारियों की जांच

१—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि माह जनवरी, १९७१ से १५ मार्च, ७२ तक की अवधि में ग्राम्य विद्युतीकरण एवं निर्माण मंडल (गंगा सर्किल हाइडिल विभाग), अलीगढ़ के किस-किस कर्मचारी तथा (राजपत्रित अधिकारी) के विरुद्ध क्या-क्या आरोप थे और जांच का परिणाम क्या रहा तथा सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जनवरी, १९७१ से मार्च, १९७२ तक कुल मिलाकर अलीगढ़ अनुरक्षण एवं ग्राम्य विद्युतीकरण मण्डल के पचीस कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध परिषद की सतर्कता इकाई द्वारा जांच की गई। इनमें से ६ को निलम्बित करके उनके विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही की जा रही है। दो की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। बारह व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है। दो का स्थानान्तरण किया गया है। शेष के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हुए। विस्तृत सूचना प्रस्तुत करना जनहित में उचित नहीं होगा।

## उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७२

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७२ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २२ मार्च, १९७२ के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ७ अप्रैल, १९७२ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १४ अप्रैल, १९७२ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९७२ का उत्तर प्रदेश का १६ वां अधिनियम बन गया।

## उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९७२

श्री सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९७२ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक ३ अप्रैल, १९७२ के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १० अप्रैल, १९७२ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १५ अप्रैल, १९७२ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७२ का उत्तर प्रदेश का १७ वां अधिनियम बन गया।

## उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९७२

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९७२, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक ३ अप्रैल, १९७२ के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १० अप्रैल, १९७२ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १५ अप्रैल, १९७२ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९७२ का उत्तर प्रदेश का १८ वां अधिनियम बन गया।

## 'तरुण राष्ट्र' के सम्पादक एवं मुद्रक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

विशेषाधिकार के अन्तर्गत एक सूचना मिली है। यह है परिवहन मंत्री के बारे में, माननीय विश्वनाथ कपूर, बंशीधर पांडय और सुरेंद्र विक्रम ने दी है। इसमें एक अखबार का हवाला दिया है जिसमें यह छपा है। माननीय मंत्री को एतराज है जो आपको है या किसी और माननीय सदस्य को है . . .

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---
श्रीमन्, इसको पढ़ कर सुना दें ?

श्री उपाध्यक्ष---
यही आपका अभिप्राय होगा लेकिन मैं इसे अब नहीं पढ़ रहा हूं ।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)---
मैंने विशेषाकिार का प्रश्न उठाया है । मैंने लिखा है कि तरुण राष्ट्र साप्ताहिक पत्रिका में 5 अप्रैल को माननीय श्री बलराम सिंह यादव, विधान सभा के सदस्य के विरुद्ध निम्न सूचना "सुरा, सुन्दरी और पायल की झंकारों के बीच परिवहन मंत्री, बलराम सिंह यादव या वाजिद अली शाह" के अन्तर्गत गलत बातें जानबूझ कर नुक्सान पहुंचाने तथा बदनाम करने के लिये दुर्भावना से प्रेरित होकर छापा है । इसमें यह भी लिखा है कि माननीय अनन्त राम जायसवाल जी ने प्रश्न उठाया था तो माननीय जायसवाल जी ने यहां पर कोई प्रश्न नहीं उठाया था, आप कार्यवाही को दिखवा लें । इसमें कानपुर की एक प्रसिद्ध वैश्या का भी नाम. . . .

श्री उपाध्यक्ष---
अगर किसी माननीय सदस्य की विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न हो तो वह स्वयं कह सकते हैं । अखबार के विरुद्ध स्वयं उठायें। इस तरह से मैं इजाजत नहीं देता हूं।

## कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष---
जो कार्य-स्थगन की सूचनायें हैं, उनमें से एक माननीय मनोहर लाल, राम करन सिंह श्री कृष्ण बाजपेयी, शिव पाल सिंह और मोहम्मद असरार अहमद की, कानपुर जनपद के पैथपुल गंज मोहल्ला की जनता पर पुलिस के अत्याचार के बारे में है । इसको वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा ने उत्तर प्रदेश सहकारी विभाग के सुपरवाइजर कामदारों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल की ओर ध्यान आकर्षित किया है। यह विषय तो पहले हो चुका है। इसलिये स्वीकार नहीं किया गया।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---
मान्यवर, तीन रोज से ग्यारह आदमी यहां हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं । माननीय महोदय, यह समय बीज बांटने का है । सारा काम उनकी हड़ताल के कारण ठप्प है । इस वास्ते इस पर सरकार का वक्तव्य जरूर दिलायें । नहीं तो यह अन्याय की बात होगी ।

श्री उपाध्यक्ष---
यह अस्वीकार किया गया है ।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी तथा श्री विश्वनाथ कपूर द्वारा प्रयाग विश्वविद्यालय में छात्रों की उपस्थिति को लेकर तनाव एवं विस्फोटक स्थिति के प्रति ध्यान आकृष्ट किया गया है । जहां छात्रों ने कापियां फाड़ दी हैं । यह तो विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के अन्तर्गत आता है । इस पर सरकार का सीधा संबंध नहीं है । इस लिये यह स्वीकार नहीं किया गया है ।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)---
महोदय, इसमें रजिस्ट्रार पर १८ हजार रुपये के गबन का चार्ज है । वे निलम्बित भी कर दिये गये हैं । कागजात जला दिया गया है, हाजिरी के रजिस्ट्रर भी जला दिये गये हैं । कापियां फाड़ी जा रही हैं । कोई प्रशासन वहां पर नहीं है । अभी तक एक अस्थायी उप-कुलपति वहां पर चल रहे हैं । उपकुलपति का स्थायी निदेशन अभी तक नहीं हुआ है । इम्तहान पोस्टपोन कर दिये गये हैं । आगे क्या होगा यह पता नहीं है । क्या यूनिवर्सिटी ही भंग कर देनी पड़ेगी, कुछ पता नहीं है । इस पर शासन को ध्यान देना चाहिये । इस पर कम से कम वक्तव्य तो दिला दें ।

(व्यवधान)

(श्री रामगोपाल संड तथा श्री नित्यानन्द स्वामी के बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय चन्द्रमोहन सिंह नेगी ने विश्वविद्यालय के बारे में प्रश्न रक्खा है। इसको हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं। यह तो विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का प्रश्न है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, स्वायत्तता तो है परन्तु किसी न किसी जगह जाकर सरकार से इसका संबंध है। वाराणसी विश्वविद्यालय जो हिन्दू विश्वविद्यालय है, उसकी चर्चा यहां पर हो चुकी है इसी सदन में। जो गम्भीर बातें बताई हैं नेगी जी ने वे इतनी गम्भीर हैं जो ला ऐंड आर्डर के पहलू हैं वे तो डिस्कस हो ही सकते हैं। उसको ले लें तो उसके अन्तर्गत पूरी चर्चा हो सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री रामगोपाल संड के प्रति) जब मैं सबको सुन रहा हूं तो आप क्यों उतावले हो रहे हैं। आप समय क्यों नष्ट कर रहे हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

अभी आपने अच्छी बात की कि वहां विश्वविद्यालय स्वायत्तता में रहते हैं। इन बनारस और अलीगढ़ को छोड़ दीजिये बाकी सारे विश्वविद्यालय जो कि इस हाउस के ऐक्ट के अन्तर्गत चलते हैं....

श्री उपाध्यक्ष—

परीक्षायें सरकार नहीं चलाती है।

श्री बंशीधर पांडेय—

तो मैं कह रहा था कि इस हाउस का इसलिये इन्हेरेन्ट राइट हो जाता है कि जिस आटोनामस बाडी के लिये वह एनेक्टमेंट करती है तो जिस किसी कार्यक्रम में उसके व्यवधान पैदा हो जाता है तो सरकार का ध्यान उस पर जाता है और सरकार उसमें दखल दे सकती है। इसी हाउस में सरकार ने कई बार कहा है कि पुलिस यूनिवर्सिटी कैम्पस में नहीं जायेगी परन्तु ला ऐंड आर्डर की दृष्टि से वह भी महरूम नहीं रह सकते।

श्री उपाध्यक्ष—

वाइस–चांसलर की अनुमति से.....

श्री बंशीधर पांडेय—

वाइस–चांसलर की अनुमति न भी....

मान्यवर आप रिपोर्ट पढ़कर देख लें अगर ला ऐंड आर्डर को लेकर अगर कोई गड़बड़ होती है तो, शासन को हस्ताक्षेप करने का पूरा अधिकार है और इसी स्वायत्तता को लेकर एक बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि अगर वहां कत्ल हो तो क्या गवर्नमेंट जरूर ध्यान देगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें लिखा है कि विगत कई वर्षों तक उपस्थिति के प्रश्न को लेकर प्रयाग विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और अधिकारियों में तनाव चलता रहा है और हर साल ३० से लेकर ४० प्रतिशत तक विद्यार्थी अपनी हाजिरी माफ करवा कर इम्तहान देते रहे हैं। इस वर्ष भी यही समस्या थी की विद्यार्थियों की हाजिरी किस तरह से और किस बहाने भरी जाय। विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने इस पर स्पष्ट निर्णय नहीं किया और कुछ की हाजिरी माफ हुयी और कुछ

रह गये । इसी आक्रोश को लेकर ७ अप्रैल को उनकी एक आम सभा उपकुलपति के कमरे के सामने हुयी और उसके बाद सामूहिक रूप से विश्वविद्यालय के कार्यालय में कागजात फाड़ कर जला दिये गये । एक समस्या यह भी है कि विश्वविद्यालय के हिसाब किताब में बड़ा गोलमाल है और सहायक रजिस्ट्रार को कोषाध्यक्ष को कागज न देने पर निलम्बित कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त पिछले दो वर्षों से विश्वविद्यालय में कोई स्थायी उपकुलपति नियुक्त नहीं हुआ है वर्तमान उपकुलपति श्री चन्द्रमोहन भाटिया अस्थायी नियुक्ति के कारण अपना दायित्व निभाने में असमर्थ तथा उदासीन हैं. . . . .

यह आपने विवरण दिया है ।

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, दो-तीन पैरा और दिये हैं, उन्हें भी पढ़े तब स्थिति और स्पष्ट हो जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

उपरोक्त कारणों से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है । उपरोक्त घटनाओं के साथ ही श्री जगदीश दीक्षित नाम के विद्यार्थी को निलम्बित कर दिया गया है और इसी मे हाजिरी तथा कड़े परचे की घटना भी मिल गई और राजनीतिक का भी समावेश हो गया है क्योंकि श्री जगदीश दीक्षित समाजवादी युवजन के सदस्य हैं और यूनियन के अध्यक्ष और युवक कांग्रेस के नेता हैं ।

७ अप्रैल को इन सारे मुद्दों को लेकर लूटपाट, आगजनी भी की गई अधिकारियों के अनुसार विश्वविद्यालय के लेखा-जोखा के कागजात जला दिये गये और विद्यार्थियों का कहना है कि सिर्फ हाजिरी के कागजात जला दिये गये । १८,१९ तथा २० अप्रैल को क्रमशः एम०एस-सी०, एम० काम० और बी०एस-सी० के इम्तहान हुये लेकिन उपद्रवी तत्वों के कारण बड़ी संख्या में छात्रों ने परीक्षायें त्यागी और उदंड तत्वों ने परीक्षा की कापियां भी फाड़ीं कुछ परीक्षाओं को दुबारा लेने पर भी कार्यकारिणी द्वारा विचार किया गया है । इस सारी घटना के कारण विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का पहुंचा है और शैक्षिक जीवन की नींव हिल गई है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इसमें कानूनी व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, इलाहाबाद के वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष ने एक कांफ्रेंस बुलाई जिसके अन्दर उन्होंने कहा कि हम पुलिस भेजेंगे । मान्यवर, कानूनी बात इसलिये आती है कि वहां पर ३८ लाख रुपये का गबन हुआ है । वहां पर लगभग २०० परीक्षार्थी को मौका नहीं दिया गया । शिक्षा मंत्री जी इस पर कहें कि वहां पुलिस तैनात कर दी जाय जिससे नियमित रूप से परीक्षा हो सकें ।

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री नगीना सिंह)—

मान्यवर, हमें विश्वविद्यालय के उपकुलपति से कोई भी नोटिस प्राप्त नहीं हुयी कि उनके यहां अव्यवस्था है और पुलिस की अवश्यकता होगी । मान्यवर, यह घटना ७ तारीख की है और आज २४ तारीख है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित एक व्यवस्था उठाना चाहता हूं. . . . .

श्री रामगोपाल संड—

मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहता हूं । १८,१९ और २० तारीख को परीक्षायें नहीं हुईं असामाजिक तत्व विश्वविद्यालय में घुस गये । कल शिक्षा मंत्री जी भी इलाहाबाद में थे और उनको स्थिति पता है वह वक्तव्य दे दें ।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, कार्य-स्थगन का प्रस्ताव तो मैंने दिया है कृपया मुझको तो सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने आपका पत्र शुरू से आखीर तक तो पढ़ दिया ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

शिक्षा मंत्री जी ने तो कह दिया कि क्योंकि हमको कोई सूचना नहीं दी गई इसलिये हम कैसे इन्टरफियररेन्स कर सकते हैं । जैसा कि सन्ड जी ने कहा कि पुलिस अधीक्षक से बात हुई और पी०ए०सी० वहां पर भेज दी गई है और भेजी जा रही है । सरकार को इसकी सूचना है । इसको आप स्वीकार कर लें ।

*मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मुख्य मंत्री को सभी सूचना है और जो सूचना नहीं है वह माननीय सदस्यों के द्वारा प्राप्त हो जाती है जिससे उनको बहुत प्रकाश मिलता है । प्रश्न में यह करना चाहता हूं कि हर समय हर डंडे से सरकार को पीटने की कोशिश नहीं करनी चाहिये । हमारे जो सदस्य हैं वे उत्तरदायी लोग हैं । अगर पुलिस प्रवेश कर जाय तो प्रश्न होता है कि पुलिस को प्रवेश नहीं करना चाहिये और अगर पुलिस प्रवेश नहीं करती है तो कहा जाता है कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया । चित भी उनकी और पट्ट भी उनकी, दाहिनी भी उनकी और बाईं भी उनकी । आप लोग उत्तरदायी लोग हैं ।

श्री रामगोपाल संड—

उनकी परीक्षा स्थगित हो गई है, उस पर प्रकाश डालें—

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की सूचना हमको मिली, अखबारों से भी आप सदस्यों से भी । वहां की परीक्षायें १८,१९ और २० तारीख को रोकी गईं परन्तु वहां के इम्तहान आज २४ तारीख से शुरू हो रहे हैं। मुझको और कोई सूचना नहीं है। यह सूचना जरूर है कि वहां के अधिकारियों से उप कुलपति बातचीत कर रहे हैं। वहां के अधिकारियों को यह अधिकार है कि वे वाइस-चांसलर से बातचीत करने के बाद जैसी परिस्थिति हो वैसी कार्यवाही करें । सरकार के पास वाइस-चांसलर को लिखने की जरूरत नहीं है। कोई लिखित रूप में हमारे पास उनकी कोई सूचना नहीं है। वहां के स्थानीय अधिकारी जैसे कि कमिश्नर, कलेक्टर और एस० एस० पी० ने वाइस चांसलर तथा श्री कन्हैयालाल जी से बातचीत की । इम्तहान लेने के बारे में बात हुयी और यह तय हुआ कि वह लिया जाय । वाइस-चांसलर चाहते हैं कि इम्तहान में कोई गड़बड़ी न हो पाये । इलाहाबाद की ऐसी स्थिति है कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी खड़ी हो सकती है। ऐसी स्थिति में अगर यहां पर बहुत बातचीत की जाय जब कि उनकी परीक्षायें आरम्भ हो रही है तो हो सकता है कि स्थिति उलझ जाय तो ठीक नहीं होगा। यह तो उपयुक्त नहीं है कि हर एक चीज में सरकार को डाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

विश्वविद्यालय की कार्यवाही को कार्य स्थगन का विषय नहीं बनाया का सकता है । इसमें नियम है.....

श्री विश्वनाथ कपूर—

मान्यवर, मेरी एक बात सुन लें । माननीय मुख्य मंत्री जी की सारी बातों को मैंने सुना । परीक्षाओं के लेने की बातचीत चल रही है । आज की जो स्थिति है उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी को पूरी सूचना मिल जायेगी तो वह कृपा करके कल इस पर बयान दे दें तो सभी सदस्य इससे आश्वस्त हो जायेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष

अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों में कार्य स्थगन प्रस्ताव से संबंधित निर्णय १६ विश्वविद्यालय की अन्तरंग कार्यवाही को कार्य स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बनाया जा सकता ।

४ अगस्त, १९५९ को श्री राजनारायण के एक कार्य स्थगन के प्रस्ताव के संबंध में श्री अध्यक्ष ने कहा:—

"मैं समझता हूं कि जहांतक यह विश्वविद्यालय के अन्तर्गत निर्णय का मामला है इस कारण सदन में इसके ऊपर विचार नहीं हो सकता क्योंकि विश्वविद्यालयों के स्वातंत्र्य के ऊपर इससे असर पड़ता है मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं ।"

इस संबंध में श्री राज नारायण द्वारा एक वैधानिक प्रश्न उठाने पर कि विश्वविद्यालयों के द्वारा कानून की अवहेलना होने पर क्या सदन उस पर विचार नहीं कर सकता । श्री अध्यक्ष ने कहा :

"कानून की अवहेलना अगर किसी आटोनामस बाडी के द्वारा हो तो अदालती कार्यवाही तो खुली है परन्तु उसके कार्य के ऊपर हस्तक्षेप करना उसे आटोनामी देने के बाद यह आदरणीय सदन उचित नहीं समझेगा ।"

निर्णय ४९—प्रादेशिक सरकार से प्रत्यक्ष संबंध न रखने वाला कोई विषय कार्य स्थगन प्र ताव का विषय नहीं बनाया जा सकता ।

२३ जुलाई, १९५२ को गन फैक्टरी क्वार्टर्स, लखनऊ में पानी के कनेक्शन काटने के ऊपर श्री नारायण दत्त तिवारी को कार्य स्थगन प्रस्ताव के संबंध में श्री अध्यक्ष ने कहा कि "इस प्रस्ताव का संबंध केंद्रीय सरकार से है और प्रादेशिक सरकार से उसका कोई संबंध नहीं है, इसलिये यह कार्य स्थगन प्रस्ताव सदन में नहीं रक्खा जा सकता ।

प्रान्तीय जहां तक काम रोको प्रस्ताव का संबंध है गवर्नमेंट की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रांतीय सरकार से इसका कोई संबंध नहीं है। ऐसी अवस्था में मैं समझता हूं कि यह काम रोको प्रस्ताव अवध है । इसको पेश करने की इजाजत मैं नहीं देता हूं ।"

श्री बंशीधर पांडेय—

केंद्र से यह.....

श्री उपाध्यक्ष—

म समझता हूं कि यह काम रोको प्रस्ताव अवैध है । इसको पेश करने की इजाजत मैं नहीं देता हूं ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

कल मुख्य मंत्री जी इलाहाबाद में थे वह स्थिति बतला दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

यदि वह कुछ कहना चाहते हैं तो रुकावट नहीं है।

श्री बंशी धर पांडेय ने सदन को सूचना दी है सरकार ने १५ अप्रैल, ७२ से गेहूं खरीदने की बात है लेकिन खरीद नहीं रही है।

श्री सुरेंद्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

सरकार ने गेहूं खरीदने की योजना इसलिये बनाई है कि छोटे काश्तकारों को प्राइस सपोर्ट मिल सके । यह निश्चित हुआ था कि १५-४-७२ से १५-५-७२ तक खरीद की जाये।

लेकिन गांवों में खरीद अबतक शुरू नहीं हुयी है। विशेषकर जहां पी०सी० एफ० के सेन्टर्स हैं वहां रुपया नहीं भेजा गया है। तो किसान ने अपना गेहूं मंडियों में आढ़तियों को बेचना शुरू कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

परसों जब इसका अनुदान आया था तो आपको कहना चाहिये था। वैसे जो आपका मत है और जो आपने कहा है उसको मंत्री जी के पास भेजे देता हूं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

सरकार बतला दे कि क्या सभी जगह रुपया पहुंच गया है और खरीद शुरू हुयी या नहीं ?

श्री चन्द्र भान शर्मा—

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

२७ को छुट्टी है, २८ को हाउस है, २९ को फिर छुट्टी है। कटाई का समय है, इसलिये २८ को छुट्टी कर दी जाय। यह सभी चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह अनुचित है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

पंचायत इलेक्शन होने जा रहे हैं।

## १९७२–७३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—

## अनुदान संख्या ६—स्टाम्प

सूचना उपमंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६—स्टाम्प, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २३,४७,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६—स्टाम्प के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २३,४७,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## अनुदान संख्या ७—निबन्धन

सूचना उप-मंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७—निबन्धन, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३८,२७,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री उपाध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७——निबन्धन, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३८,२७,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## अनुदान संख्या ८——राज्य विधान मण्डल

सूचना उपमंत्री (श्री गुलाब सिंह)——

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्तयव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८——राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६६,०१,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)——

श्रीमन्, यह विवाद का विषय नहीं है लेकिन आपको ध्यान होगा कि विधान मडल के संबंध में एक रिआर्गेनाइजेशन कमेटी सन् १९६६ में बनी थी और तब से लेकर आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर चर्चा भी पूरी नहीं हो पायी और उस कमेटी की रिपोर्ट के अन्दर जो व्यवस्थायें हैं उसके अन्दर आप देखेंगे कि यहां पर जो विधान मंडल के कर्मचारी, पदाधिकारी हैं उनके वेतन क्रम के बारे में, उनकी सेवा शर्तों के बारे में आज तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है । आप श्रीमन्, यहां पर पीठासीन हैं, मुझे नहीं कहना चाहिये लेकिन कोई भी पीठासीन हो, हमारे उपाध्यक्ष महोदय को प्रत्येक विधान मंडल में राज्य मंत्री का ओहदा प्राप्त है लेकिन यहां केवल उपमंत्री का । हमारे जो सचिव हैं उनसे या आपसे चाहे हमारे कई बार मतभेद होते हैं, वे अन्य विधान सभाओं के सचिवों से कम वेतन पाते हैं । इसी प्रकार जो स्टेनोज हैं विशेषकर रिपोटर्स उन्हें भी वह एलाउन्स नहीं मिलता जो सेशन काल में उन्हें मिलना चाहिये । हमारे गार्ड्स ६० रुपये के वेतन क्रम में हैं । जो अनुसचिव हैं हमार यहां वे ७५० रु० के वेतन क्रम में हैं जबकि सचिवालय में अनुसचिव ८५० से ११५० रु० वेतन क्रम को पाते है । जो अनुसचिव नयी समितियों के अन्दर रखे गये हैं उनको समिति अधिकारी बना दिया गया है । मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि सन् १९६६ से लेकर आजतक उस रिपोर्ट पर चर्चा नहीं हुयी है। वित्त विभाग ने क्या किया ? वहां वित्त विभाग ने अपने अधिकारियों के लिये नई सुविधायें घोषित कर दी हैं। यहीं इसी प्रकार है कि अन्धा बांटे सीरनी फिर फिर अपने को दे । यहां ये लोग मूक हैं । यहां के पदाधिकारियों, कर्मचारियों का प्रश्न सदन में नहीं उठ सकता । यहां बहुत से कर्मचारी तो अस्थायी ही चले आ रहे हैं उन्हें स्थायी क्यों नहीं किया जाता?

तो इन कर्मचारियों व अधिकारियों की बातें कहां पर कही जाएं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर सरकार दो बातों में से एक बात कर ले । यह जो रिआर्गेनाइजेशन कमेटी है, उसकी रिपोर्ट पर चर्चा हो जाय । मान्यवर, इसमें बड़ा खतरा है । जुडीशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग इसीलिये किया गया । लेकिन यह विधान मण्डल है । अगर वित्त विभाग के मातहत रहा तो स्वतन्त्रता का हरण होगा । यह केवल कर्मचारियों का मसला नहीं है यह सारे सदन की अवमानता और गरिमा का प्रश्न है । अगर आप पीठासीन न होते तो मान्यवर, मैं और जोरदार शब्दों में इस बात को कहता ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह मामला अध्यक्ष और शासन के बीच में है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, इसमें अध्यक्ष की अवहेलना की गयी है। कैबिनेट की मीटिंग होती है, उसमें अध्यक्ष को कौन रिप्रेजेन्ट करता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह स्वयं नहीं जायेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

लेकिन उनकी बात कौन सुनेगा ?

श्री उपाध्यक्ष —

सरकार ने सुन लिया है। यह स्पीकर और सरकार के बीच का मामला है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

रिआर्गेनाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट पर मान्यवर चर्चा की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य-मंत्रणा समिति में आपके नेताओं ने क्यों नहीं किया। इतना आपने कह दिया, वह काफी है।

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८—राज्य विधान मण्डल, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६६,०१,७०० रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## अनुदान संख्या ३९—अधिवर्ष भत्ते और पेन्शने

सूचना उपमंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्तव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३९—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनों, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,८६,७२,३०० रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३९—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें, को अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,८६,७२,३०० रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## अनुदान संख्या ५१—पेन्शनों का राशिमल्य

सूचना उप मंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५१—पेंशनों का राशिमूल्य, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६,४८,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री उपाध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५१——पेंशनों का राशिमूल्य, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६,४८,१०० रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

## अनुदान संख्या ४——बिक्री-कर तथा अनुदान संख्या ५३——ब्याज वाले ऋण और अग्रिम

विद्युत् राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)——

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४——बिक्रीकर, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,२१,६४,००० रु० से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं राज्यपाल की शिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५३——ब्याज वाले ऋण और अग्रिम, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ८१,४८,२६,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, बिक्री-कर संबंधी अनुदान आपकी सेवा में प्रस्तुत करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । इसके ऊपर मैं थोड़ा प्रकाश डाल देना चाहता हूं । बिक्री-कर प्रदेश की आय का एक प्रमुख स्रोत है । सर्व प्रथम वर्ष १९४८–४९ में बिक्री-कर लगाया गया था और प्रारम्भ में कुल आय ४.२३ करोड़ रुपये की थी । शनैः शनैः बिक्री-कर की आय बढ़ती गई और वह प्रदेश की आय का प्रमुख स्रोत हो गई और आज २३ वर्षों में उसकी आय १४ गुनी हो गयी है । आज तक ४५० करोड़ रुपयों से भी अधिक की आय हो चुकी है । इस प्रकार राज्य के कर राजस्व में बिक्री-कर का प्रमुख स्थान हो गया है । आय में निरन्तर वृद्धि के फलस्वरुप बिक्री-कर के प्रशासनिक ढांचे और कर-प्रणाली में समय-समय पर सुधार एवं संशोधन की आवश्यकता का अनुभव किया गया है ।

सबसे पहले यह देखा गया कि यह केवल कर और राजस्व का ही एकमात्र स्रोत न रहे बल्कि इससे प्रदेश की प्रगति में किसी प्रकार की बाधा भी उत्पन्न न हो और गृह उद्योग और ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन मिले । इस दिशा में खादी आश्रम, मेरठ तथा आल इंडिया स्पिनर्स एसोसियेशन द्वारा की गयी खरीद पर कर मुक्ति प्रदान की गयी है ।

करापवंचन की रोकथाम के लिए अनेक कदम उठाये गये है तथा अधिनियम में कई संशोधन किये गये हैं । करापवंचन को रोकने के लिये बिक्री-कर विभाग ने एक विशेष अभियान चलाया है और इसके लिए चेकपोस्ट भी स्थापित किये गये । बिक्री-कर अधिनियम को नये सिरे से बनाये जाने का कार्य किया जा रहा है और आशा है इसका नया विधेयक शीघ्र ही इस सत्र में प्रस्तुत किया जाने वाला है ।

मान्यवर, बिक्री-कर के प्रशासन को और सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित करने के उद्देश्य से कुछ नई योजनाओं को चालू किया जा रहा है । राज्य के वर्तमान सहायक आयुक्त के ८ रेंजों को बढ़ा कर १० रेन्जों में विभक्त किया जा रहा है जिससे प्रशासनिक नियंत्रण और सुव्यवस्थित एवं प्रभावकारी हो सके । दूसरा प्रस्ताव करापवंचन की रोकथाम के लिये २ नये विशेष

[श्री गोस्वामी राधाकृष्ण]

अनुसंधान शाखा के रेन्जों के खोलने से संबंधित है। बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण और कर-निर्धारण के लिए विशेष मंडल स्थापित करने की योजना भी बनाई गई है। कर-निर्धारण अधिकारियों के कोटे को कम करने पर भी विचार किया जा चुका है और अधिकारियों की नियुक्ति के बाद इन्हें कर दिया जायेगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

माननीय सदस्य पढ़ रहे हैं।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मैं पढ़ नहीं रहा हूं, ये तो प्वाइंट्स हैं जो कि नोट किए हुए हैं।

रिसर्च सेल की स्थापना के लिये आवश्यक कार्यवाही हो रही है। प्रस्तावित रिसर्च सेल की स्थापना राजस्व-वृद्धि के हित में होगी। व्यापारियों की सुविधा हेतु भी बहुत से कदम उठाये गये हैं। औद्योगीकरण के लिये भी एक नियत अवधि तक के लिये कर माफ किया गया है ताकि उसकी प्रगति में किसी प्रकार की कोई बाधा उपस्थित न हो। कर प्रणाली में इस हेतु काफी संशोधन भी किये गये हैं। १५-११-१९७१ से गल्ले पर बहुसूत्री कर लगा दिया गया है। इससे व्यापारियों को जो असुविधा होती थी वह नहीं होने पायेगी। इमारती लकड़ी पर एक सूत्री कर अब वन विभाग ही अदा करेगा, ऐसी व्यवस्था की गयी है।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त बिक्री-कर की वसूली के लिये भी विशेष प्रयास किये गये हैं ताकि बकाया रकम शीघ्र वसूल हो सके। हमारे प्रयासों के फलस्वरुप ही पिछले वर्षों में बकाया धनराशि की वसूली में काफी प्रगति रही है। शासन का उत्तरोत्तर यह प्रयास रहता है कि प्रदेश के राजस्व में किसी प्रकार की क्षति न हो। बिक्री-कर राज्य आय का एक प्रमुख स्रोत है, इसलिये इसमें सुधार लाने के लिये बराबर जो सुझाव आते हैं उन पर गौर किया जाता है और सुधार किया जाता रहा है। साथ ही साथ मितव्ययिता की दृष्टि से भी हमने काफी प्रयास किये हैं। वर्ष १९७१-७२ में प्रति १०० रुपये की आय पर व्यय २.०९ रुपये ही केवल था। शासन का बराबर यह प्रयास चल रहा है कि राजस्व में बराबर बढ़ोत्तरी हो और व्यय में कमी हो। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि मैंने जो अनुदान सदन के समक्ष प्रस्तुत किये हैं उनको वह स्वीकार करने की कृपा करें। साथ ही जो भी सुझाव माननीय सदस्य देंगे उन पर अवश्य विचार किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

दूसरी ग्रान्ट्स के बारे में भी कुछ कह दें।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, प्रदेश में ऋण और अग्रिम अपना एक विशेष महत्व रखता है। इससे प्रायः सभी विभागों का संबंध रहता है। सभी विभागों को किसी न किसी रुप में यह फाइनेन्स करता रहता है। चाहे कृषि हो, चाहे लघु सिंचाई की योजना हो, चाहे सहकारिता हो, चाहे लघु उद्योग हो, सभी को ऋण द्वारा अग्रिम द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। हमारा विद्युत परिषद् इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता है। विद्युत का हमारे प्रदेश में एक विशेष स्थान तथा महत्व है। इस प्रदेश की प्रगति में इसका एक प्रमुख स्थान है। उसके आधार पर, यह निश्चित हो गया है कि उसी के आधार पर प्रदेश की उन्नति सम्भव है। हरित-क्रान्ति अपनी सीमा पर नहीं पहुंच सकती है, प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है, जब तक उसका विकास न हो, उसका समुचित सहयोग न प्राप्त हो। इसलिए इस प्रदेश में ऋण और अग्रिम का मुख्य उपभोक्ता विद्युत परिषद् है। राज्य सरकार द्वारा सन १९७१-७२ में राज्य विद्युत परिषद् को कुल ६६ करोड़ ३२ लाख रुपये का ऋण दिया गया, जिसमें ६५ करोड़ ८४ लाख योजनागत व्यय के लिए थे, ०.०६ करोड़ रुपये उत्तराखंड के लिए तथा ०.४२ करोड़ केन्द्रीय पोषित योजनाओं के लिए दिया गया था। सन् १९७२-७३ के लिए शासन द्वारा इस परिषद् को ५४ करोड़ १८ लाख रुपये का ऋण प्रस्तावित है।

हमारी सरकार का यह प्रयास है कि प्रदेश में बिजली का उत्पादन अपनी सीमा तक शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके। इसी दृष्टि से ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य को विशेष महत्व दिया गया है और उस पर बहुत ध्यान दिया गया है। इस दिशा में चतुर्थ योजना के अन्त तक २५ प्रतिशत ग्रामों तथा पांचवी योजना के अन्त तक संसाधनों की उपलब्धि पर—उसकी प्राप्ति के आधार पर यह योजना है कि पूरे प्रदेश का विद्युतीकरण हो जाएगा। मान्यवर, प्रदेश के ग्रामों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में हमें यह निवेदन करना है कि १९७१–७२ के वर्ष में २,००० ग्रामों का लक्ष्य था, एवं उसके विपरीत बढ़ कर, २,४९२ ग्रामों का विद्युतीकरण हुआ है। अब वर्ष १९७२–७३ में ३००० ग्रामों के विद्युतीकरण का हमारा लक्ष्य है। इसी तरह से वर्ष १९७१–७२ में ७९ हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया है और इस वर्ष यानी १९७२–७३ में ४ हजार बस्तियों के विद्युतीकरण का हमार ध्येय है। राज्य विद्युत परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन स्थानों पर केवल १५ सौ रुपये की लागत से हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण हो सकता है, उसका विद्युतीकरण हम स्वयं ही करेंगे।

नलकूपों के सम्बन्ध में मान्यवर, निवेदन करना है कि वर्ष १९६९–७० में २६,४६४ नल कूपों का विद्युतीकरण किया गया, उसके अगले वर्ष १९७०–७१ में २४,६४४ और फिर वर्ष १९७१–७२ में ३०,५९३ नलकूपों का विद्युतीकरण किया गया है। इस वर्ष सन् १९७२–७३ में ५०,००० नलकूप पम्पसेट्स के विद्युतीकरण की हमारी योजना है। इसके लिए कामर्शियल योजना के अन्तर्गत काश्तकारों को विशेष सुविधायें देने का हमारा प्रयत्न है, पहले जो प्राथमिकता धन काश्तकारों से लिया जाता था उसे अब शासन परिषद् को देगा और इस धन को परिषद् काश्तकारों से १० वर्षों में किश्तों पर वसूल करेगी——इस बात की व्यवस्था की गई है।

मान्यवर, विद्युत की बढ़ती हुई आवश्यकता पर हम बराबर दृष्टि रखते हैं। यह हमारे प्रदेश की एक ऐसी आवश्यकता है जिसका ज्यों ज्यों विस्तार होता जाता है, त्यों त्यों उसकी भूख बढ़ती जाती है। इसकी आवश्यकता को लोगों ने समझा है और यह अनुभव कर लिया है कि हमारी और हमारे प्रदेश की प्रगति का एकमात्र रास्ता यही है। अभी तक हमारे प्रदेश की जो उत्पादन शक्ति है वह एक निश्चित सीमा तक रही है। अब प्रश्न यह है कि इस को अधिकाधिक बढ़ाया जाये। अभी इस समय हमारे प्रदेश की कुल विद्युत क्षमता १५७२ मेगावाट है। वर्ष १९७२–७३ में २५५ मेगावाट के वृद्धि का लक्ष्य है। इस तरह से वर्ष के अन्त में प्रदेश की कुल क्षमता १८२७ मेगावाट के वृद्धि का लक्ष्य है। इत तरह से वर्ष के अन्त में प्रदेश की कुल क्षमता १८२७ मेगावाट तक हो जाने की आशा है। लेकिन इससे भी इस प्रदेश की आवश्यकता पूरी नहीं होती। अब इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें और प्रयत्न करना है, किन्तु इस दिशा में हमारे सामने आर्थिक संसोधन, और हमारी परिस्थितियां बाधक हैं। किन्तु उसके बावजूद भी प्रदेश की स्थिति को देखते हुए प्रदेश की एक मात्र प्रगति को सामने रख कर विद्युत के उत्पादन को हमको बढ़ाना है और उसके लिए हमें हर सम्भव साधन अपनाने का प्रयास करना है। इसके लिये हमने केन्द्र द्वारा एक सेन्ट्रल स्पान्सर्ड प्रोजेक्ट की मांग की है, जिससे ४०० मेगावाट हमारा उत्पादन आसानी से हो जाएगा। केन्द्र सरकार ने एक अणुशक्ति विद्युत गृह देने की योजना की है।

इससे चार सौ मेगावाट उत्पादन होगा। इन दोनों योजनाओं के अतिरिक्त नयी योजनाएं जो अभी पूरी हुई हैं। १९७१–७२ में ओबरा जल विद्युत (३३ मेगावाट) की अन्तिम तीसरी यूनिट, हरदुआगंज तापीय विस्तार चतुर्थ चरण (५५ मेगावाट) को दो में से पहली यूनिट और ओबरा तापीय विस्तार (५० मेगावाट) की अन्तिम पांचवीं यूनिट चालू हो चुकी है। और नयी योजनाएं जो इस समय हमारे सामने हैं, जिनको पूरा करने के लिए हमारा हर समय प्रयास चल रहा है वह हैं——पनकी तापीय विस्तार (२.११०मेगावाट), और हरदुआगंज तापीय विस्तार पंचम चरण (१.११० मगावाट), ओबरा तापीय विस्तार

[श्री गोस्वामी राधाकृष्ण]

द्वितीय चरण ६०० मेगावाट, ओबरा तापीय विस्तार, तृतीय चरण ४०० मेगावाट, हरदुआगंज विस्तार षष्ठ चरण १२० मेगावाट, गोरखपुर तापीय विद्युत केन्द्र ४०० मेगावाट, पटहरी जल-विद्युत परियोजना ६०० मेगावाट, ऋषिकेश-हरिद्वार जल विद्युत परियोजना १८० मेगावाट। इन के लिए हमारा प्रयास चल रहा है। इन सब योजनाओं को चालू करने में अभी समय जरूर लगेगा लेकिन प्रयास है शासन का कि ये योजनायें अपनी सीमा पर पूरी हो जांय और सीमा से पहले ही पूरी हो जांय यह भी प्रयास करना है। इसीलिए ट्रांसफार्मर्स और अन्य संयंत्रों के लिए लगभग १६ करोड़ का अग्रिम हैवी एलेक्ट्रिकल, हरिद्वार और भोपाल को दे दिया गया है ताकि हमें कठिनाई न हो, और अग्रिम न देने कारण हम को प्रायरिटी न दें।

साथ ही साथ विद्युत के काम को पूरा करने के लिए हमारे यहां ट्रांसमिशन लाइन का पुनरीक्षण किया जा रहा है। यह भी हमारा प्रयास है कि जो हमारे पड़ोसी प्रदेश हैं, वहां से ट्रांस मिशन लाइन यहां आये जिससे हम यहां की आवश्यकता को पूरा कर सकें। मुगल सराय-डेहरी २२०० के० वी० एक पथीय लाइन—डाहरी दामोदर घाटी निगम विद्युत प्रणाली से विद्युत आयात करने के लिए, गिरि-यमुना चतुथ चरण, १३२ के० वी० एक पथीय लाइन हिमाचल प्रदेश से बिजली आयात करने के लिए, रिहन्द-मोरवां-अमरकंटक १३२ के० वी० लाइन के दूसरे तन्तुपथ का निर्माण—मध्य प्रदश से अतिरिक्त बिजली आयात करने के लिये, बदरपुर से मुरादनगर तक २२० के०वी० एक पथीय सम्बन्धी लाइन—केन्द्रीय क्षेत्र के बदरपुर परियोजना से बिजली आयात करने के लिये, मथुरा-भरतपुर १३२ के० वी० एक पथीय लाइन-राजस्थान से विद्युत आयात करने के लिये हमारे प्रयास हैं। हम नयी लाइनें बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ही हमारा ओबरा से सुल्तानपुर तक ४०० के० वी० हाई ट्रांसमिशन बनाने का काम चल रहा है जिसमें पांच करोड़ रुपया खर्च होगा। यह एशिया में अपने ढंग की ट्रांस-मिशन लाइन होगी।

विद्युत परिषद् हमेशा घाटे पर चलती आयी, कभी भी किसी प्रकार की आय की गुंजाइश न रही, बल्कि उत्तरोत्तर घाटा होता चला आया। यह पहला वर्ष है जबकि वित्तीय वर्ष में २६ लाख की आय इस बार सम्भावित है। यह एक नया कदम है। १९७१-७२ में १३ करोड़ ५८ लाख रुपये की हानि का अनुमान था जो तकनीकी और प्रशासनिक सुधारों के फलस्वरूप घट कर ४ करोड़ १० लाख रुपये की रह गयी है। यह भी एक अच्छी उपलब्धि है। इन सब कारणों से यह प्रतीत होता है कि भविष्य हमारे लक्ष्य की पूर्ति में सहायक होगा। साथ ही एक और प्रश्न अपने ढंग का हमारे सामने प्रस्तुत हो गया है। जब अन्य प्रदेशों के लाइन लासेज को अपने प्रदेश के लाइन लासेज को देखते थे तो वह एक चिन्ता का विषय बन जाता था। उसके लिये एक विशेष टेक्निकल कमेटी का आयोजन किया गया जो डिटेल्स में जाकर लाइन लासेज के कारणों को देखेगी और जो उत्पादन के बारे में टेक्निकल एडवाइस देगी। इसके लिये बजट में इस साल २ करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार विशेष रूप से इन सब कमियों को दूर करने के लिये हम टेक्निकल राय ले सकेंगे और इस प्रकार उनको दूर करने का प्रयास करेंगे।

(इस समय १२ बज कर ५८ मिनट पर अध्यक्ष, श्री आत्मा राम गोविन्द खेर पीठासीन हुए)

विद्युत परिषद् के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के बहुमूल्य सुझाव हमको प्राप्त हुए। जब क्षेत्रीय समिति की बठक हुई थी तो उसमें माननीय सदस्यों द्वारा सुझाव रखे गये थे। विद्युत परिषद् के विभिन्न भ्रष्टाचारों की ओर भी लोगों ने शिकायत की थी। इस परिषद् में ८० हजार कर्मचारियों का परिवार है। परिवार में अनेक तरह के सदस्य हो सकते हैं लेकिन जो वर्तमान उपलब्धियां हैं उनको देखते हुए कहना कि इसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार ी है, अनुचित होगा। जो उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है और जो विद्युत के लिये हमारी भूख

बढ़ती जाती है उसको देख कर यही कहा जा सकता है कि यह हमारी प्रगति का लक्षण है और उस बढ़ती हुई भूख को मिटाना हमारा कर्त्तव्य है। लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना, प्रदेश की प्रगति में योगदान देना विद्युत् परिषद् का अपना कर्त्तव्य है लेकिन माननीय सदस्यों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिये एक विशेष सतर्कता आयोग गठित करने का आयोजन किया गया है जो तमाम भ्रष्टाचार को देखेगा और जांच करेगा। एक नये ए० एस० पी० के अन्डर एक एन्सफोर्समेंट स्क्वायड का आयोजन किया गया है जो मौके पर चोरी को पकड़ने का प्रयास करेगा। इस प्रकार विद्युत् परिषद् ने अपने उत्तरदायित्व से पीछे हटने का प्रयास नहीं किया।

ट्रांसफार्मर की चोरी बहुत हो रही थी और उसका भार किसानों को वहन करना होता था। यद्यपि किसान जिसके यहां ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता था उसकी चोरी का उत्तर दायित्व उसी के ऊपर उसकी सम्पत्ति की तरह होता था किन्तु विद्युत् परिषद् ने उस उत्तर-दायित्व को अपने ऊपर लिया और इस बात के प्रयास में वह है कि किसानों को अधिक से अधिक राहत पहुंचाये। जो मिनिमम गारंटी है उसको विद्युत् परिषद् द्वारा समाप्त कर दिया गया है। माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि इससे किसी किसान को लाभ नहीं हुआ है। मैं मानता हूं कि कुछ किसानों को लाभ न हुआ हो यह मेरा निश्चित मत है कि ६० परसेंट से ऊपर किसानों को इससे निश्चित लाभ हुआ है। १३ वां बिल बहुत अधिक आता था और उसका बहुत अधिक बोझ गरीब किसान पर पड़ता था उससे उसको राहत व छुटकारा मिले, इसके लिये यह सुविधा प्रदान की गयी है कि जो बिजली वह उपयोग करेगा उसी का वह पेमेंट करेगा। अब केवल ३ रुपये प्रति हार्स पावर का अंकुश रह गया है। जितने हार्स पावर की जरूरत है उतने हार्स पावर ही किसान मागेगा। इससे यह निश्चित है कि किसान अपनी उपयोगिता के आधार पर ही मांगेगा। जो बड़ा किसान है, जो अधिक से अधिक उपयोग करने का अभ्यस्त हो गया है, वही अधिक हार्स पावर मांगेगा और उसका लाभ वही उठायेगा, उसके लिये मुझे कुछ अधिक कहना भी नहीं है क्योंकि वह उसका उचित उपयोग करेंगे और छोटे किसान को इससे राहत मिलेगी।

विद्युत् की दरों के बढ़ने के बारे में कुछ सदस्यों ने आपत्ति की। हम विद्युत् की दरों में यह बढ़ोत्तरी नहीं चाहते थे लेकिन एक तरफ विद्युत् की बढ़ती हुई मांग थी जिसके लिये विद्युत् संस्थान को बढ़ाना था और दूसरी ओर वित्तीय संसाधनों की कमी थी, उसकी पूर्ति होने में कुछ बंधन थे। जो फाइनेंशियल बाइंडिंग है उसके लिये विषका घूंट भी पीना पड़ता है। इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। इन परिस्थितियों के बावजूद भी विद्युत् परिषद् प्रदेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उत्तरोत्तर प्रयास कर रहा है। जब तक प्रदेश के किसानों को उनकी आवश्यकतानुसार विद्युत् नहीं दी जायेगी तब तक प्रदेश उन्नति नहीं कर सकता है। यह निर्विवाद सत्य है और यह सभी जगह मान लिया गया है। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है। यदि प्रदेश के गांव-गांव में बिजली पहुंच जाती है और किसानों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार बिजली मिल जाती है तो निश्चय ही उत्पादन में वृद्धि होगी इसमें कोई दो राय नहीं है। अतः मैं माननीय सदस्यों के समक्ष यह जो ब्याज वाले ऋण और अग्रिम हैं जिसमें प्रदेश को बहुत सी संस्थायें सम्बन्धित हैं, जिसका प्रमुख लाभ उठाने वाला विद्युत् परिषद् है, जिस पर पूरे प्रदेश की प्रगति निर्भर करती है, जो प्रदेश की प्रगति का एक मात्र साधन है, सदन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करता हूं और यह आशा करता हूं कि उनके स्वस्थ्य सुझाव केवल आलोचना के दृष्टिकोण से ही न हों अपितु जिनका अनुसरण करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।

*श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या ४- बिक्री-कर, लेखा-शीर्षक-१२- बिक्री-कर के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय जिसका उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। इसी तरह से अनुदान संख्या ५३--ब्याज वाले ऋण और अग्रिम, लेखा शीर्षक -थ- राज्य संघ के राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम से सम्बन्धित अनुदान के सम्बन्ध में प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय जिसका उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपके सामने हमारे माननीय मंत्री जी ने बिक्री-कर के बारे में अपने अनुदान रखें जिसमें आपने बतलाया कि हम बिक्री-कर किस तरह से वसूल करते हैं और किस तरह से हमारा राजस्व वसूल होता है इस सम्बन्ध में ज्यादा न कहकर केवल यह कहना चाहता हूं कि बिक्री-कर जो है वह ऐसी चीज है जब हर आदमी अपना कारोबार करता है तो वह बिक्री-कर देने की कोशिश करता है लकिन यहां यह होता है कि बड़े लोग दावतें वगैरह देकर बिक्री-कर कम करवा लेते हैं और जो गरीब लोग होते हैं उनसे ही बिक्री-कर वसूल कर लिया जाता है। अभी आजमगढ़ म एक व्यापारी का ८ लाख रुपया बिक्री-कर का माफ कर दिया गया है किन्तु जो छोटे लोग होते हैं उनका कर माफ नहीं होता है बल्कि उनकी इन्डस्ट्री फेल हो जाती है। आपने जो अनुदान रखा है उसमें १ दिसम्बर, १९७१ तक बकाया धनराशि २६ करोड़ रुपये के करीब है। इसमें आपने ३४ करोड़ रुपये का खर्च दिखाया है।

इसी प्रकार आबकारी, उत्पादन शुल्क और भू-राजस्व ५१ करोड़ के लगभग बकाया है। तो घाटे के बजट को लाने की क्या जरूरत थी। अगर पुराना वसूल कर लेते तो इस साल बिक्री-कर की राशि इस साल इतनी न बढ़ती। किन्तु जैसा मैंने बताया कि दावतों में यह वसूली रोक ली जाती है और जो छोटे-छोटे लोग होते हैं उनकी रिकवरी के लिये तहसीलदार के यहां भेज दिया जाता है। बड़े आदमी बन्द नहीं किये जाते हैं। छोटे आदमी बन्द किये जाते हैं। बड़े आदमी तो माफ करने की कोशिश करते हैं, छोटे आदमियों को कोई नहीं पूछता। तो मन्त्री जी अगर कम से कम इन लोगों को जो छोटे-छोटे उद्योग चलाते हैं, जैसा उन्होंने बताया कि ग्रामोद्योग पर कर लगाने की कोशिश नहीं की गई है। बड़े-बड़े शहरों के अन्दर जो बड़े कारखाने हैं उनको छोड़िये लेकिन जो छोटे-छोटे उद्योग करते हैं, मेरे यहां ताले का काम होता है। हुड़का कोई बनाता है, लीवर कोई बनाता है, ताली कोई बनाता है, गरीब लोग घरों में बनाते हैं उन पर अगर टैक्स लगाया जाता है तो वह कहां से देंगे? उनके काम बन्द हो जाते हैं। कितने ही छोटे-छोटे काम टैक्स की वजह से बरबाद हो चुके हैं। इसको काटेज इन्डस्ट्री मानते हैं इस पर भी १२ हजार वाली बात कैसे लागू हो सकती है। जो आदमी असेम्बिल करके ताले बनाता है, इसके लिए रिप्रेजेन्टेशन आते हैं, आप कम से कम विचार करेंगे कि ऐसे लोगों को वंचित कर दें और जिन पर करोड़ों रुपया बकाया पड़ा है उनसे अगर वसूल करने की कोशिश करें तो यह घाटा न रह जाय। आज टैक्सों की भरमार है। यह बंगला देश का अभी भी लगा रखा है। तेल पर टैक्स, नमक पर टैक्स और किराया देता है, उसमें भी टैक्स, लाइसेन्स बदलवाता है गरीब या कचेहरी में जाता है तो उस पर भी टैक्स। अधिकारी लोग अलग गुमराह कर रहे हैं, टैक्स वसूल कर लेते हैं और पता नहीं लगता कि जमा होता है सही तौर से या नहीं। बंगला देश वाला मामला तो खत्म हो गया, कम से कम वही समाप्त किया जाय। आज गरीब हर तरह से पीसा जा रहा है, मालदार पर कोई पाबन्दी नहीं है। इस प्रान्ट पर तो और लोग भी बोलेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं अब दूसरी प्रान्ट पर आता हूं और विद्युत् के बारे में कहना चाहता हूं। मन्त्री जी बता रहे थे कि हमने प्रगति की है विद्युत् में, हम सुविधा दे रहे हैं, बिजली का उत्पादन बढ़ रहा है, यह सब बताया। लेकिन घाटा जो हो रहा है, मन्त्री जी ने बताया कि हम घाटे की पूर्ति करने जा रहे हैं। कल एक विधायक के सवाल के उत्तर में कहा था कि २ अरब का ऋण भार और २६ करोड़ का घाटा है, यह स्वीकार किया है। अगर घाट की नीति रही तो विद्युत् परिषद् कभी भी चलने वाला नहीं है। जैसे कि लोग बताते हैं यह उत्तर प्रदेश के लिए शाप बना हुआ है यह ही सब खा जायगा और लोगों को बिजली नहीं मिल पायेगी। आज ये लोग बिजली की रोशनी में चकाचौंध हैं, कुछ दिखाई नहीं देता है। मैंने देखा है कि इस विभाग में कितना गड़बड़ झाला है इतना शायद किसी दूसरे विभाग में नहीं होगा। घाटा किस तरह हो रहा है? बिजली की चोरी होना, ट्रांसफारमर चोरी होना, तार काटना, परचेजिंग होना, बायलर खराब होना, बिजली का सामान स्टोरेज में कैसे रखा जाता है और गाड़ियों पर कैसे अनाप-शनाप खर्च होता है ये सब कारण हैं घाटा होने के। यह जो चोरी होती है, दूसरे प्रदेशों ने कैसे इसपर रोक लगाई है? हरियाणा में उन्होंने किया है लेकिन हमारे यहां यह नहीं मानना चाहते कि हम कैसे चोरी को रोकें। इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टर की रिपोर्ट है। उन्होंने दुर्घटनायें बतलाई हैं कि ३७४ दुर्घटनायें पिछले साल में हुई हैं। उनको दूर करने के सम्बन्ध में उन्होंने बतलाया है कि कैसे उनको दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि अगर सुविधायें नहीं दी जायेंगी तो बड़ी परेशानी होगी।

अध्यक्ष महोदय, उन्होंने चोरियों के आंकड़ों को दिया कि ये चोरियां कैसे होती हैं। कौन चोरियां करता है। कम से कम यह देखें कि चोरियां कराता कौन है। यह समझ में नहीं आता कि ये कैसे चोरियों को रोक-कर देश को आगे चलायेंगे। दिन पर दिन चोरी बढ़ती जा रही है और कोई देखने वाला नहीं है। यह ठीक है कि बहुत बड़ा प्रदेश है लेकिन मैं तो कहता हूं कि जब तक इस प्रदेश का बंटवारा नहीं होता यह काबू में आने वाली बात नहीं है। परसाल ४,१३,००,७७० रुपये की चोरी इनके यहां हुई ट्रांसफारमर्स और तार की। तार जो जमा हुआ उसको मैंने बतलाया कि एक फर्म देहली की है उसके हाथ बेंचा २ रुपये कम पर और उसने फिर इन्हीं को दे दिया। इस तरह करोड़ों रुपये का घाटा हो गया।

मीटर न लगाना भी एक चोरी है। जहां बड़े-बड़े मीटर लगे हुए हैं वहां पर दिन रात चोरी होती है और ये पकड़ नहीं पाते हैं।

दूसरी बात लोन लेने की है। उसकी भी एक प्रथा होती है। लोन तो उसको दिया जाता है जो कम से कम लोन ले। इन्होंने लोन लेने की हद कर रखी है। इन्होंने ५ परसेन्ट के हिसाब से २२ बैंकों से लोन ले रखा है, पौने ६ परसेन्ट के हिसाब से १४ बैंकों से लोन ले रखा है और ६ परसेन्ट के हिसाब से इलाहाबाद, लखनऊ कानपर, सहारनपुर, देहरादून, पीलीभीत आदि में इंडस्ट्रीज से भी लोन ले रखा है। इसके अलावा इन्होंने लोन दे भी रखा है। पता नहीं वह वसूल होता भी है या नहीं? लोन किस बात का लिया जाता है यह समझ में नहीं आता। जब हमारा ही ऋण खुद पड़ा है, वह वसूल न कर पायें और इतना लोन लेते चल जायं यह समझ में नहीं आता। कोई कहने वाला नहीं है।

जहां तक स्टोर्स की बात है वहां चोरियां होती हैं। अगर उसको चेक कर लें तो शायद चोरियां घट जायं। स्टोर्स में फिजिकल वरिफिकेशन नहीं होता है। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन हो तो चोरियां पकड़ी जा सकती है।

[श्री राम प्रसाद देशमुख]

परचेजिंग जो करते हैं उसका यह नहीं पता कि क्राइटेरियन क्या है। न तो ठेकेदार का कोई क्राइटरियन है। एक सवाल मैंने दिया था। उसका उत्तर यह कह कर टाल दिया कि यह नीति का प्रश्न है। एक चीफ इंजीनियर ने भाई के नाम से, मां के नाम से एक फर्म बना ली और उससे परचेजिंग करता रहा। जो आदमी सप्लाई करता है उसके लिये कुछ कंडीशन्स भी तो होनी चाहिये कि वह फाइनेन्शली साउन्ड है या नहीं या बैंक में उसका एकाउन्ट है या नहीं, ये सारी चीजें इसमें हैं। रोजन्स फार नाट ऐक्सेप्टिंग लोएस्ट, रेट यह भी नहीं बताते हैं। आज आप देखिए कि इनके विभाग में करोड़ों रुपये का माल स्टोर में पड़ा रहता है और अधिकारी लोग बराबर खरीदते चले जाते हैं। इनको इसका कुछ पता नहीं रहता कि कौन चीज स्टाक में है और कौन नहीं है। कितनी चीज खर्च होती है और कितनी की आवश्यकता है। उन्होंने जो धांधलेबाजी मचा रखी है उसको खत्म किया जाना चाहिये। स्टोर का बकायदा चेकिंग होना चाहिये। इसके लिये इंजीनियर को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिये कि वह अक्सर स्टोर का चेकिंग करता रहे। इसके अलावा हर स्टोर में इनवेंटरी रजिस्टर भी जरूर रखा जाना चाहिये। इससे यह मालूम होता रहेगा कि कितना माल स्टोर में आया और कितना माल इश्यू हुआ। यह भी मालूम हो सकेगा कि कहां से माल आया और कहां माल गया। जब इस तरह से स्टोर का इन्तजाम किया जायेगा तो घाटा कम हो सकता है अन्यथा आपका घाटा कभी भी पूरा नहीं हो सकता है।

इसी तरह से इनके परचेजिंग की हालत भी बहुत ज्यादा खराब है और लाखों का माल सड़ता रहता है और नया माल खरीद लिया जाता है। इनके विभाग ने बहुत ही जगहों से कर्ज ले रखा है। यह कभी भी अपने प्रदेश में बिजली को डेवलप नहीं कर पायेंगे। इनके यहां फिजीकल वैरीफिकेशन होना चाहिये। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले कहा इनवेंटरी रजिस्टर भी जरूर होना चाहिये। इनको कुछ पता नहीं कि इनके यहां कौन ठेकेदार है, इसका क्या बैंक बेलेंस है। मुझे मालूम है। मैं आगरा गया था। वहां मैंने देखा कि लोगों ने लेटर पैड्स छपवा रखे हैं और उनकी कोई कम्पनी वगैरा नहीं है। इस तरह की चीजें इनके विभाग में चल रही हैं। कैसे यह बिजली की दशा को सुधार सकते हैं और कैसे यह घाटा पूरा कर सकते हैं?

हरियाणा प्रदेश कैसे आजकल विद्युत के मामले में आगे बढ़ रहा है। उसके लिये तो यह कहेंगे कि वह एक कि बहुत छोटा सा प्रदेश है। लेकिन मैं कहूंगा कि उनके यहां इसके लिये एक कमेटी बनी हुई है। वहां की सरकार की देख-रेख की नीति है और यह कमेटी सरकार को विद्युत के मामले में सलाह मशविरा देती है। वहां देखभाल होती रहती है लेकिन हमारे यहां देखने भालने वाला नहीं है। यह कुछ नहीं कर पायेंगे। जब तक अपने यहां स्टोर की हालत ठीक नहीं करेंगे तब तक इनका घाटा पूरा नहीं हो सकेगा। इनके यहां कौन स्टोर का जिम्मेदार है इसका कुछ पता नहीं है। इंजीनियर देखता है या कौन देखता है। इसका कुछ पता नहीं लगता है। स्टाक्स का फिजीकल वेरीफिकेशन होना चाहिये। इसके लिये इनके यहां के लटस भी मौजूद हैं। एक पत्र चीफ इंजीनियर के यहां से फिजीकल वेरीफिकेशन के बारे में भेजा गया वह इस प्रकार है कि—

> ". . . . . physical verification of all stores in any division should be carried in a year by an Assistant Engineer and once in every half year by the Store holder concerned."

चीफ इंजीनयिर का पत्र सं० ६७६, दिनांक ६ अप्रैल, १९७० स्टाक चेकिंग के बारे में भेजा गया कि एट आल लेविल्स चेकिंग किया जाय।

> ". . . . . to complete the stock checking at all levels, the last step in such checking to be completed by May 31, 1970 . . . .

इसको केवल तीन एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स ने कम्पलाई किया। दूसरा पत्र ७ मई, १९७० को भेजा गया।

and necessary steps were to be taken by Superintendent Engineers."
and necessary steps were to be taken by Superintendent Engineers."

लेकिन इसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। हर डिवीजन के स्टोर का चेकिंग हर साल होना चाहिये। लेकिन कुछ नहीं होता है। यह भी आर्डर्स हैं कि असिस्टेन्ट इंजीनियर स्टोर का चेकिंग करे। लेकिन कोई नहीं करता है। इन पत्रों के बावजूद क्या कोई कह सकता है कि डिवीजनों से इसकी रिपोर्ट आती है? कहीं चेकिंग नहीं होती है। अगर चेकिंग हो तो जो गोलमाल होता है वह कैसे बचेगा। इसी तरह से स्टोर में रिटर्न्स की बात आती है। कहां से कितना सामान आता है और कितना कहां जाता है कोई बता सकता है। जो स्टाक जाता है और इश्यू होता है उसका वैरीफिकेशन नहीं होता है।

आपको न क्वालिटी के बारे में पता है और न क्वान्टिटी के बारे में पता है, आप बता ही नहीं सकते। जहां तक घाटे की बात है, मैं पूछता हूं कि क्या आपने किसी पर जिम्मेदारी डाली? इन्स्पेक्टर, लाइनमैन किसी के ऊपर तो जिम्मेदारी आनी चाहिये जांच के बाद। पावर की चोरी आपके यहां होती है, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। आप हिसाब ही नहीं रखते कि कितनी बिजली पैदा हुई और कितनी खर्च हुई, कितनी कहां चली गयी। आपने खुद इस बारे में सजेशन दिये हैं, आपने चिट्ठियां लिखी हैं लेकिन उन पर कोई देखरेख ही नहीं है। उनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता है। आपने बड़े-बड़े वापर स्टेशन खोल दिये—हरदुआगंज, ओबरा, पनकी और कानपुर में लेकिन किसी का आपके पास हिसाब ही नहीं है। यह सारा घाटा जो हो रहा है वह आपके बार-बार कट डाउन्स की वजह से हो रहा है। एक दो बार नहीं, बार-बार आये दिन होते रहते हैं। आपने इसका कोई उपाय किया। आपने पत्र लिखे लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं। कोई बात ही आपकी नहीं मानी जाती है। मैं पूछता हूं कि आप इस घाटे को कैसे पूरा करने जा रहे हैं। क्या आपने कोई आंकड़े तैयार किये हैं, कि किस प्रकार से आप इस घाटे को पूरा करेंगे।

माननीय मंत्री जी ने बताया कि ट्रांसफारमर्स की चोरी होने पर उसका पैसा किसानों से नहीं लिया जायगा। क्या आपने पिछले आंकड़ों को देखा है कि पिछली बार कितनी चोरियां हुयीं और अब कितनी हो रही है और उसको रोकने का आपने क्या उपाय किया। आप वैल्डिंग भी करते हैं और भी उपाय करते हैं लेकिन सब बेकार हो जाते हैं। आप किसी को जिम्मेदार ही नहीं ठहराते। जो चोरी हो जाती है क्या उसकी रिपोर्ट पुलिस में लिखायी जाती है, क्या पता लगाने की कोशिश की जा रही है? ऐसी आपकी कोई चेष्टा नहीं है, इसीलिए चोरी बढ़ती जा रही है। आपने कह दिया कि किसानों को उसका रुपया नहीं देना पड़ेगा। लेकिन टैक्स के रूप में पब्लिक से जो लेते हैं, वहीं रुपया तो चोरी के नुकसान में जायगा। आपको बार-बार कहा गया कि ट्रान्सफारमर्स गांव में लगा दिये जाएं। गांवों में लगा दिया जायगा तो गांव वाले उसको देखेंगे और चोर भी डरेगा। लेकिन उसमें तो आपके इंजीनियर कह देते हैं कि उसमें टैक्नीकल डिफीकल्टी का हो जायेगी। ठीक वोल्टेज नहीं जा पायगा। वह यह क्यों बताने लगे कि इससे उनका चोरी धन्धा ही बन्द हो जायगा।

कहां तक कहा जाय मेरे गांव के पास अभी ३ ट्यूबवैल की बिजली मंजूर हुई हमने बारहा कहा कि गांवों में ट्रांसफारमर्स लगा दिये जाएं, लेकिन नहीं लगाये मंत्री जी ने कह दिया कि बिजली तो मार्च में ही चालू हो गयी। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं। जरा मौके पर जाकर तो देख लें कि बिजली चालू हुई है या नहीं हुई। समझ में नहीं आता इतना झूठ बोला जाता है और सरकार को इस तरह से धोखा दिया जा रहा है। न जाने इस देश और प्रदेश का क्या होगा।

[श्री राम प्रसाद वैशमुख]

बार-बारभ्रष्टाचार की बात कही जाती है, मालूम ऐसा पड़ता है जब यह जाने वाला नहीं है। अब तोभ्रष्टाचार की बात नहीं शिष्टाचार की बात कही जानी चाहिये। जब वह भ्रष्टाचार की बात कहने से रुकता नहीं है तो फिर अबभ्रष्टाचार की बात न कह कर शिष्टाचार की बात कही जाय तब भले ही रुक जाय। कारण यह है कि हर आदमी लखपति और करोड़पति बनने के चक्कर में है मंत्री भी लखपति बनना चाहता है। इसलिये अब तो केवल शिष्टाचार की बात रह गयी। शिष्टाचार के नाम से रुक जाय तो भले ही रुक जाय।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम बिजली बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम भी कहते हैं कि बिजली बढ़नी चाहिये। प्रदेश की जितनी बिजली की मांग है वह पूरी होनी ही चाहिये। इसके उन्होंने आंकड़े भी बताये। लेकिन इसके साथ ही साथ जो रेट उन्होंने बताया उसको देखिए। वह कहते हैं कि हम किसानों से मिनीमम गारन्टी अब नहीं लेंगे। हमने उसको माफ कर दिया। लेकिन आपने रेट लगा दिया३ लाख रुपया। अगर इसका हिसाब लगाया जाय तो पहले से भी ड्योढ़ा पड़ेगा। किसान को कोई माफी नहीं है, जिस का जितना कन्जम्पशन हो सकता है, वह भी नहीं कर सकता और अभी तक जो मिनिमम गारन्टी वह पूरी कर लेते थे वह भी नहीं कर सकेंगे। इस तरह से आप देखें कि आप किसान को कोई राहत नहीं दे रहे हैं और आपके जो यह कर्मचारी हैं वह कोई राहत नहीं दे सकेंगे। इसके लिये आपको अपने कर्मचारियों की नीति को ही बदलना चाहिये तभी राहत उनको मिल सकती है।

जहां तक डेमरेज का सवाल है, हमारे अधिकारियों की लापरवाही के कारण हजारों रुपया डेमरेज में जाता है और घाटा होता है, वह समझते हैं कि हमारा क्या जा रहा है सरकारी नुकसान हो रहा है, वह कभी माल को समयसे स्टेशन से नहीं उठाते और आर० आर० का भुगतान समय के भीतर नहीं कर पाते, कहीं चीफ इंजीनियर की और कहीं चेयरमैन की स्वीकृत के लिये माल पड़ा रहता है, हरदुआगंज का माल पड़ा रहता है और अलीगढ़ से जब माल आ जाता है तब स्वीकृति के लिये लिखा जाता है। अगर इन चीजों पर गौर किया जाय और इनको रोका जाय तो यह डेमरेज से जो घाटा होता है उसको रोका जा सकता है। स्टोर से सामान की बहुत गड़बड़ी होती है और इसके अलावा एक खास बात यह है कि जितनी गाड़ियां एक प्रोजेक्ट पर और उनसे कितना कास होता है इसका कोई हिसाब नही रहता, कितना लोग आराम करते हैं, कितना उनका यूटिलाइजेशन होता है या नहीं होता इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इस तरह से आप कैसे घाटा पूरा कर सकते हैं? वह आप नही कर सकेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिक इन्स्पेक्टर की रिपोर्ट को देखें और घाटे को पूरा करने के उपाय करें, तमाम चोरियां होती हैं और उनको रोकने का कोई साधन नहीं है। वसूलयाबी भी ठीक से नहीं की जाती इसकी जांच आप इलेक्ट्रिक इन्स्पेक्टर से करा के देख सकते हैं। रेवेन्यू के मामले में भी घाटे की बात है। मीटर खराब होते हैं और असेसमेन्ट के मामले में तमाम गड़बड़ी होती है। वह किसानों पर ही डाल देते हैं कि इतना चला, गरीबों के साथ इस तरह बहुत ज्यादती होती है। जब रेवेन्यू की वसूली ठीक से नहीं होती तो आप किस तरह से इस घाटे को पूरा किर सकेंगे यह बात हमारी समझ में तो आती नहीं।

किसानों के बारे में यह कहना कि हमें राइट आफ करने का अधिकार नहीं है। आप किसानों को जेल भेजने की कोशिश करते हैं लेकिन हरियाणा में यह अधिकार उनको नहीं है, वहां पर किसी पर अगर कर्ज हो जाता है तो वहां राइट आफ करने के नियम अलग हैं। हरियाणा और पंजाब बिजली बोर्ड ने इस प्रकार से अपने अधिकारियों को बैडडेट राइट आफ करने का अधिकार दिया है कि पंजाब में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को २५ रु० तक और हरियाणा में ५० रु० तक, सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर को पंजाब में ५० रु० तक और हरियाणा में १०० रु० तक, चीफ इंजीनियर को पंजाब में १०० रु० तक और हरियाणा में २५० रु० तक और सर्किल कमेटी को जिसमें सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, सम्बन्धित एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और सहायक अकाउन्ट्स

आफिसर होते हैं उसको पंजाब में ५०० रु०तक और हरियाणा में एम० जी० जी० चार्जेज के सम्बन्ध में ५,००० रु० तक राइट आफ करने का अधिकार दिया गया है। जहां तक बिजली देने का सवाल है वहां पंजाब और हरियाणा दोनों में सरकारी नलकूपों को इन्डस्ट्रीयल रेट पर बिजली दी जाती है और नलकूप के लोड के हिसाब से वहां मीटर लगे हैं और इन्डस्ट्रीयल सप्लाई टेरिफ के हिसाब से वहां चार्ज किया जाता है।

इसके अलावा पीरियड आफ एग्रीमेंन्ट जो है वह हरियाना तथा पंजाब दोनों में देहाती और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिये ५ साल का रखा गया है। जहां तक मीटर रीडिंग और बिल बनाने का सम्बन्ध है वहां पर बड़े-बड़े जो कन्ज्यूमर्स हैं उनको मीटर रीडिंग एस० डी० ओ० करते हैं और जो बिल हैं वे वही मौके पर तैयार करे जाते हैं और पंजाब और हरियाणा से ऐसा ही होता है कि वह कहीं दे दिये जाते हैं। जब कि हमारे यहां २-२ महीने और कभी-कभी ज्यादा बीत जाते हैं मीटर जल जाते हैं और किसान के सिर मनमाने तौर पर असेसमेन्ट कर दिये जाते हैं और सारा खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। मीटर तो आपके टेक्निकल आदमी की गलती स जलते हैं इनमें किसानों का क्या कसूर होता है? आपने इतने बड़े ट्रांसफार्मर का किया तो इसका भी आप करें। या आप हरियाना की तरह मीटर न लगायें और फौरन बिल मौके पर तैयार कर के वसूली की जाय।

हमारे यहां कोई स्टेटिसटिकल सेल भी पंजाब हरियाना की तरह नहीं है। यहां कोई ऐसी चीज नहीं है कि पता लगे कि घाटा क्यों हो रहा है।

> "There is statistical cell under the Charge of Statistical Officer (non-technical) under Punjab and Haryana State Electricity Boards. The cell is responsible for collection and publication of statistics. In Punjab this cell is under the administrative control of Chief Engineering Planning and in Haryana it is under the direct control of the Board."

तो कम से कम सेल बना दे तो घाटे की पूर्ति हो सकती हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ये घाटे की कैसे पूर्ति करेंगे। इनके यहां पर बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स बनने हैं। अगर इनको जाकर आप देखें तो पायेंगे कि इनमें करोड़ों रुपये का काम है लेकिन उनकी पूर्ति के लिये कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप देखें कि उनमें कितना विलम्ब हुआ, कितना रुपया वेस्ट हुआ, कितनी चीजों को कई-कई बार इन्होंने बनाया है। इन्हें जाने की और देखने की फुरसत कहां है। हमारे मंत्री जी को पोलिटिक्स के कारण जाने की फुरसत नहीं है। चीफ इंजीनियर साहब उन्हें खुश करने में लगे हैं। तो इसलिए यह गड़बड़ प्रदेश है, इसको देखने के लिये जाने का समय नही है तो कैसे ये इस घाटे को पूरा करेंगे।

आपने कहा कि हम प्रदेश के गांवों को बिजली दे देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने गांवों में आपने विद्युतीकरण कर दिया है। कहते हैं कि हरिजनों की बस्तियों में हम विद्युतीकरण करदेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने हरिजनों की बस्तियों को आपने बिजली दी है। आज हमारे माननीय मंत्री जी ने वायदा किया है देखेंगे कि कहां तक अपने वायदे को निभायेंगे।

दूसरी बात चोरी की है। चोरी को कैसे रोक पायेंगे। कहा है कि एक फ्लाइंग स्क्वैड बना है। देखेंगे कि यह कितने दिन चलता है। इनके पास साधन हैं या नहीं। मैं नहीं कह सकता कि हमारे डी० आई० जी० चोरी को रोक पायेंगे। मैं आज चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि क्राइम रोकने का यह तरीका नही है। अगर एक थाने को २ थाने को दर्ज कर लें और यह कह दें कि अगर तुम्हारे इलाके में चोरी, डकैती या कत्ल होगे तो न तो तुम्हारा प्रोमोशन होगा और न तुम्हें विभाग में रखा जायगा तब क्राइम रुक सकते हैं। उन्हें तो प्रोमोशन इस बात का मिलता है कि चोरी, डकैती और कत्ल करवायें। अभी-अभी की बात है कि एक झूठे आमदनी को फंसा कर पकड़ लिया गया और कहा गया कि हम क्राइम वीक

[श्री राम प्रसाद देशमुख]

बनाने जा रहे हैं। ये नहीं रोक पायेंगे चोरी और कत्ल आदि को क्योंकि इन थानों से लाखों रुपया इकट्ठा होता है और उसमें सब का शेयर बंटता है। तो इस प्रकार से ये तार कटिंग और तार चोरी को नहीं रोक सकते हैं।

जहां तक स्टाफ का सम्बन्ध है—

"The antecedents of staff should be invariably verified at the time of appointment and the antecedents of staff appointed during the last five years be verified hrough the Police and the services of persons of doubtful antecedents be dispensed with in accordance with the rules.

Line Inspectors and Sub-Divisional Officers will be held primarily responsible for the thefts within their jurisdiction. It has been advised that stern action be taken against Line Inspectors in whose jurisdiction thefts take place and entries made in the confidential reports of the Sub-Divisional Officers also who fail to check the thefts or carry out speedy spot enquiries.

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं कहा है।

श्री अध्यक्ष—

आपको बोलते हुए आधे घंटे से ज्यादा हो गया है। और आप कितना समय चाहते हैं?

श्री राम प्रसाद देशमुख—

श्रीमन्, मैं कम से कम आधा घंटा और चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप पौने दो बजे तक खत्म कर दीजिए।

श्री राम प्रसाद देशमुख—

मैं यह कह रहा था कि चोरी की जिम्मेदारी थानेदार पर डाल दीजिये। लाइन इन्स्पेक्टर पर डाल दीजिये जिसके जुरिस्डिक्शन में वह क्षेत्र हो। तो शायद यह कुछ रोक पाएं। यह देखने की बात है। इसके अलावा इनके यहां कम्प्लेन्ट्स आती हैं। ये क्या करते हैं। इन्हीं का लेटर है जिसमें यह लिखा हुआ है कि अगर चोरियां हों और कम्प्लेन्ट्स आती हैं तो क्या करना चाहिये। यह नहीं चाहते कि उसको दूर करें। इनके यहां लिखा है कि कितने केसेक पेंडिंग हैं। अगर किसी ने कमी की तो फौरन एक्शन ले लिया जाय तो शायद कुछ सुधार हो सकता है। लेकिन पता नहीं क्या-क्या यह करते हैं। एक लेटर है सेक्रेटरी साहब का। वह २८ मई का है उसमें साफ लिखा है कि एक चीज तो कम से कम की जाय कि क्या कन्डीशन थी और फिर लिखा है कि एक रजिस्टर जरूर होना चाहिये जिसमें कम्प्लेन्ट्स आएं और उसको कितने दिन में दूर कर दिया गया। लेकिन कोई रजिस्टर इस बात का नहीं दिया गया है काम्प्लेन्ट्स करने के लिये। एक और एक्स्ट्रेक्ट दिया था जिसमें लिखा है कि बहुधा यह देखा गया है किसी अधिकारी और कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो शिकायतें की जाती हैं वे जांच के लिये उन्हीं के पास भेज दी जाती हैं और यह भी आवश्यक हो कि जांच के पश्चात् शिकायत करने वालों को उनके आरोपों को सिद्ध करने का पूरा अवसर दिया जाय और जांच कराई जाय। लेकिन कोई भी इस बात को नहीं करता है। इसलिये मैं कहता हूं कि आप इस चीज की पूर्ति कैसे करेंगे।

इसके अलावा, मैंने हाइडिल का बताया कि कैसे ये डिसाइड करेंगे। चार्जशीट जल्दी हैन्ड ओवर की जाय, टाइम दे दिया जाय। नहीं देंगे तो गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट के रिटर्न और स्टेटमेंट उसके साथ-साथ ले लिया जाय। एक चीज और लिखी है कि इन्क्वायरी वगैरह नेचर आफ दि केस करके करें। तो शायद जल्दी ही निर्णय ले लें। यह एक-एक केस तीन-तीन चार-चार साल तक पड़े रहते हैं। तो ये सब चीजें ऐसी हैं। कम से कम इन चीजों को देखिए और उनमें सुधार करिये। मैं जानता हूं कि सरकार प्रदेश का भला नहीं कर पायेगी। हमारे नारायणदत्त तिवारी जी जब इधर थे तो बताते थे कि इसमें क्या-क्या गड़बड़ियां हैं। विद्युत् परिषद् का जो ७२-७३ का विवरण है, उसमें देख लें। कितने आंकड़े दिये हैं घाटे के। उसको पूरा करने के लिये आप क्या करेंगे। यह समझ में नहीं आया। इन्होंने यही कहा कि हमें लाइसेन्सधारियों को ऋण देना है। अब ऋण उनको दे दें तो कैसे पूर्ति करेंगे? जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उन पर कितना घाटा हो रहा है। एक करोड़ रुपये का घाटा हुआ है और उसको उन्होंने कहा है कि २ साल में पूरा कर देंगे। यह समझ में नहीं आता कि उसकी पूर्ति कैसे करेंगे। अगर यह कहा जाता है कि ५०—५० लाख रुपये की पूर्ति हो जायेगी तो समझ में आने वाली बात है, लेकिन हाउस में जो चाहें कह दें, कोई कहने वाला नहीं है।

आज बिजली का सवाल आता है। कुछ ठेकेदार होते हैं जिनसे काम ठेके पर करवाया जाता है। मैं आपको बताऊं कि कोयले कि लोडिंग और अनलोडिंग होती है, इनको यही पता नहीं कि कोयला कैसा आ रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है और उस कोयले से कितनी बिजली प्राप्त हो रही है। इन सब चीजों को आज देखने वाला कोई नहीं है और न कोई रजिस्टर वगैरा ही बनाया जाता है, जिससे यह चीजें पता चल सकें। मान्यवर, मैं तो लूपहोल्स बता रहा हूं और इन पर इनको ध्यान देना चाहिये। आज मंत्री जी ने बताया कि एक विजिलेंस बना दिया है। तो मैं कहता हूं डी० आई० जी०, एक्जीक्युटिव इंजीनियर को इनमें रख दिया है, तो ये लोग क्या विजिलेंस कर पावेंगे जबकि यह चोरी के खाने वाले खुद ही हैं? इन लोगों से विजिलेंस करवाने वाली बात हमारी समझ में नहीं आती।

अब मैं किसानों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आज किसानों को बिजली रोस्टरिंग पर मिलती है और जब किसानों को बिजली उसको समय से जो निर्धारित है, नहीं मिलती है तो वह तो तड़फता है। मैं एक किसान के यहां गया उसने कहा कि रात भर बिजली नहीं आ पाई है, तो मैंने कहा कि हमारी सरकार की नीति ही यही है कि ईमानदार और गरीब आदमी मारा जाता है और अमीर आदमी मौज करता है। तो कम से कम जो टाइम फिक्स्ड है, उस समय उसको बिजली मिल जाया करे।

एक बात मैं किसानों के बारे में यह कहूंगा कि उनके बिजली के बिल सही नहीं बनाये जाते, अगर उनको पैसा देते हैं तो सही बनते हैं। अतः इस ओर भी ध्यान दिया जाय। अगर यह शिकायत होती है कि मटीरियल नहीं है और अगर है तो कैसे ले जाया जाय, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है। आज आप देखें कि एस्टीमेट्स के कितने बिल पड़े हुए हैं, किसान खुद ही उनके ले जाने की कोशिश करता है क्योंकि वह चाहता है कि किसी न किसी प्रकार जल्दी पूरा हो। दूसरे मैंने बताया कि कम्पलसरी एग्रीमेंट होना चाहिये। यह उनके यहां नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप जल्दी कीजिये।

श्री राम प्रसाद देशमुख—

किसानों को राहत देने की बात कही जाती है लेकिन उसके रेट को बढ़ा दिया। उन्हीं की रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि नाइट लोड में कमी कर सकते हैं। आप यह करें कि रात में जो किसानों को लोड दिया जाय उसका रट कम कर दिया जाय जिससे उसको राहत मिल सके

[श्री राम प्रसाद देशमुख]
और वह कोशिश करेगा कि हम रात में ही लोड लें। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। आप यह नहीं सोचते हैं कौन सा आदमी कैसा है या किसी आदमी के खिलाफ कोई शिकायत तो नहीं है। मैंने खुद पकड़ा था मेहरोत्रा को राखी देने के मामले में। उसने कोई एग्रीमेंट नहीं किया था। इस तरह से जो करेप्ट चीजें हैं उसको आपको देखना होगा। आपरेशन और मेन्टीनेंस आफ पावर थरमल स्टेशन की बिजली चली और सेट डाउन हो गया। इससे बहुत अधिक नुकसान होता है। इसको आपको रोकना होगा।

सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स का जो फोर्टनाइटली दौरा है, उसको भी आपको देखना होगा। यह देखें कि कितनी प्रोग्रेस होती है। इन्सटालेशन आफ दी ट्यूबवेल्स का निर्धारण कर लें, कितना एलेक्ट्रिफिकेशन गांवों का होगा इसका भी प्लान बना लें और उसी के हिसाब से चलें। एक चीज यह भी है कि डिस्पोजल आफ दी सरप्लस मेटीरियल भी बना लें, मालूम होना चाहिये कि कितना सरप्लैस है। एक शार्टेज आफ दी वेहिकिल्स या फिर रिपेयर्स में कितना रुपया जाता है। वैहिकिल्स दुकान पर गई और उसने बिल बना कर दे दिया न मालूम क्या बनाया गया? विजिट आफ दी वी० आई० पीज० कम करें। इसमें न जाने कितना खर्च दिखलाया जाता है। सरप्राइज चेक करना चाहिये। जो रेवेन्यू इसका आता है उसको भी देखें। एकाउन्ट्स मैटर में क्या प्रोग्रेस हो रही है इस पर भी चेक रखें। उनकी रिपोर्ट्स नहीं आती हैं। कभी-कभी तो कागज भी जला दिये जाते हैं। पी० ए० सी० की मीटिंग में भी कई बार इसका जिक्र किया गया। चैकिंग आफ दी कनेक्शन्स भी देखें बिल किस प्रकार के बनते हैं, इसको नहीं बताया जा सकता। अन्धेर है। वेलफेयर आफ दी स्टाफ भी देखें। रिपेयर आफ दी डिफेक्टिव मीटर्स भी होना चाहिये। हाई वोल्टेज आया और मीटर जल गया और काश्तकार भुगत रहा है। इन्सपेक्शन आफ दी स्टोर्स भी होना चाहिये। ये चीजें बहुत जरूरी हैं जिनको देखना चाहिये। तो यह देखने की बात है। आप देखें और चेयरमैन साहब देखें।

श्री अध्यक्ष--
आपका समय समाप्त हो गया।

श्री राम प्रसाद देशमुख--
मुझे यह कहना है कि मैंने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसको मेरे साथी स्वीकार कर लें।

## २८ अप्रैल, १९७२ को सदन की बैठक न करने का निश्चय

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)--
माननीय सदस्य श्री चन्द्रभान शर्मा ने सदस्यों की ओर से मांग की थी कि २८ अप्रैल को पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं इसलिये छुट्टी कर दी जाय और उस दिन का कार्यक्रम १२ मई से पहले इंगित कर दिया जाय और मैंने सदस्यों से परामर्श कर लिया है।

श्री अध्यक्ष--
मैं अभी राय नहीं ले सकता हूं, इसलिये आप २ बजे इसको लें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--
यह तो सर्वसम्मत है।

श्री अध्यक्ष--
किसी ने कह दिया कि वोटिंग लेना चाहते हैं, तो मैं नहीं ले सकता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--
किसी को इसमें आपत्ति नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया) ---
तिवारी जी का प्रस्ताव मान लिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी---
२८ को छुट्टी हो जावेगी, तो इससे लगातार २७ से ३० तक छुट्टी हो जावेगी। इससे सहूलियत हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष---
२८ का काम कब लेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---
१२ मई से पहले किसी दिन ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष---
इसमें किसी को एतराज तो नहीं है ?

कई सदस्य---
सभी एकमत हैं।

श्री अध्यक्ष---
ठीक है।

## १९७२-७३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--- अनुदान संख्या ४---बिक्री-कर तथा अनुदान संख्या ५३--- ब्याज वाले ऋण और अग्रिम---(क्रमागत)

*श्री विजय बहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)---

अध्यक्ष जी, जो अनुदान रक्खा गया है, मैं उसका हार्दिक समर्थन करता हूं और माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह इस मांग के समर्थन में मदद करें और सहायता करें। मान्यवर, बिजली आज के युग में आवश्यक ही नहीं बल्कि वह प्राण दान हो चुकी है। किसी भी अर्थ में और किसी भी क्षेत्र में लिया जाय बिजली आवश्यक हो चुकी है। अगर हम चाहते हैं कि विकास हो, बेरोजगारी दूर हो तो इसकी मांग पूरी करनी पड़ेगी। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि विद्युत मंत्री जी के प्रयास से बिजली इस क्षेत्र में मैं और उन्होंने रात दिन बैठकर विद्युत के मांग के विवरण तैयार कराये और दिल्ली में जो केन्द्रीय मंत्री हैं, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हैं, पावर और इरीगेशन के चेयरमैन हैं, हमारे चेयरमैन भी उपस्थित थे, उनके सामने प्रदेश का बिजली के सम्बन्ध में चित्र खींचा और बिजली की आवश्यकता के बारे में बतलाया कि यह सारी चीजों में आधारभूत हैं। हमारे प्रदेश का पिछड़ापन इसी कारण से है और प्रदेश में पिछड़ापन तबतक रहेगा जब तक कि प्रदेश की बिजली की मांग पूरी नहीं हो जावेगी। क्योंकि हमारा प्रदेश हार्ट आफ दि कंट्री है, यह पूरे देश का हृदय है। जो योजना बिजली के लिए विद्युत मंत्री जी ने प्रस्तुत की है यदि उसमें कटौती की गयी और जितनी हमारी आवश्यकता है उतना धन न मिला तो फिर इस योजना को कार्यान्वित करने में कई वर्ष लग सकते हैं।

मान्यवर, अध्यक्ष विद्युत परिषद् ने जो कहा है कि दो वर्ष बाद बिजली के अकाल का सामना करना पड़ सकता है तो वह भी विचारणीय और गम्भीर प्रश्न है। जो हमारे सिंचाई के साधन हैं, जैसे नलकूप, पम्पिंग सेट्स आदि जो कि बिजली से चलने वाले साधन हैं अगर कहीं बिजली के अकाल का सामना करना पड़ा तो हमारे नलकूप बन्द रहेंगे, पम्पिंग सेट्स

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विजय बहादुर सिंह[

बन्द रहेंगे और खेत सूखे रह जायेंगे और उस स्थिति में प्रदेश की दस करोड़ की जनता के सामने रोटी का जो सवाल उठेगा तो उसका चाहे कोई भी सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो या केन्द्रीय सरकार हो, सामना नहीं कर सकेगी। इसलिए बिजली की आवश्यकता को पूरी करने के लिए जितना धन चाहिए उसकी जो रूपरेखा विद्युत मंत्री जी ने बनायी है और उसको पूरा करने के लिए जो कदम विद्युत् परिषद् ने उठाया है हमें एक स्वर होकर केन्द्रीय सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहिए। हाल में ही केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री का वक्तव्य था कि पूरे देश में १५ यूनिट प्रति व्यक्ति बिजली की कमी है और पांच यूनिट प्रति व्यक्ति की कमी हमारे प्रदेश में है। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन यह स्वीकार करते हैं कि हमारे प्रदेश में बिजली की कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए धन की जब मांग की जाती है और वह पूरी नहीं होती तो ऐसा लगता है कि हमारे साथ सौतेलेपन का व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति में हम विद्युत मंत्री एवं नेता सदन के साथ स्वर में स्वर मिला कर आवाज उठायें तो यह हमारी नैतिकता होगी। मैं इन शब्दों के साथ कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं।

मान्यवर, आज बिजली विभाग में, जैसा कि मुझे अफसरों से और इंजीनियरों से मिल कर पता चला, एक एकाउन्ट्स विंग खुला है। जब हमने उसका अध्ययन किया तो मेरी समझ में जो आया, मैंने उचित समझा कि उसे मैं विद्युत मंत्री जी और अधिकारियों के कानों तक पहुंचा दूं। यह एकाउन्ट्स विंग बिजली के विकास में सहायक नहीं है बल्कि बाधक के रूप में है। यह सोचा गया था कि यह एकाउन्ट्स विंग एकाउन्ट्स चेक करने में और अपव्यय रोकने में सहायक होगा लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा न होकर वह एक अलग विभाग खड़ा हो गया है। इस विंग पर जो विभागीय इंजीनियर या इंचार्ज हैं उनका कोई कंट्रोल नहीं रहता। मेरा अनुरोध है कि एकाउन्ट् विंग में सुधार लाया जाय और कोशिश की जाय कि जो विभागीय इंचार्ज हों, इंजीनियर्स हो उनका कन्ट्रोल रहे।

मान्यवर, दूसरी बात मुझे वसूलयाबी की प्रथा के बारे में कहनी है। गांव में नलकूप लग गये हैं। किसान सीधा सादा व्यक्ति होता है। वह मीटर रीडिंग की बात नहीं जानता। आज गांव गांव में बैंक की शाखायें खुल गयीं हैं। मेरा यह सुझाव है कि अगर विद्युत मंत्री कोई ऐसी सुविधा कर सकें कि जो कंज्यूमर हैं, चाहे वह किसान हो या उद्योग चलाने वाला हो, वह सीधे बैंक में जाकर अपना बिल जमा कर दें और अपना एकाउन्ट्स खोल दें तो अच्छा होगा। मान लीजिये श्रीमन्, २/३ महीने मीटर रीडिंग न हो लेकिन जो खर्चा होगा, उसे जमा करना पड़ेगा। मान लीजिये उसने ५० यूनिट खर्च किया। तो वह संबंधित अधिकारी को लिख दे कि हमारे हिसाब से ५० यूनिट के हिसाब से पैसा निकाल लें। इससे वसूली की समस्या भी नहीं रहेगी और किसानों को बैंक में पैसा जमा करने की आदत भी पड़ेगी और इसके साथ-साथ में छोटे छोटे अधिकारियों के गलत व्यवहार से भी उनको मुक्ति मिलेगी। मान्यवर, मैं मिर्जापुर जनपद का रहने वाला हूं। आज रिहन्द और ओबरा बिजली के सबसे बड़े केन्द्र हैं। इसीलिये इसमें मेरी दिलचस्पी होना आवश्यक है।

श्रीमन्, आज हम अपने देश और प्रदेश में हरित क्रान्ति लाना चाहते हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि हरित क्रान्ति के साथ-साथ औद्योगीकरण भी होना चाहिये। अगर लघु उद्योगों की तरफ आप ध्यान नहीं देंगे तो हमारी हरित क्रान्ति कमजोर पड़ जायेगी और हमारी जो बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की योजना है, वह सफल नहीं हो पायेगी।

श्रीमन्, मैं अपने मिर्जापुर जिले के प्रति अनुरोध करना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि जो पिछड़े जिलों के लिये जो संस्थान हैं, जिन पर सरकार का आधा या पूरा स्वामित्व है, उनमें ८० फीसदी स्थान ऐसे परिवारों के लिये रिजर्व किये जायं, जिनके परिवार का कोई व्यक्ति नौकरी पर न हो, और यदि हो भी, तो २०० रु० से कम पाता हो। अगर ऐसा किया जाय तो यह बेरोगारी दूर करने का एक बड़ा उत्साहप्रद कदम होगा।

श्रीमन्, हिन्डालको, देश और प्रदेश का सबसे बड़ा कारखाना है। मान्यवर, इसके बारे में यह नहीं कहता कि इसको राजनीतिक अखाड़े में लाया जाय। लेकिन इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। अल्यूमूनियम हमारे देश की सबसे बड़ी आवश्यकता की वस्तु है। चाहे सोने का मसला हो, चाहे सुरक्षा का मसला हो, चाहे उद्योग (छोटे या बड़े उद्योग) का मामला हो, अल्यूमूनियम का सभी जगह उपयोग होता है। हमारी प्रधान मंत्री, इन्दिरा गांधी जी, आज प्रदेश-प्रदेश में समाजवाद लाना चाहती हैं। आखिरकार हमारा प्रदेश हिन्डालको के साथ ऐसी कोई नीति क्यों नहीं निर्धारित करता। हमारे वित्त और विद्युत मंत्री जी समाजवाद के विद्यार्थी रहे हैं और आज भी हैं। श्रीमन्, यह न्याय हमारे प्रदेश के साथ होना चाहिये।

श्री मैनेजर सिंह––

बिरला के कारखाने के लिए आप रियायत दिलाना चाहते हैं, यह बात मंत्री जी को भी समझा दीजिए।

श्री विजय बहादुर सिंह––

आज अल्यूमूनियम की आवश्यकता देश की आवश्यकता है। हमारे जनपद में बेकारी की समस्या बहुत अधिक है। वहां के हजारों लोग फैक्टरी में काम करते हैं। उन कम करने वालों की मूक भाषा को, आपके माध्यम से, मैं ठाकुर मैनेजर सिंह जी के कान तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं कि न मैं बिरला से सम्बद्ध हूं और न पूंजीवाद से संबद्ध हूं।

श्री मैनेजर सिंह––

मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मैंने तो यही कहा कि मंत्री जी को समझाइये।

श्री विजय बहादुर सिंह––

उड़ीसा की सरकार तथा केरल की सरकार भी सुविधाएं दे रही हैं। वे सरकारें भी समाजवादी हैं और श्रीमती इन्दिरा गांधी के दर्शन पर चलने वाली हैं। क्या ४ पैसे पर बिजली देने से यह सरकार समाजवादी रास्ते पर चलने से रुक जाएगी? अगर वह नीति समाजवादी नीति नहीं है तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो यह कहेगा कि इस कारखाने को प्रादेशिक सरकार अपने हाथ में ले ले। अगर जस्टिस का सवाल आएगा और न्याय का सवाल आएगा तो मैं अपने जनपद के विषय में जरूर कहूंगा। अल्यूमूनियम के कारखानों को बढ़ावा देने के लिए पड़ोसी प्रदेश जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात कहते हैं कि हम इतने पैसे पर बिजली देंगे, आप आइये और हमारे प्रदेश में कारखाना खोलिए। इस कारखाने में ८० लाख टन अल्यूमुनियम पैदा करने की क्षमता है। अगर हिन्डालको कोई दबाव डालता है तो सरकार को निश्चित रूप से उसे अपने कब्जे में ले लेना चाहिए, परन्तु न्याय की दृष्टि से मैं यह कहूंगा कि जो कमिटमेंट्स किए गये हैं वे चलें और उनका पालन होना चाहिए। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, मैं २ मिनट और चाहूंगा।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप कोई प्रतिबन्ध न लगाएं। मिर्जापुर जिला एक पिछड़ा जिला है। आप वहां भी ऐसा सिद्धान्त लागू कर दीजिए कि ८० प्रतिशत वहीं के निवासियों को नौकरियां दी जाएं। ऐसी शर्त इस उद्योग में भी होनी चाहिए।

अल्यूमूनियम एक ऐसा उद्योग है जिसको बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि अल्यूमूनियम से बर्तन बनते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के वायर बनते हैं। इसके अतिरिक्त और भी अन्य आवश्यक वस्तुएं बनती हैं। मैंने वित्त एवं विद्युत मंत्री को सुना। मैं विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि उनमें डा० लोहिया की गरीबों के प्रति सहानुभूति है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का धैर्य है। उनमें साहस है और उन्हें समाजवादी मंजिल मिल कर रहेगी, वे समाजवादी रास्ते पर चल रहे हैं। कोई उन्हें समाजवादी रास्ते से रोकना भी चाहे तो रोक नहीं सकता है। वे साहिल पर पहुंच के ही रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय देशमुख जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसमें मान्यवर, दो राय नहीं हो सकतीं कि बिक्री-कर हमारे प्रदेश की राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है जैसा कि स्वयं मंत्री जी ने भी कहा है। आज ही प्रश्नोत्तर काल में बताया गया कि ३४ करोड़ का बकाया चला आ रहा है बिक्री-कर का। सरकार की ओर से बराबर यह कहा जाता रहा है कि हम पिछले बकाये की वसूली उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से मालगुजारी की वसूली होती है। मगर मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार कोई एक ही उदाहरण ऐसा बता दे जिसमें उसने बड़े आदमी पर बकाये की वसूली के लिये वही कदम उठाये हों जो मालगुजारी वसूल करने के लिये एक छोटे से काश्तकार पर उठाये जाते हैं। किसी भी फर्म के खिलाफ आपने कोई भी एक्शन लिये हो तो आप बता दें। इस समाजवादी सरकार का कमिटमेंट बिड़ला जी के साथ जो हुआ है वह तो अवश्य पूरा होगा, लेकिन गरीब के लिये कुछ नहीं होगा।

बड़े-बड़े आदमियों के खिलाफ आज तक कोई कोअर्सिव मेथड इस सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया। अगर उनके खिलाफ भी सरकार ने सख्ती की होती तो यह ३४ करोड़ रुपया आसानी से वसूल हुआ होता और प्रदेश की तरक्की हुई होती। उधर बड़े-बड़े आदमियों से आप वसूल नहीं करेंगे, गरीब काश्तकार पर १० करोड़ के और टैक्स लगाने जा रहे हैं जब कि नाना प्रकार के टैक्सों के बोझ से वह पहले ही दबा हुआ है। लम्बी-लम्बी धनराशि को वसूल करने का कोई ड्राइव इस सरकार ने नहीं चलाया। ड्राइव चलायेंगे कि सारे प्रदेश को आखता करो। फैमली प्लानिंग का ड्राइव चलायेंगे। इससे प्रदेश का कल्याण नहीं होगा। आखिर आप जिन पर बकाया है उनके खिलाफ वारन्ट क्यों नहीं ईशू करते? यदि यह सरकार समाजवादी होने का जरा भी दम भरती है तो उसे बड़े बड़े आदमियों से एक एक पैसा वसूल करने की कार्यवाही करनी चाहिये। ६ माह के अन्दर अगर कोई न दे तो तुरन्त सख्त कानूनी कार्यवाही करनी चाहिये।

मंत्री जी ने छोटे उद्योगों पर कुछ छूट दिये जाने की बात भी कही। मगर मैं कहना चाहता हूं कि छोटे छोटे व्यापारी को तो बिक्री-कर में कोई छूट नहीं मिलती, बड़े बड़े लोगों को ही छूट मिलती है क्योंकि वे तुरन्त रिट ले आते हैं, जब कि छोटा आदमी कोर्ट तक नहीं जा पाता। आपके अधिकारी छोटे छोटे दूकानदारों से मनमाना कर वसूल करते हैं। फिर जो योजनायें विदेशों से मंगानी पड़ती हैं उनमें कोई छूट हो तो बात समझ में आ सकती है, परन्तु जो योजनायें पहले से चली आ रही हैं उनमें छूट नहीं होनी चाहिये। असेसमेंट के तरीकों में परिवर्तन होना चाहिये। आज उससे बड़े-बड़े लोग बन जाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि आपके कानूनों की जो सख्ती छोटे लोगों के साथ होती है, वही बड़े लोगों के साथ होनी चाहिए।

आज बिजली प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक प्रदेश के लिए आवश्यक हो गई है, खास कर उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन अफशोस यह है कि न तो बजट भाषण में इसका कोई लक्ष्य है न आज ही मंत्री जी की ओर से इसका कोई आश्वासन मिला है। लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है, यहां की पर-कैपिटा इन्कम है। आज स्थिति यह है कि बिना बिजली के थ्रेशर भी नहीं चल सकते हैं। लेकिन प्रशासन की बिजली देने की जो रफ्तार है, उसको देखते हुए मालूम पड़ता है कि प्रदेश को पूरी तरह से बिजली देने में हम सन् २००० तक भी समर्थ नहीं हो पायेंगे। दूसरे प्रदेशों का जिक्र किया गया कि वहां के सभी ग्रामों में विद्युतीकरण हो चुका है, जैसे हरियाणा आदि हमारे प्रदेश हैं, इसके उत्तर में कहा जाता है कि वे बहुत छोटे प्रदेश हैं, इसलिए यह सम्भव हो सका है। मैं पूछना उनसे चाहता हूं कि जो छोटा प्रदेश है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनकी आय का स्रोत भी तो छोटा होगा, यानी उनकी आय भी तो उसी अनुसार हमसे कम होगी। फिर भी उन्होंने अपने सीमित साधनों से लक्ष्य को पूरा कर दिखाया और उन्होंने अपने प्रदेश में छोटे-छोटे उद्योगों का जाल बिछा दिया है। हरियाणा के लोगों ने इस बात का लक्ष्य निर्धारित किया कि कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा जहां सन् १९७१ तक बिजली न पहुंच जाए और उन्होंने अपने इस लक्ष्य को पूरा कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश में हमने कोई लक्ष्य आज भी निर्धारित नहीं किया है कि फलां सन् तक पूरा विद्युतीकरण कर लेंगे। मैं फिर इस सम्बन्ध में परिवार नियोजन पर कहना चाहता हूं इस पर तो लेखपाल से लेकर कमिश्नर तक सभी अधिकारियों का पूरा ध्यान लगा हुआ है, सारी सरकारी मशीनरी उसके लिए दौड़ती है, उसी तरह से यदि प्रदेश के सारे अधिकारी इस काम में लगें तो कोई वजह नहीं है कि कम से कम समय में हम अपने यहां बिजली न लगा दें। आज हालत यह है कि ३–३ वर्ष तक आदमियों को बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाता है।

उत्तर प्रदेश में उद्योग के क्या माने हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि क्या वह कृषि को उद्योग नही मानते ? क्या प्रदेश की जनता के पालन-पोषण के लिए अन्न के उत्पादन को वह आवश्यक नहीं समझते ? अगर वह सबसे पहली आवश्यकता समझते हैं तो निश्चित रूप से उद्योगों को बिजली देने में जो कन्सेशन तमाम प्रकार का दिया जाता है उससे अधिक कृषि कार्यों के लिये दिया जाना चाहिये। हमारे पूर्ववक्ता ने कहा कि बिड़ला और हिंडालको के साथ सस्ते रेट पर बिजली देने का जो शर्तनामा है वह पूरा किया जाना चाहिये। दूसरी तरफ वह यह भी कहते हैं कि किसानों को बिजली मिलनी चाहिये, तो यह दोनों बातें एक साथ करना और कहना कहां तक संभव है, मैं नहीं समझता हूं। बिड़ला जी को पौने दो पैसे प्रति यूनिट बिजली देने का जो कमिटमेंट है, वह एक पूंजीवाद सरकार का कमिटमेंन्ट है और वर्तमान सरकार भी उसे जो कायम रखे हुए है, उस सरकार पर भी पूंजीवादी सरकार की छाया है। उस कमिटमेन्ट को क्यों नहीं समाप्त कर दिया जाता है ? उसके आधार पर बीसों साल चुप बैठे रहने की बात कैसे कही जाती है ? यदि आप प्रिवी-पर्स के वचन को तोड़ सकते हैं, लिखित संवैधानिक समझौते को तोड़ सकते हैं तो कोई वजह नहीं है कि बिड़ला को पौने दो पैसे में बिजली देने का जो कमिटमेन्ट है वह न खत्म कर दिया जाये। किसानों को १६ गुना ज्यादा दामों पर आप बिजली दें, यह समाजवाद में और कृषि प्रधान देश में कैसे सम्भव हो सकता है। किसान आपको थैले नहीं दे सकता है, आपके खिलाफ प्रचार नहीं कर सकता है, इसलिये आप उसकी उपेक्षा करने पर लगे हैं।

मुझे शर्म आई कि हम लोगों में से ऐसे भी लोग हैं। बिड़ला जी के कुछ एजेन्ट अभी घूम रहे थे विधायकों की तरफ। विधायकों के यहां, यही बात कही जाय कि बिड़ला के साथ जो कमिटमेन्ट हुआ है, उचित है, विकास के नाम पर उसे कायम रखना चाहिये। ऐसा लगता है कि हम लोगों, इस सदन के माननीय सदस्यों पर बिड़ला की छाया विराजमान है। बिड़ला को जो सुविधायें आप देना चाहते हैं सारी सुविधायें उसी रेट पर आप किसानों को दे दीजिये। तब आप कोई अनुदान न दें। जब आप उनको बिजली दे देंगे पौने दो पैसे यूनिट पर सारे गांवों में बिजली अपने आप चली जायगी। खेतों पर ट्यूबवेल लग जायेंगे। दो तीन वर्षों तक मत्स्य पालन, वन विभाग तमाम प्रकार के विकास कार्य उनको रोक कर केवल यह नियम बना लें कि जो किसान ट्यूबवेल के लिए बिजली चाहेगा, उसे बिना चार्ज के एक साल तक बिजली देंगे। आप देखेंगे कि सारे प्रदेश में ट्यूब वेल का जाल बिछ जायगा और आपकी अन्न की परेशानी समाप्त हो जायगी। कौन-सा उद्योग है देश और प्रदेश का जो खेती पर निर्भर नहीं करता? जब तक खेती विकसित नहीं होती उद्योग पनप नहीं सकते। लेकिन उद्योग की यह दुर्दशा है कि बड़े-बड़े लोगों को पौने दो पैसे प्रति यूनिट पर बिजली दे रहे हैं और छोटे लोगों को १६ से २५ पैसे प्रति यूनिट बिजली दे रहे ह। स्पष्ट है कि जो आप बिड़ला के साथ व्यवहार करते हैं

[श्री रामधारी शास्त्री---]

उतना भी किसानों के साथ करने को तैयार नहीं हैं। सरकार का यह कहना कि वह समाजवादी सरकार है व्यर्थ है, निराधार है, कभी नहीं कहना चाहिए।

बिजली के सम्बन्ध में एक दो बातें आपके माध्यम से इस सदन के समक्ष और रखना चाहता हूं। बिजली लगाने में कुछ कठिनाइयां भी हैं। विद्युत परिषद् जिसके नाम करोड़ों रुपये कर्ज हर साल देते आ रहे हैं जिसका अब तक का रेकार्ड यह शो करता है कि विद्युत परिषद् ऐसी संस्था है जो बराबर कर्ज लेती चली जा रही है लेकिन वापसी बिल्कुल नहीं है। कर्ज का सूद और उसकी किस्त की अदायगी कतई नहीं होना है। विद्युत परिषद् के अन्दर सारे बिजली के मुकदमे में स्वेच्छाचारिता का वातावरण क्रियेट किया गया है। यह बिजली मन्त्री विद्युत परिषद् में अपनी पालिसी नहीं चला सकते। वहां इस तरह के लोगों का जनमत बन गया है, वहां का अध्यक्ष, वहां के कारकुन, वहां के चीफ इंजीनियर और कर्मचारी मन्त्री के आदेश के बावजूद उनके पालन में स्वेच्छाचारिता बरतते हैं। इसका नतीजा यह है कि कृषि कार्य के लिये बिजली नहीं मिल पाती, दो-दो वर्ष तक मीटर नहीं लग पाते। इस मुहकमें में भ्रष्टाचार का क्या कहना। अजीब बात है। किसी बड़े स्टोर को देख लें, ऐसा नहीं है जहां लाख रुपये से कम चोरी होती है। आज ही माननीय मन्त्री ने कहा कि चोरी जरूर हुई है, पहले भी चोरियां हुई हैं, किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं फिक्स की जा सकती है। अगर यह सरकार ऐसी है जो किसी पर जिम्मेदारी नहीं फिक्स कर सकती, ऐसी शर्मनाक सरकार है, तो इस सरकार को प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं है। स्टोर इंचार्ज, सिपाही पड़े हुए हैं, सचल दस्ता पड़ा हुआ है, चीनी का रस या शराब नहीं थी जो बह जाता है, ट्रांसफार्मर, बड़ी-बड़ी मशीनें बह आती हैं। आपके सिपाही बैठ कर देखते रहते हैं। इसमें सुधार होना चाहिये।

अब मैं देवरिया जनपद और पूर्वी जिलों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। बिजली के मामले में यह सही है कि मिर्जापुर में पावर स्टेशन है लेकिन पूर्वी जिलों में सिंचाई के लिये किसान को बिजली नहीं मिलती। चीनी मिलें चलती हैं, कारखानों को बिजली दे दी जाती है लेकिन ट्यूबवेल चलाने के लिये बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती। हर जिले में एक सब-स्टेशन लगाने की योजना कार्यान्वित की जानी चाहिये क्योंकि बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुंच पाती है। माननीय मन्त्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि बिजली के मामले में यह सतर्क रहें और बिजली पर नियंत्रण रखें। अगर यह संभव न हो तो फिर विद्युत परिषद् को तोड़ दें और जनता जो उससे तबाह हो रही है, उसको समाप्त करें और सीधे सरकार इस बिजली के उत्पादन को अपने नियंत्रण में ले ले। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)---

अध्यक्ष महोदय, विद्युत् मन्त्री द्वारा सदन में जो आज अनुदान पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। कई बातों के लिये मैं मन्त्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने बहुत-सी योजनायें प्रदेश की जनता के हित में प्रचलित की हैं जिनसे निश्चित ही उसको लाभ होने वाला है। मैं सब से पहले मन्त्री जी को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों में, बुन्देल खण्ड में, मिर्जापुर जैसे जिलों में और पहाड़ के ८ जिलों में बिजली की लाइन ले जाने के लिए जहां सरकार १५ प्रतिशत लाभ को ध्यान में रखती थी अब वहां उनके पिछड़ेपन को दृष्टि में रख कर और समाजवादी व्यवस्था में सबको समान रूप से तरक्की करने का अवसर मिले, इसे ध्यान में रख कर सरकार ने उस लाभ को ८ प्रतिशत कर दिया है जिसके लिये निश्चित रूप से पिछड़े जिलों की ओर से माननीय मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरे मैं इसलिये उनको बधाई देना चाहता हूं कि पहले जो मिनिमम गारंटी काश्तकार से ली जाती थी उसको समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा ट्रांसफारमर की चोरी होने पर उसका भार काश्तकार को वहन करना होता था अब उसे विद्युत परिषद् अपने खर्च पर पुनः लगा दिया करेगा और काश्तकार को उसके लिये कोई खर्च वहन नहीं करना होगा। इसके अलावा आप देखें कि चौथी पंचवर्षीय योजना में जो निर्धारित क्षमता थी उत्पादन की उससे प्रदेश आगे बढ़ गया है और उसमें सरकार और आगे बढ़ोत्तरी करने जा रही है। उनके हाथों, मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि जल्दी ही प्रदेश का विद्युतीकरण हो जायगा। २५ हजार गांवों के विद्युतीकरण करने का निर्धारित कार्यक्रम था लेकिन माननीय मन्त्री जी उससे आगे बढ़ गये हैं और २९ हजार गांवों में बिजली पहुंच गयी है। यह भी खुशी की बात है कि जिन गांवों में बिजली पहुंचने वाली है वहां हरिजनों की आर्थिक स्थिति का ख्याल किये बिना उनके घरों तक भी लाइन खींची जायगी ताकि हरिजनों को भी बिजली मिल सके। इस प्रकार के जो ये महत्व-पूर्ण कदम उठाये गये हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं।

अब बिजली के मामले में जो घाटा सरकार को होता है उसके पहलुओं पर भी विचार करना होगा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इस तरफ विशेष तौर से ध्यान देना होगा। कटौती के प्रस्ताव को रखने वाले माननीय सदस्य ने कई रचनात्मक सुझाव दिये हैं जिन पर सरकार को विचार करना चाहिये। उन सुझावों के साथ मैं भी अपने कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की परियोजनायें चल रही हैं उसमें यह हकीकत है कि सारे उत्तर प्रदेश में आधे से ज्यादा बिजली मेरे क्षेत्र में बनती है। हमारे यहां रिहन्द डैम है, ओबरा डैम है, ओबरा थरमल पावर स्टेशन है और वहां से अनेकों सुविधायें होने जा रही हैं। प्राइवेट सेक्टर में एक बिड़ला का प्रोजेक्ट है और भी योजनायें बनने जा रहीं हैं। मान्यवर, मैं अपने अनुभव के आधार पर बताना चाहता हूं कि इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जितने उच्चाधिकारी हैं और उनको एक-एक अधिकारी को १५–१५ नौकर निजी दिये गये हैं जिनकी संख्या कम की जानी चाहिये। हमारी जो मशीनें इस विभाग के पास हैं वे देखने के लिये नहीं हैं। उनसे पूरा कार्य लिया जाना चाहिये।

ओबरा में सिंचाई विभाग का जो अनुभाग था उसे इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अपने में लिया है। इसी तरह से रिहन्ड में भी होना चाहिये। वहां पर जो कैमिकल इन्जीनियरिंग का अनुभाग है जो कि केवल एक असिस्टैन्ट इन्जीनियर द्वारा ही चलाया जा सकता है, उसमें कई अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं। इसमें कमी करके इकोनामी की जा सकती है। और भी कई बातें हैं। वहां पर जमीनों का मामला बहुत दिनों से विचाराधीन है। रिहन्ड डैम के बनने पर दुकानों और छोटे-छोटे लोगों को रहने के लिये जमीन नहीं दी गई है। अतः मैं चाहता हूं कि उनकी जमीनों का मामला तय किया जाय। इससे वहां के लोगों में भेद-भाव किया जाता है जिससे उनकी कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ा है। वहां के कर्मचारियों को सिंचाई विभाग या अन्य विभागों के समान सुविधायें और एलाउन्सेज नहीं दिये जाते हैं। आधुनिक सुविधायें वहां पर उपलब्ध न होने के कारण वहां के लोगों में क्षोभ है। वहां पर अस्पताल और शिक्षा व्यवस्था न होने के कारण २० प्रतिशत और दिया जाता है किन्तु रिहन्द डैम के कर्मचारियों को नहीं दिया जाता है। तो यह जो सौतेला व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है उसे समाप्त किया जाना चाहिये।

मैं माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे रिहन्द के कर्मचारियों को वहीं एला-उन्सेज द जो कि अन्य विभाग के कर्मचारियों को दिये जाते हैं। इस रिहन्ड के बनने के समय में ४५ हजार लोगों को निकाला गया था और इसकी जांच आदि के लिये बोर्ड भी गठित हुआ था, उसने वहां के गांवों के विद्युतीकरण के लिये सिफारिश की थी किन्तु अभी तक वहां के एक भी गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप वहां पर इकोनामी का सिद्धान्त न लें और नैतिकता के आधार पर ध्यान दें। उन लोगों के घरों में यदि बिजली का एक बल्ब

[श्री राम प्यारे–]

टिमटिमाता है तो वहां के लोगों को संतोष होगा जो कि एक बहुत बड़ी चीज है। अभी हमारे एक साथी मिर्जापुर में हिन्डालकों को बिजली देने के सम्बन्ध में बोल रहे थे। मैं भी इसी विचार का हूं। मैंने इस बात की वकालत इस सदन में पहले भी की थी और मैंने रेनू सागर पावर प्रोजेक्ट को जमीन दिलाई थी ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके। किन्तु खेद है कि वहां के लोगों को इस फैक्टरी में रखने की कोई व्यवस्था नहीं की गई।

मैं सभी माननीय सदस्यों को निमन्त्रित करता हूं कि आप मेरे क्षेत्र में चलें और देखें कि वहां के पिछड़े हुए लोगों को काम नहीं मिल पाता है जब कि उन लोगों ने अपनी जमीन उस प्रोजेक्ट के लिये दी है। वे लोग पढ़े-लिखे हैं किन्तु उनको नौकरी नहीं मिलती है। हमारा क्षेत्र फले-फूले और वहां पर इन्डस्ट्री न लगे और मैं उसका विरोध न करूं यह अजीब-सी बात है। अतः मैं चाहता हूं कि वहां की यह विषमता दूर हो, वहां का विकास हो, अन्य क्षेत्रों की तरह वहां के लक्ष्यों की पूर्ति हो और हर गांव में बिजली मिले। मैं भी यही चाहता हूं कि आप घाटे में हमें बिजली न दें। इसके लिये तो सरकार बधाई की पात्र है कि उसने यह घोषणा की है कि हम घाटे में बिजली नहीं देंगे। यह बात वास्तव में ठीक है कि इसी से मालूम पड़ जाता है कि यह सरकार समाजवादी सरकार है किन्तु जो वायदे किये हुए हैं वह ठीक हैं और उनकी पूर्ति होनी चाहिये। अतः मैं चाहता हूं कि इस सरकार को यह निश्चय कर लेना चाहिये कि वहां के लोगों को ८० प्रतिशत रोजगार में वहां पर लेना चाहिये, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिये, वहां का विकास होना चाहिये। अगर ये कहते हैं कि रामप्यारे हिन्डालको को बिजली देने की खिलाफत करता है तो मैं नहीं चाहता कि हिन्डालको को बिजली दी जाय, लेकिन किन शर्तों पर दी जाय? एक शर्त यह हो कि घाटे पर न दें और एक यह कि दुद्धी और खास तौर से उन लोगों को रखा जाय। जब दुद्धी के लड़के जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि तुम्हारे एम०एल०ए० तो हमारा विरोध करते हैं। वहां १७ सूत्री मामलों को लेकर झगड़ा है। मैनेजमेन्ट कहता है कि वहां से उठाओं यह कैसे हो रहा है।

मैं आपको प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की बात बताना चाहता हूं। ओबरा में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है कि जिसे क्वार्टर न मिला हुआ हो और हिन्डालको में लेबर झोपड़ियों में रह रहा है, नरक का जीवन व्यतीत कर रहा है। सामान्य लेबर क्वार्टर्स में मजदूर न रहकर ठेकेदार और आफिसर्स रह रहे हैं। इन चीजों को कब दूर करेंगे? वहां ४–४, ५–५ साल से लेबर काम कर रहे हैं और उनको स्थायी नहीं किया जाता, प्रोमोशन में भेद-भाव किया जाता है। पिछले साल मीटिंग की थी तो वह खराब बात हो गयी। हम जनप्रतिनिधि हैं, मैं मांग करता हूं कि उस क्षेत्र के विकास के लिये यह परम आवश्यक है कि वहां बिजली दी जाय। वहां जनसुधार की जरूरत है। वहां बिजली के आफिसेज आने वाले हैं। इकोनामिक प्वाइंट आफ व्यू से देखें, वह एक छोटा-सा स्थान है। जब एक्सपेंशन दूसरी जगह पर हो रहा है तो उसको उपेक्षित क्यों रखा जा रहा है? ओबरा में कोयले की कमी चल रही है। दिक्कत यह होती है कि विचारधारा ऐसी बन गयी है कि बड़ा पावर हाउस बन्द न हो जाय। इसलिये उसके लिये कोई न कोई फैलाव की व्यवस्था होनी चाहिये, चाहे दूसरे स्थान से करें। जैसे रानासागर से कोयला ले जाने की व्यवस्था है, वैसी ही वहां भी कर सकते हैं।

साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि ओबरा में चले जाइये, वहां कितनी सफाई है। तारीफ करने के लायक काम हो तो करना चाहिये। रेहेंड में जा कर देखो, किस तरह से काम हो रहा है। बधाई दी जानी चाहिये। यही नहीं, माननीय वर्तमान मन्त्री ने जिस तरह से एड-मिनिस्ट्रेटिव सुधार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में किया है, जो अनियमिततायें थीं, वह समाप्त हो गयीं हैं और सुविधायें देने में देरी नहीं होती एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सेट-अप उन्होंने बना दिया है और एक एडीशनल मुख्य अभियन्ता के अन्डर में यह सब कर दिया है। जो यहां सारे काम पड़े हुए थे उसका विकेन्द्रीकरण करने से आशा है कि मन्त्री जी परिस्थिति अनुसार सुधार लाने में सफल होंगे और जल्दी वहां का विकास होगा।

बिक्री–कर का जहां तक संबंध है २६ करोड़ की वसूलयाबी होनी चाहिये थी। मैंने कहा था कि हिंडालको पर ३–४ करोड़ रुपया बाकी है, वह लीजिये। जब हम छोटे कर्मचारियों, एक किसान की १० रुपये पर कुर्की निकाल सकते हैं तो उनकी क्यों नहीं निकाल सकते ? वह स्टे ले लें, लेकिन हाई कोर्ट से लें, मन्त्री जी निश्चित वादा करें कि जब तक हमारा पाई-पाई वसूल नहीं हो जायगा तो उनको अतिरिक्त बिजली नहीं देंगे और अगर फिर भी देंगे तो जनता का विरोध होगा। मुझे विश्वास है कि हमारे मन्त्री जी सजग हैं। इन शब्दों के साथ मैं इन दोनों अनुदानों का हृदय से समर्थन करता हूं।

*श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)––

माननीय अध्यक्ष जी, मैं राम प्रसाद जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। पहली अनुदान बिक्री कर की है। यह माननीय मन्त्री जी को मानना पड़े कि यह कितना भ्रष्ट मुहकमा है। इसमें कितनी अफसरशाही चलती है। असेसमेन्ट, वसूली के बाद जो अपील वगैरह होती है उसमें भी कितना भ्रष्टाचार और कोअर्शन होता है। कोअर्शन इस तरह से कि असेसमेंट उन्हीं अधिकारियों के द्वारा हुआ करता है जो किसी प्रकार से गलत असेसमेंट करके उन पर दबाव डालते हैं कि तुमको इतना पैसा देना होगा। ये सोचते तो हैं कि करवंचना कैसे होती है परन्तु इनका ध्यान इस तरफ नहीं जायगा कि अफसरशाही किस तरह से भ्रष्टाचार कर रही है। इसके लिये यही उपाय नहीं है, और भी उपाय सोचने पड़ेंगे कि किस तरह से जबरदस्ती असेसमेंट होते हैं। उसके बाद जो अपील होती है उसमें भी एक प्राविजन रखा है रुपया जमा करने का। उससे भी अफसर को एक तरह से बल मिलता है। वह कहता है कि हम तो असेसमेंट कर देंगे उतना आप को देना होगा फिर अपील में हो या न हो। जब तक आप इसके खिलाफ कार्यवाई नहीं करेंगे यह बन्द नहीं होगा। यह राजस्व का एक स्रोत है परन्तु उसमें इतना भ्रष्टाचार है जिसके कारण पूरा-पूरा पैसा सरकार को नहीं मिल पाता है।

दूसरा अनुदान है अग्रिम ऋण का जिसमें माननीय मंत्री जी ने बताया कि एक संस्था सबसे बड़ी विद्युत परिषद् है। इसमें और भी बहुत सी संस्थाएं हैं जो प्रोडक्टिव या अन प्रोडक्टिव हैं जिनको ऋण आप देते हैं। यह बहुत बड़ी उत्पादक संस्था है फिर भी बड़े दुख की बात है कि इतना पैसा देने के बाद भी आज मंत्री जी को यह मानना पड़ता है कि करोड़ों के घाटे पर चल रही है। क्यों ? जैसे एक देहात का आदमी कोई रोजगार करता है तो उसको पता तो न चले कि हमने कितनी पूंजी लगाई और क्या घाटा हो रहा है। क्या मंत्री जी इसके लेखे जोखे पर विचार करेंगे ? अभी सभी सदस्यों ने बताया कि उसमें लाखों की चोरी होती है, कोई गोडाउन नहीं है। इसके पूर्व कि माननीय मंत्री जी उनको ऋण दें इस पर भी विचार करें कि वह कैसे काम करते हैं। अभी माननीय देशमुख जी ने बताया कि कोई इंजीनियर है, उनके खिलाफ लिखा कि ये रखने योग्य नहीं हैं लेकिन मंत्री जी ने उनको बजाय हटाने के ऊंचा ओहदा दे दिया।

सामुदायिक विकास मंत्री (बलदेव सिंह आर्य)––

यह इन्हीं के जमाने का है।

श्री हरिनाथ तिवारी––

लिखा तो इन्होंने लेकिन आपने उनको हटाया नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रान्त १,१२,६२४ गांवों का है और गांवों के हिसाब से पूरे देश का पांचवां हिस्सा बनता है और आबादी के हिसाब से ६ वां हिस्सा बनता है। इससे माननीय मंत्री जी यह न समझें कि इतना बड़ा प्रदेश है इसलिए इंतजाम सही नहीं हो पाता है। जितना बड़ा प्रदेश है उसी प्रकार से संशाधन भी हैं। परन्तु मंत्री जी ने बताया कि जे लाख गांवों में से केवल २ हजार गांवों का विद्युतीकरण किया है। आपको १,४४० मेगावाट शक्ति चाहिए जबकि आपके पास ७०० मेगावाट ही है। यह ठीक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरिनाथ तिवारी–]

है अणु शक्ति चालित बिजलीघर आपके यहां बनने जा रहा है लेकिन उन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों के हाथ में उसका भी तो इंतजाम रहेगा। यह जो उत्पादक संस्था है इसमें हमको घाटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम हर यूनिट का पैसा लगाते हैं। फिर क्या कारण है कि इसमें घाटा होता है ? इस पर मंत्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिए।

आपने कहा कि हमने मिनिमम गारंटी खत्म कर दी परन्तु यह भी तो सोचिये कि जो सरचार्ज लगाया और बिजली की दर बढ़ा दी उसकी वजह से तो मिनिमम गारंटी से भी ज्यादा मूल्य देना पड़ता है। मैं मंत्री जी को सुझाव दूंगा कि क्या कारण है कि वहां बिजली जल्दी नहीं लगाई जाती है। वहां पर लाइनमैन होता है, लाइन इंस्पेक्टर होता है और एस० डी० ओ० भी रहता है। फिर भी बिजली जल्दी नहीं मिलती है। वहां इस तरह की वे लोग बात करते हैं कि अगर कुछ रुपया दे दो तो तुमको कम पैसा देना पड़ेगा अन्यथा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। वे २००/४०० रुपये काश्तकारों से मांगते हैं। एक-एक लाइन के लगाने में साल-साल भर का समय लग जाता है। क्या कारण ह कि ६/७ हजार एप्लीकेशन पड़ी रहती हैं। इनको तो पैसा मिलता ही है। इसलिए जल्दी लाइन डालनी चाहिए और बिजली जल्दी देनी चाहिए। इससे विद्युत परिषद् को लाभ ही होगा और हानि का कोई सवाल नहीं है।

हमारे यहां फैजाबाद जिले में हमने देखा है कि बिल का रुपया जमा करने का समय केवल ११ बजे से १ बजे तक का रखा गया है जब कि और जगहों पर ११ बजे से लेकर शाम के ५ बजे तक का समय होता है। यह लोग १ बजे के बाद उठ जाते हैं। काश्तकार जो बेचारे ५० मील से आते हैं उनको एक दिन रुकना पड़ता है। इसलिए रुपया जमा करने का समय शाम के ५ बजे तक रखा जाय।

यहां की यानी लखनऊ की समस्या है कि पहले मार्टिन बर्न कम्पनी काम करती थी। लेकिन अब सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। मीटर का आप पैसा लेते हैं पहले सिक्यूरिटी मनी पर ब्याज मिलता था वह अब नहीं मिलता है। उसको देना चाहिए। बिजली की कमी से देश के विकास के रुकने की आशंका की जा रही है। कहा गया है कि ७३–७४ के अन्त तक प्रदेश में बिजली के अकाल की आशंका है। मंत्री जी इस सम्बन्ध में सदन को अवगत कराने की कृपा करें। अभी माननीय देशमुख जी ने कहा कि इस विभाग में लाखों रुपये के माल की चोरी होती है। उसको रोकना चाहिए। फैजाबाद में जैनेन्द्र केबिल्स फर्म है। विचो लिये ४३ पैसे प्रति यूनिट वसूल करती है। इसके कोई लिमिट होनी चाहिये। इससे ज्यादा वे वसूल न कर सकें। मिर्जापुर के एक सदस्य वकालत कर रहे थे कि यह एक बड़ा उद्योग है और जो कांटेक्ट हो गया है उसको मानना चाहिए। लोगों के राज्य, जमीन, जायदाद आदि ले लिए गये, यह कितना बड़ा आब्लीगेशन था। जब यह तोड़ा जा सकता है तो यह एग्रीमेंट क्यों नहीं तोड़ा जा सकता ? इसलिए तोड़ा जा सकता कि चुनाव के समय ये लोग अपनी थैली खोल देते हैं और मंत्री जी तथा उनके दल के लोग उससे लाभ उठाते हैं। कहने के लिए समाजवाद कहते हैं लेकिन अन्तर कितना है। बिड़ला जी को किस भाव पर बिजली देते हैं और किसान को किस भाव पर देते हैं। ८७ परसेंट काश्तकार हैं उनके लिये बिजली का रेट बढ़ाया न जाय, उसके लिये कितने उद्योग की आवश्यकता है। आप केवल किसान को लाइन नहीं दे सके हैं। अगर आप किसान को केवल लाइन दे दें तो किसान का बड़ा भारी उपकार हो सकता है और देहात का बड़ा भारी विकास हो सकता है। चाहे देहात हो या शहर हो अगर वहां बिजली हो जायगी तो वहां का विकास तो अपने आप ही हो जायगा। क्योंकि बिजली प्रगति का प्रतीक है।

आपको अपने कर्मचारियों से इस बात के आंकड़े मंगाने चाहिए कि कहां-कहां ऐसी जमीन है जहां पर बिजली नहीं गई है और बिना बिजली और ट्यूबवेल के हजारों बीघा जमीन बेकार

पड़ी है। माननीय मंत्रीजी ने कहा कि उन्होंने २ हजार गांवों का विद्युतीकरण कर दिया है लेकिन २५ वर्ष में तो किया है। और हमारे यहां १ लाख २० हजार गांव हैं, यानी ६ गुने। इस हिसाब से तो उनमें बिजली पहुंचने में ६ वर्ष लग जायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री ज्वाला प्रसाद कुरील (जिला कानपुर)––

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, कुछ सुझावों के साथ मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

विद्युत के भावों में जो असमानता है उसके लिये मंत्रीजी ने आश्वासन दिया है कि वह जल्दी ही दूर कर दी जायेगी। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि आज किसान और सरमायेदार के बीच में बिजली के भावों में बहुत भारी असमानता है। आज तक सरकार सदा ही सरमायेदार के पक्ष में रही है इसलिये सरकार सारे प्रदेश के लोगों को उचित लाभ नहीं पहुंचा पाई है। यदि सरकार बिजली के भावों में समानता ले आवेगी तो उससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ हो जायेगा। क्योंकि बिजली का प्रसार शहरों में ज्यादा है और देहात में कम है इसलिए उसका प्रभाव यह हुआ है कि देहात कमजोर हुआ और शहर बढ़े हैं। देहात में गरीबी बढ़ी है और शहरों में अधिक आदमी बढ़ जाने के कारण सरकार के सामने बहुत सी समस्याएं पैदा हो गयी हैं। गांवों का किसान हसरत भरी निगाह से देख रहा है कि किसी भी प्रकार से उनको बिजली मिल जाय। जिला कानपुर में हालत यह है कि किसान अपना सर्वस्व लगा कर भी डीजल आदि के द्वारा ट्यूबवेल चलाने में सफल नहीं हो पा रहा है और उसने दूसरी जगहों में जाकर दूसरे काम कर लिये है। अगर हमारे यहां बिजली का प्रसार हो जाय तो बहुत से ऐसे किसान हैं जो वहां पर वापस लौट आवेंगे और अपना नलकूप लगा लेगें। और सरकार को भी उन्हें कोई सहायता देने की आवश्यकता न होगी। यही कारण है कि आपकी हरी क्रांति भी सकल नहीं हो पा रही है।

कानपुर में जमुना के पास का क्षेत्र और सेंगुर नदी के पास का क्षेत्र ऐसा है जहां पानी का स्ट्रेटा बहुत गहरा है, वहां किसान अपना नलकूप नहीं लगा सकता है। जहां भी बिजली की लाइन गई हुई है वहां किसान ने २५–३० रुपया करके सबने मिल कर जमा किया है लेकिन उसको बिजली नहीं मिल पा रही है। लाइन इंसपेक्टर बिना रुपये के कोई काम नहीं करते हैं। एस्टीमेट उसी का बनेगा जो इंसपेक्टर साहब को जाकर ४०० रुपया दे देगा। यह मैं किसी के प्रति ईर्षावश नहीं कह रहा हूं। ऊपर के लोगों की जो सद्भावना है वह नीचे के कर्मचारियों के कारण किसानों पर नहीं पहुंच पाती है। इसलिये उसे और भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और उनको भी देखना चाहिए। इसी कारण से आपको पूरी सफलता नहीं मिल पा रही है। हमारे यहां घाटमपुर में जो राजकीय नलकूप योजना आरम्भ की गई है, उसमें यह चल रहा है कि जो लोग सुपरवाइजरों और अधिकारियों से मिल कर पूजा सत्कार कर देते हैं, उनके यहां नलकूप लग जाते हैं इसके ऊपर मैं चाहता हूं कि सरकार कुछ अंकुश लगाये।

एक बड़ी कठिनाई यह भी है कि मीटर देने वाले एक इंजीनियर हैं और लाइन देने वाले दूसरे हैं और वह फर्रुखाबाद में हैं। इससे किसानों को बड़ी असुविधा होती है। अच्छा हो कि लाइन और मीटर देने वाले एक जगह ही सारा काम जोड़कर इस व्यवस्था को कर दिया करें और कानपुर में ही यह सब काम हो जाया करे। जहां तक इस आश्वासन की बात है कि हरिजनों के मुहल्लों में बिजली जायगी मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जिला कानपुर में बहुत से ऐसे कस्बे हैं जहां पर बिजली तो पहुंची है लेकिन वहां के सभापतियों या टाउन एरियाज के चेयरमैनों ने इस सद्भावना का प्रदर्शन नहीं किया कि हरिजन बस्ती में या गरीब मुसलमानों की बस्ती में बिजली का प्रबंध कराते। हमारे यहां मूसानगर में बिजली पहुंच गई और स्थानों में भी पहुंची है लेकिन हरिजन व मुसलमानों की बस्ती अब भी उस सुविधा से वंचित है। आशा है कि मंत्री जी ने जो

[श्री ज्वाला प्रसाद कुरील—]
आश्वाशन दिया है कि हरिजनों के मुहल्लों में बिजली लगाई जायगी उसकी ओर अधिक ध्यान दिया जाय और कानपुर में जिन हरिजन और मुसलमानों की बस्ती में बिजली नहीं है, वहां बिजली पहुंचाई जाय।

मैं निवेदन करूंगा कि जो किसान नलकूप लगाते हैं उनको बैंक से पैसा नहीं मिलता बल्कि उनको इंजिन देने की बात होती है लेकिन इस तरह से उनको खराब और पुराने इंजिन दे दिये जाते हैं जिससे कि किसान काम नहीं ले सकता, वह सहकारिता वालों, और बैंक वालों के पास दौड़ता फिरता है और उसकी कोई नहीं सुनता और उसका इंजिन २—३ मास में ही खराब हो जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि कोई ऐसी व्यवस्था करें कि किसान देखकर अपना इंजिन सीधे ही खरीद सके। पहले ऐसा विश्वास किया जाता था कि किसान उस पैसे को लड़की की शादी आदि में खर्च कर लेगा लेकिन तब से आज जमाना बहुत बदल चुका है। आज किसान पास के खेतों में जब देखता है कि २०-३० मन बीघा की पैदावार हो रही है तो वह शादी व्याह में व्यय न करके खेती बढ़ाना चाहता है, वह अपना नलकूप लगा कर पानी का प्रबंध करना चाहता है। मेरा हरित क्रांति को सफल बनाने के लिये मंत्रीजी से अनुरोध है कि वह किसान को इंजिन न देकर उसे पैसा ही दिलाने की व्यवस्था करें। हमारे यहां यमुना के किनारे ऐसे गांव हैं जहां अगर बरसात के बाद उन्हें बोने को मिल गया और जाड़े में एक पानी हो गया तो वह बीज वापस ले आते हैं और कुछ पैदावार हो जाती है लेकिन अगर बारिस नहीं होती तो किसान को गृहस्थी पालना भी कठिन हो जाता है और उसे महाजन के यहां अपने बर्तन तक गिरों रखने पड़ते हैं, गरीब और बेकवर्ड जाति के किसान बहुत उससे बरबाद हो जाते हैं।

हमारे यहां सर्वे हो चुका है और अमरौधा और घाटमपुर में ७५ नलकप लगाने की योजना है लेकिन उनके लगाये जाने की गति बहुत धीमी है और अब वहां के किसानों का सब्र टूट रहा है। वह आज अपना बीज तक खेत से नहीं लौटाल पाते हैं, वह शादी-व्याह और कोई काम नहीं कर पाते हैं, बार-बार सूखा पड़ता है, वह कैथा, गुठली और न जाने गूलर और क्या-क्या खाकर किसी तरह से अपना और बच्चों का पेट भरते हैं। अगर जाड़े में महावट हो जाती है तो वह महाजन के यहां से अपना जेवर बरतन छुड़ा पाते हैं वर्ना वह भी व्याज में खत्म हो जाता है जिस तरह से प्राण के बिना शरीर निर्जीव हो जाता है उसी तरह से बिजली और कृषि का शरीर का सा संबंध है जैसे प्राण, वायु, के साथ ही शरीर चल सकता है इसी तरह से बिजली और पानी कृषि के लिये बहुत आवश्यक हैं। बिना उनके किसान और कृषि निर्जीव हो जायेगी। आज किसान शादी-व्याह से कटौती करके अपनी कृषि को उन्नत बनाना चाहता है। आज वह चाहता है कि नलकूप लगाये, उसके लिये उसे बिजली मिले ताकि वह अपने खेतों में सिंचाई कर सके। यदि आपको हरित क्रांति को सफल बनाना है तो उसे बिजली देनी होगी और इससे वह और एक कदम आगे ले जायगा। आप उन लोगों को सतर्क करें जिन्होंने यहां पर हरिजनों के हित का बड़ा ढिंढोरा पीटा है। हरिजनों की एक बहुत बड़ी बस्ती मूसानगर है, और नौनापुर में बिजली नहीं पहुंच पायी है। घाटमपुर में भी सब जगहों पर बिजली नहीं पहुंच पायी है। जब तक आप प्रदेश के गांवों में बिजली नहीं ले जायेंगे तब तक यहां की हरित क्रांति सफल नहीं हो सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत मांग का समर्थन करता हूं।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)—
अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस समय माननीय विद्युत मंत्री जी भी उपस्थित हैं क्योंकि मैं आपकी अनुमति से इस सदन के समक्ष कुछ जानकारी और आंकड़े उपस्थित करूंगा और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी से कि यदि मेरी गिनती गलत हो, मेरी सूचनाएं गलत हों तो वे कृपया जब उत्तर दें तो यह बतायें कि गलती कहां है और किस प्रकार से है।

श्रीमन्, यहां पर यह बात कही गयी और बड़े अभिमान के साथ, बड़े गर्व के साथ कि इस सरकार ने किसानों के ऊपर जो मिनिमम चार्ज लगाया हुआ था, उसको वापस ले लिया, जैसा कि उन्होंने बड़ी रियायत या नेकी किसानों के साथ की हो। पर श्रीमन्, यह तो परिवर्तन हुए हैं ये उसी प्रकार से हुये जैसा कि बचपन में हम एक किस्सा सुना करते थे कि गांव में किसी की मुर्गी खो गई और वह दूसरे आदमी को मिली। वह आदमी अपनी ईमानदारी जाहिर करना चाहता था लेकिन मुर्गी भी वापस नहीं करना चाहता था। वह उसे पकाकर भोजन करने वाला था। तो यह तो बड़े जोर से चिल्लाता था कि "किसकी मुर्गी है" लेकिन यह धीरे से कहता था कि "खो गयी है"। इसी प्रकार से इन्होंने भी एलान कर दिया कि किसानों के ऊपर से मिनिमम चार्ज वापस ले लिया है लेकिन उधर क्या किया है किसान के ऊपर। जब यह फैसला लिया गया तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों में ३/४ को इसका इल्म नहीं रहा होगा और अगर होता तो वे इसका विरोध जरूर करते, मिनिमम चार्ज तो गया लेकिन उन पर एक फिक्सड चार्ज चालू कर दिया ३ रुपया प्रति हार्स पावर प्रति मास की दर से।

इसके अलावा १५ पैसे बिजली के प्रति यूनिट की कीमत थी, उसको बढ़ाकर १८ पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है इसका प्रभाव वास्तव में क्या हुआ है, मैं गिनती की प्रक्रिया में न जाकर, कहता हूं कि व्यवहारिक रूप में बिजली की दर ड्योढ़ी से ज्यादा हो गयी है। एक किसान जो १ हजार घंटे अपने ट्यूबवेल को चलाता था, यह बहुत अधिक नहीं हुआ है, १०० दिन भी अगर ३६५ में चलाता है तो उसके लिये जहां १५ पैसे प्रति यूनिट बिजली थी, वह २२.८ पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से जोड़ने से सीधी हो गयी।

(इस समय ३ बजकर ३ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, मैं इस सदन के समक्ष यह भी रख देना चाहता हूं कि चार वर्ष पूर्व बिजली की दर केवल १२ पैसा थी। यदि उसकी तुलना की जाय तो आज बिजली की दर ९० प्रतिशत बढ़ गई है। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो माननीय मंत्रीजी मुझे सुधार दें। लेकिन यदि ऐसा है तो यह बड़े शर्म की बात है जो सरकार गेहूं और गन्ने का दाम काश्तकार के लिये नहीं बढ़ा पायी, वह बिजली का दाम ९० प्रतिशत बढ़ा सकी है। एक तरफ तो यह किसानों का चित्र है और दूसरी तरफ बिड़ला के पैरोकार भी यहां मौजूद हैं। वह कहते हैं कि यह हमारा एक बहुत ही उपयोगी उद्योग है और उनसे हमारा कान्ट्रेक्ट है और हम हमेशा हर एक के साथ जो एग्रीमेंट है उसको मानने वाले हैं। यह सार्वजनिक जीवन में उनके सदाचार का उदाहरण है। वे किसी के साथ किये हुए एग्रीमेंट को तोड़ते नहीं हैं और इसीलिये पुराने एग्रीमेंट के अनुसार बिड़ला को दो पैसे से कम पर प्रति यूनिट बिजली दे रहे हैं। हम लोगों को बताया गया कि बिजली का उत्पादन का खर्चा सात आठ पैसे प्रति यूनिट पड़ता है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश की सरकार प्रति यूनिट पांच पैसे से अधिक घाटा उठा रही है, अब उसको कितनी बिजली दी जा रही है? चालीस करोड़ यूनिट। पांच पैसे का हिसाब लगाया जाय तो अढ़ाई करोड़ रुपये प्रति वर्ष की उत्तर प्रदेश सरकार को हानि हो रही है बिड़ला को बिजली देने से।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अढ़ाई करोड़ रुपये की रकम कितनी है। भारतवर्ष के जितने राजे महाराजे थे उनके सारे प्रिवी पर्सों का रुपया साढ़े चार करोड़ था और उसको मिटाने के लिये तो इस सरकार ने संविधान को तोड़ दिया। लेकिन एक पूंजीपति का प्रीवी पर्स मिटाने का उसको साहस नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि अल्यूमिनियम उद्योग में बिजली एक रा मैटीरियल है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी मानता हूं कि जो कारखाने का मालिक हो उसको ही बिजली उत्पादित करना चाहिए। बिजली बनाने वाले को ही अल्यूमिनियम का कारखाना लगाना चाहिए। किन्तु यदि बिड़ला साहब बिजली पैदा नहीं कर सकते हैं तो सरकार को उस इन्डस्ट्री को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। लेकिन उनके समाजवाद में ऐसा कोई दम

[श्री भानुप्रताप सिंह—]

नहीं दिखाई पड़ता। क्या कारण है कि आप छोटी-छोटी चीजों को तो लेते जा रहे हैं लेकिन एक ऐसा उद्योग जिससे किसानों को बिजली नहीं मिल पाती है या किसानों को बाईस प्वाइन्ट आठ पैसा प्रति यूनिट पर बिजली मिलती है बिड़ला को दो पैसा प्रति यूनिट से कम पर बिजली दी जा रही है। किसान आखिर समझेगा, जागेगा और एक दिन ऐसा आयेगा जब आपका यह गोरख-धन्धा चलने वाला नहीं है। मेरे पास नये आंकड़े तो नहीं हैं, सम्भव है उनमें कुछ त्रुटि हो। लेकिन किसान जितने घंटे नलकूप चलाता है उसमें जितनी बिजली की खपत होती है वह करीब-करीब उतनी है जितनी बिजली अकेले बिड़ला इस्तेमाल करता है। इस प्रकार से एक ओर आप बिड़ला को रख लीजिये और एक तरफ सारे किसानों को रख लीजिये। और इस पर आप कहते हैं कि आप समाजवादी हैं। क्या इसमें किसानों का हित कर रहे हैं ?

श्रीमन्, बहुत आलोचना करते हुए मुझे डर लगता है कि कहीं मंत्रीजी नाराज न हो जायं। किसान कोई निवेदन भी करता है तो डरता हुआ करता है क्योंकि वह कमजोर होता है। वह जानता है कि आज मैं अगर आलोचना कर दूंगा तो कल को मेरी मामूली सी बात भी स्वीकार नहीं की जायेगी। बिजली की दर तो बढ़ ही गई किन्तु यदि आप किसान के ऊपर इतनी कृपा कर दें तो किसान आपका कुछ न कुछ शुक्रगुजार होगा ही। और वह यह कि अगर कोई किसान उस स्तर तक बिजली का इस्तेमाल कर रहा है जहां तक मिनिमम चार्ज लगा करता है तो कम से कम उससे फिक्स्ड चार्जेज न वसूल किया जाय। अगर वह मिनिमम चार्जेज तक बिजली की खपत कर लेता है तो आप उसको फिक्स्ड चार्जेज न लगावें। केवल तीन पैसे तक, जो आप ने बढ़ा लिया है उसे आप घटायेंगे नहीं क्योंकि बिड़ला को जो बिजली दी जा रही है उस से जो नुकसान हो रहा है वह तो किसानों से वसूल होगा ही। श्रीमन्, मैं पुनः यह मांग दोहराना चाहता हूं कि जो संस्थान सब से अधिक व्यय करता हो, जो अपनी योजनाओं पर एक-तिहाई पैसा खर्च करता हो, उस के लिए सीधी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिये और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इबालिश कर देना चाहिये। जब तक ऐसा न होगा, इस पर नियंत्रण नहीं हो सकता। मैं दो-एक उदाहरण देना चाहता हूं। अगर आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता तो ऐसी बात नहीं हो सकती थी। उदाहरण के लिये आज ही प्रश्नोत्तर के समय माननीय मन्त्री जी ने कहा कि चोरी हो गयी, लेकिन उस की रेस्पांसिबिलिटी फिक्स नहीं हो सकती। अगर सरकारी विभाग हुआ होता, तो ऐसा उत्तर कदापि नहीं आता।

मैं दूसरी बात की ओर माननीय मन्त्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह जो ८ मंजिला महल बना हुआ है, वह फुल्ली एयर-कन्डीशन्ड है। सेक्रेटेरियट जो शक्ति का स्रोत है, उत्तर प्रदेश की ९ करोड़ जनता का, वहां एक भी कमरा शायद एअर-कन्डीशन्ड नहीं है। वह विभाग जो प्रति वर्ष घाटे में चले, कुछ न देता हो, उस में इतना दुःसाहस कि अपना मुख्यालय एअर-कन्डीशन्ड बनावे ? अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता तो कभी स्वीकृत नहीं हो सकता था एअर कन्डीशनिंग। एअर कन्डीशनिंग क्यों है, इसका एक दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के टैरिफ्स हैं। इस टैरिफ में जितने कर्मचारी हैं उन को कुछ हद तक मुफ्त बिजली दी जायगी और उस के बाद रियायती दर पर दी जायगी। जो विभाग घाटा करता हो, जिस विभाग की सेवाओं से एक-एक किसान का दिल जला-भुना बैठा हो, २४ घंटे में ४–६ बार ब्रेक डाउन्स होते हों, उस विभाग के लोग इतनी शान-शौकत से मुफ्तखोरी करें। यह गोरखधन्धा ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है और यह तभी तक चल रहा है जब तक कि इस देश का किसान और जनता नहीं जागेंगे। मैं आप से एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि आज तक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कितना घाटा हुआ है क्युमिलेटिव और घाटे में केवल बिड़ला की कितनी जिम्मेदारी है ? मैं आप से यह निवेदन करता हूं कि यदि वास्तव में आप इस बिजली विभाग से चाहते हैं कि जनता की सेवा करे, तो यह जो स्वतन्त्र स्वायत्त शासी संस्थान मानी जाती है, उसे गवर्नमेंट न माने।

इसी सदन में एक माननीय सदस्य ने एक शिकायत लिख कर भेजी, पता नहीं उस समय माननीय मन्त्री जी बिजली मन्त्री थे अथवा नहीं, और मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहता, सचिवालय से यह उत्तर आया कि इस प्रकार की शिकायतें भविष्य में इस कार्यालय को न भेजी जायं। यदि आप को कोई शिकायत हो तो सीधे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जाकर अपनी शिकायतें कीजिये। उस दिन जब निगमों के बनाने पर चर्चा थी तो हमारे वित्त मन्त्रीजी ने आश्वासन दिया था कि इन निगमों पर सदन का पूरा नियंत्रण रहेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार का नियंत्रण रहेगा कि अगर एक विधायक आप को लिखकर भेजता है अपनी कुछ शिकायतें, तो उन शिकायतों पर जांच करने के बजाय उस आदमी को वहां से यह जवाब जाय कि आप ने बदतमीजी की वहां लिख कर और भविष्य में आप ऐसा न करें। मैं अधिक न कह कर एक बार फिर कहूंगा और कोई इस भावना से नहीं कि मैं विरोध पक्ष में बैठा हूं, जनता की सेवा करने की, मैं यह नहीं मानता कि उधर के बैठने वालों की ही मोनोपोली है। मैं तो इस प्रदेश के हित में कहता हूं कि स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को एबालिश करिये बिड़ला के कारखानों का राष्ट्रीयकरण किया जाय, किसानों को सस्ती दर पर बिजली दी जाय। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री राजित राम पान्डेय (जिला इलाहाबाद)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझको बिजली की बहस में बोलने का अवसर दिया। मैं उस के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। हमारे कई साथियों ने इस विभाग में भ्रष्टाचार का अलाप किया है। इस में कोई दो राय नहीं हैं कि बिजली में बहुत दिनों से भ्रष्टाचार रहा है और हम लोग इस को दूर करने के लिये दोहाई देते रहे हैं। लेकिन पहले के मुकाबिले अब इस विभाग में भ्रष्टाचार कम है, दो चार आने कम है। अगर इसी प्रकार का रवैया रहा तो और भी आगे इस में सुधार होगा। आप जानते हैं कि २० साल की हुकूमत में जितना भ्रष्टाचार इस में रहा है वह किसी से छिपा नहीं है और इस तरफ के और उस के सभी लोग इस के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। बिजली ऐसी चीज है जिस की आज के जमाने में कितनी जरूरत है यह किसी से छिपी नहीं है। मिनिमम गारेन्टी की बात की गयी कि वह खत्म हुई। मैं वास्तव में अपने मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आप ने मिनिमम गारेन्टी तो खत्म की और ३ रु० पर हार्स पावर, १० हार्स पावर पर ३० रु० लगा दिया। इस के माने ६०० रु० आप उस से लेना चाहते हैं। इस से किसानों को बहुत अधिक तकलीफ है।

मैं उद्योग धन्धों की बात नहीं करता हूं, मैं तो गरीब किसानों की बात करता हूं। बिड़ला को तो आपने डेढ़ या दो पैसा युनिट बिजली दी उन को बहुत फायदा भी हो रहा है लेकिन किसान की हालत यह है कि खाद के दाम, पानी के दाम सभी बढ़े हुये हैं। आप ने इस पर ३ रु० हार्स पावर लगा दिया, इससे किसानों की हालत अच्छी नहीं है साथ ही बिजली की दर भी बढ़ गयी। गल्ले के दाम तो बढ़े नहीं, वह कहां से दे? हमारे मुख्य मन्त्री जी ने दिल्ली जाकर किसानों के गेहूं की खरीद के दाम को कम नहीं करने दिया, ७४, ७६ ही रखा। हम उन के आभारी हैं। जो काश्तकार पम्पिंग सेट लगाये हैं, मेरे यहां गांव में १, २ हजार पम्पिंग सेट लगे हैं। आप ने ३ रु० लगा दिया इस से किसानों को कोई राहत नहीं मिल पा रही है। १२० रु० आप लेते थे मिनिमम गारेन्टी उस से भी आज बद्तर हालत है हमारे किसानों की। मैं इस बात की दरख्वास्त करूंगा कि माननीय मन्त्री जी पुनः इस बात पर कैबिनेट में विचार करें और देखें कि किस प्रकार से काश्तकारों को और अधिक राहत दी जा सकती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजित राम पाण्डेय]

किसानों की हालत खुशहाल नहीं है। आप की दर और यह ३ रु० हार्स पावर काश्तकारों की हालत में अधिक सुधार नहीं ला सकता है। इसलिए इस पर आप पुनः कैबिनेट में विचार कर काश्तकारों को थोड़ा राहत दें। दूसरी चीज यह कहना है कि जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि जब से गोस्वामीजी मन्त्री हुये हैं, इलाहाबाद में भ्रष्टाचार में कमी हुई है। इस की मुझे जानकारी है। पूरी खतम तो नहीं हुई है, लेकिन ८ आने, ४ आने कम है। जहां तक घाटे का सवाल है इस के लिये बिजली कर्मचारी जिम्मेदार हैं। जो सामान जाता है उस को यह लोग गोदाम से ही बेच लेते हैं। तो इस पर नियंत्रण होना चाहिये। त्रिवेदीजी बोर्ड में हैं। वह थोड़ी सी सख्ती करेंगे तो मुझे विश्वास है कि भ्रष्टाचार में कमी होगी। तो माननीय सदस्य जानते हैं कि भ्रष्टाचार में थोड़ी सी कमी हुई है लेकिन इन्दिरा जी का जो इन्कलाबी नारा है उस के अनुसार जब कार्यक्रम बनेगा तभी यह पूरी तरह से दूर होगा। बीस साल से इस मुहकमे के लोग हावी हो गये हैं और मनमानी चलाते हैं। मेरे एक गांव, बुधवा, में ५ पम्पिंग सेट हैं। वहां ट्रांस्फार्मर काफी दिनों से जल गया है, लेकिन लिखा-पढ़ी के बावजूद भी कर्मचारी उस को बना नहीं रहे हैं। इस कारण किसानों कि खेती, खासतौर से ईख, सूख रही है।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बिजली के बिल में काश्तकारों को परेशान किया जाता है। अगर १०० रुपये का बिल है तो १००० रुपये का बिल भेंजा जाता है और १००० वाले से रिश्वत लेकर कम कर दिया जाता है। इस तरह से काश्तकारों को लूटा जा रहा है। जो पढ़े-लिखे किसान नहीं हैं और पम्पिंग सेट लगा दिये हैं उनकी ओर आप ध्यान रखें और उन को राहत दें। इन शब्दों के साथ में इन अनुदानों का समर्थन करता हूं और यह बात पुनः कहता हूं कि ३ रुपया प्रति हार्स पावर जो लगाया गया है, उस से गरीबों पर बोझ बढ़ गया है। उस की तो नथनी आदि पहले ही पम्पिंग सेट लगाने में बिक गये हैं इसलिए आप उस को इस से राहत दें। आप जिस प्रकार से हरिजनों के लिये कार्यक्रम बनाते हैं उसी प्रकार से किसानों के लिए भी बनावें और उनको कम दाम पर बिजली दें और मुफ्त खम्भें सप्लाई करें। यह क्रान्तिकारी कदम है जिस से किसानों को राहत मिल सकती है। इन शब्दों के साथ मैं अनुदानों का पुनः समर्थन करता हूं।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज जो अनुदान वित्त मन्त्री जी ने सेल्स टैक्स और ब्याज वाले ऋण जो इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड से सम्बन्धित है, रक्खा है, उसमें जो कटौती का प्रस्ताव है, मैं समझता हूं कि वह बड़ा उचित प्रस्ताव है। कटौती का प्रस्ताव इसलिये रक्खा जाता है कि विरोध दल की ओर से विभागीय नीति की आलोचना की जाय तथा सुझाव दिये जांय।

मान्यवर, मैं वित्त मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रदेश की आय का सबसे बड़ा स्रोत, मैं समझता हूं, सेल्स टैक्स है। जैसा आरम्भ में गोस्वामी जी ने कहा कि आजादी के साथ साथ सेल्स टैक्स की प्रणाली भी हमारे प्रदेश में आयी। मैं दूसरी स्टेट्स के सेल्स टैक्स के आंकड़े देख रहा था। उत्तर प्रदेश में आपने बताया कि करीब ५३–५४ करोड़ तक पहुंच गये हैं लेकिन आप देखें कि सेल्स टैक्स वह टैक्स होता है जो खरीदने वाला दुकानदार को दे देता है। मुझे यह शिकायत मिली कि सेल्स टैक्स एक ही सामान पर दो तीन बार लिया जाता है। यह नहीं होना चाहिए। एक जगह पर सेल्स टैक्स लिया जाय चाहे वह लोएस्ट लेबुल पर हो या हायेस्ट लेबुल पर हो। कोई रिपीटीशन नहीं होना चाहिए। आज सुबह क्वेस्चन आवर में भी सेल्स टक्स की बात आयी थी। यह बात उठायी गयी कि ६८२ कम्पनियों पर ७ करोड़ रुपया सेल्स टैक्स का बकाया है।

मैंने भी कहा, दूसरे सदस्यों ने भी कहा और भानुप्रताप जी ने बहुत जोरदार शब्दों में कहा। हमारे इस सदन में जो बैठे हुये लोग हैं उनमें ८० फीसदी आदमी किसानों के रिप्रीजेन्टेटिव हैं। लेकिन पता नहीं क्या होता है।

मैं इस सरकार को नहीं कहना चाहता। कोई सरकार रहे, चाहे मेरी सरकार रही हो या किसी की रही हो लेकिन इस बात पर सोचना चाहिए। आपके ही जमाने में यह बात आती है तो आप सोचें। मेरे जमाने में आयेगी तो हम सोचेंगे। इस बात पर सोचना चाहिए कि ८० फीसदी किसान जिस देश में रहता है, ऐसा मालूम होता है कि वह जसे लावारिस सा फेंक दिया जाता है। भाषण उनके पक्ष में ज्यादा होते हैं। सरकार की ओर से कोई कमेटी बठती है तो चाहे यहां की सरकार का हो या दिल्ली की सरकार का हो, हमेशा सरकार को बचाव की स्थिति में रखना पड़ता है। सेल्स टैक्स की बहुत आमदनी है। लेकिन इसका जो बकाया है तो मैं कहता हूं कि उसको क्रिमिनल आफेन्स घोषित करना चाहिये। सेल्स टैक्स दुकानदार को अपनी जेब से नहीं देना पड़ता। सेल्स टैक्स का रुपया किसी चीज को सेल करने के बाद जो खरीदता है, उससे आता है। सेल्स टैक्स लगा दिया जाता है दो परसेंट, चार परसेंट। वह रुपया दुकानदार ने अपने पास कलेक्ट किया और सरकार को नहीं दिया तो यह क्रिमिनल आफेंस है।

मैं पुरानी और नयी कहानी बताऊं तो दो चार रुपया किसान पर लगान रहने के बाद उसकी जमीन नीलाम हो गयी, गांव के गांव नीलाम हो गये। जिस गांव में मैं रहता हूं, मेरे पिताजी बतलाते थे कि वह १४४ रुपये में नीलाम हो गया था। किसान पर बकाया रहने पर आप उसकी नीलामी करवा देते हैं। लेकिन यहां ६८२ आदमियों के पास वह रुपया बाकी है जो कि कन्ज्युमर ने दिया है। उसके लिये आप के पास क्या है! एक लेजिस्लेशन लेकर पं० नारायणदत्त तिवारी पहुंचे और कह दिया कि दो करोड़ रुपये का घाटा है। कभी आप यह भी सोचते हैं कि टेक्सेशन उस हालत में लगाया जाता है जब इन्कम के दूसरे सारे सोर्सेज बन्द हो जाते हैं। डेवलपिंग इकानोमी में मैं उसकी हिमायत में हूं। लेकिन आप इससे पहले अपने को सैटिस्फाइ कर लें कि आपने हर चनल को टेप कर लिया है। दो करोड़ का पसेंजर टैक्स बढ़ जाय, बंगला टैक्स बढ़ जाय; एक हजार करोड़ का सेन्ट्रल का और स्टेट्स का मिला कर टैक्स हो गया। आप सोचें कि जनता पर कितना टैक्स हो जायगा। अपने टेक्सेशन पेश कर दिया। यह ६ सौ करोड़ का मामला है इसमें अपने ६८२ कम्पनियों का समान क्यों नहीं जब्त कर लिया। उनके पास काफी समान है आप हाफ रेट पर कामप्रोमाइज न करिये।

प्रधान मन्त्री जी कहती हैं कि नेशनलाइजेशन इज नो क्योर फार रिमूविंग पावरटी'। मैं उनकी बात सही मानता हूं कि नेशनलाइजेशन उसका क्योर नहीं है। क्योर यह है कि अगर आप चाहते हैं कि जितना मीन्स आफ प्रोडक्शन है, वह समाज के अन्तर्गत आये, तो आप हाफ रेट पर न जाइये। सारे उत्पादन के साधनों को आप नेशनलाइज कर दीजिये। प्रधान मन्त्री जी ने भी इशारा किया है कि नेशनलाइजेशन के साथ-साथ, जो उनके इन्चार्ज काम करते हैं, उन पर भी कड़ाई से काम करना चाहिये। लेकिन हम यह नहीं करते हैं। वह सरकार चाहे कोई भी हो। आप एक फारमूला इवाल्व करिये। लेकिन वोट के डर की वजह से हम यह नहीं करते हैं कि कहीं हमारा कैन्डीडेट गिर न जाय। लोग यहां प्रहार करते हैं कि चाहे वह हमारी सरकार रही हो, या आप की सरकार हो, आज सरकार दिवालिया हो गयी है। इस सरकारीकरण के बीच में सारी चीजों का ह्रास हो रहा है। प्रोडक्शन गिर रहा है, इफीशियेंसी गिर रही है और डेंसिटी आफ लेबर घट रहा है। इस डर के मारे, कि बिल्ली के गले में घन्टी कौन बांधेगा। तो आपको इस कदम को उठाना चाहिये। जिस वक्त आप इस कदम को

[श्री बंशीधर पांडेय--]
उठाने की बात करेंगे तो हो सकता है कि आप ६ महीने के बजाय एक साल रह जायं। क्योंकि इससे आप का डिटरमिनेशन परिलक्षित होगा। लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर काम नहीं हो रहा है। मान्यवर, ७ करोड़ रुपये की बात है। जब आप इसे वसूल नहीं कर पायेंगे तो दूसरों से आप कैसे कहते हैं कि आपने क्यों नहीं वसूल किया ?

मान्यवर मैं यूनाइटेड नेशन की पुस्तिका पढ़ रहा था। उसमें जिक्र था कि आज का अमरीका केवल ७० वर्ष का अमरीका है। १७७३ में वह आजाद हुआ था। ७०/८० वर्षों में उन्होंने इतनी प्रगति की। उन्होंने एक थ्योरी इवाल्व की और उस पर कड़ाई से चले। तो आप पहले समाजवाद शब्द को बिलकुल छोड़ दीजिये। जिसकी आप आजकल माला जपते हैं। अगर आप उस थ्योरी पर चलेंगे तो वह तो अपने आप आजावेगा। उसका जो रिजल्ट होगा, वह समाजवाद ही हो सकता है। आप कृषि और उद्योगों पर लागत के मुनाफे का रेशियो एक कर दें। आप मेरा केवल एक लाइन का फारमूला स्वीकार कर लें। इस केवल एक सेन्टेंस को भारत सरकार स्वीकार कर लें। मैं आप के सामने सिर झुकाता हूं। आप देखें कि तब आपको सफलता मिलती है कि नहीं। आज ८० फीसदी किसानों को वोटों से एक एम० एल० ए० जीत कर आता है। लेकिन आज उस किसान की क्या स्थिति है ? आज वह किसान कठघरे में कैदी की तरह खड़ा है। चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे उसके प्रयोग की दूसरी मशीनें हों या अन्य टूल्स हों, आज सारी उन चीजों की कीमत आसमान छू रही हैं, जो उस किसान के प्रयोग में आती हैं। मालूम होता है कि वह आज एक गुलाम है।

हमारे खाद्य मन्त्री जी बड़ी मासूमियत के साथ कहते हैं कि मुझे तो सपोर्ट प्राइस देना पड़ रहा है। गेहूं की प्राइस ७५, ७६ से घटकर कहीं ५५, ४८ या ५० न हो जाय। इसलिये इन को सपोर्ट प्राइस देना पड़ता है। लेकिन मैं कहता हूं कि यह फाल्टी एकानोमी है। यह दोषपूर्ण अर्थ-व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत आप चाहे जितना नारा दीजिए, इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था रहेगी--हम और आप जिन्दा रहेंगे १०० वर्ष तक---उससे देश की इकोनामी नहीं सुधरेगी। आपकी जोमैट्रिकल और अरिथमैटिकल फार्म की रेस है। आप उसको जोमैट्रिकल फार्म में नहीं ले जा सकते। वह असम्भव है और इकानोमिस्ट्स की राय के विपरीत है। आप कृषि और उद्योग में लागत और मुनाफे की एक रेशियो रखिए।

मैं अपनी कांस्टीटुएंसी में गया था और वहां पर एक किसान, जो कि भानुप्रताप सिंह जैसे हैं, से बात की थी। उन्होंने बताया कि सरकार को डर क्या है ऐसा करने में ? आपको इस नारे के देने में क्या आपत्ति है ? इस नारे को देने के बाद आपकी सरकार ज्यादा दिन रहेगी। पता नहीं, कोई इस नारे को क्यों नहीं दे रहा है।

श्री राजमंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)---
मैं श्री बंशीधर जी का बड़ा लिहाज करता हूं। कृषि बहुत सी प्राकृतिक कंडीशन्स पर मुनेहसिर करती है जबकि इंडस्ट्री उन कंडीशन्स पर बेस्ड नहीं है। दोनों का रेशियो एक नहीं हो सकता है, भगवान भी चाहे तो भी नहीं हो सकता है।

श्री बंशीधर पांडेय---
यही तो डिफिटिस्ट मैन्टेलिटी है। माडर्न कन्ट्रीज में क्राप इन्श्योरेन्स होता है। कहिए तो मैं ३-४ देशों का नाम बताऊं। वे लोग क्राप का एवरेज जोड़ लेते हैं। आप कैसे निकालते हैं कि ६० मन प्रति एकड़ पैदावार होगी ? एवरेज निकाल कर ही तो आप कहते हैं कि ११ करोड़ टन पैदावार होगी। आप क्राप इन्श्योरेन्स करिए---कभी किसानों को डेढ़-दो करोड़ मन पर घाटा हो जाएगा और कभी लाभ। यह तो आपको करना है नहीं, बल्कि एक एस्केप

निकाल दिया। आपको कृषि को उद्योग के बराबर लाना होगा। इंडस्ट्री की ८० प्रतिशत लागत कृषि से ही तो आती है। मिनरल्स तो थोड़े ही हैं। देख लीजिए, आप किसानों के बड़े हमदर्द बनते हैं—आपने ही अपना दिमाग इस तरफ नहीं बनाया। जब राज मंगल जी अपनी कांस्टीटुएंसी में जाएंगे तो जनता उनसे क्या कहेगी ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मैं बंशीधर पाण्डेय जी की जैसी बात नहीं करता हूं। मैं उन जैसा वकील नहीं हूं।

श्री बंशीधर पांडेय—

पाण्डे जी, आपका दिमाग कुछ सोचता है और जबान कुछ बोलती है। आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि ऐसी बात कहें। आप भी स्वयं फील करते होंगे। आप जब कांस्टीटुएंसी में जाएंगे तो दूसरी बात कहेंगे। नारायणदत्त तिवारी, जो कि वित्त तथा विद्युत मंत्री हैं, काफी पंडित आदमी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस विषय पर कोई सेमीनार बुलावें। अगर मेरी बात गलत होगी तो मैं समझूंगा और डिस्कस करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

खर्चे का समाजवाद और दाम का समाजवाद आधुनिकतम स्वरूप है।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

आप मार्क्स को देख लीजिए। डेवलपिंग इकानोमी और मार्डनाईजेशन में ये सारी चीजें गलत साबित होती जा रही हैं। सेल्स टैक्स के बारे में मैं अपनी बात अब बन्द करूंगा और बिजली के विषय में बोलूंगा। आप इस ७ करोड़ रुपये को वसूल करें ताकि जनता एक-आध साल टैक्स के बोझ से बची रहे। जिनसे रुपया वसूल नहीं हो रहा है उनके खिलाफ आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करें। बिजली के बारे में जब हम कोई बात कहते हैं तो उधर से यह कह दिया जाता है कि साहब, यह तो आपके जमाने से चला आ रहा है। अब पता नहीं किस के जमाने से चला आ रहा है क्योंकि ६-६ महीने में तो सरकार बदलती है। मगर मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार को गम्भीरतापूर्वक आज बिजली की समस्या पर विचार करना चाहिये। आज बिजली का उत्पादन आवश्यकता से कहीं कम है। कन्जम्प्शन भी पर कैपिटा कम है। इसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिये क्योंकि हमारे यहां सामग्री की कमी नहीं है।

इस संबंध में मान्यवर, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज बिजली बोर्ड और सरकार में बड़ा भारी झगड़ा है। मगर जब हम इस विभाग की आलोचना करने लगते हैं तो बिजली बोर्ड और सरकार को जोड़ देते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार या तो बिजली बोर्ड का शत-प्रतिशत नियन्त्रण अपने हाथों में ले ले या उसमें अपना कोई दखल न दे और उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दे। एक बड़े मजाक की बात है कि इस बिजली बोर्ड में २५ करोड़ के लगभग का घाटा है। मगर मुझे अभी एक साथी द्वारा यह पता चला कि यह सरकार गारेन्टी करने का भी पैसा ले लेती है। इस बोर्ड को जो विभिन्न संस्थायें फाइनेंसिंग करती है उस पर भी यह सरकार रुपया ले लेती है। यह गारेन्टी की रकम भी लगभग ५ करोड़ के आती है। मैं समझता हूं कि सरकार को इसको छोड़ देना चाहिये क्योंकि यह तो बिलकुल फाल्स अकाउन्ट है। ( व्यवधान ) इसको आप बन्द कीजिये। आज सबसे अधिक दामों पर बिजली उसको मिल रही है जो सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला है—यानी किसान। उद्योग वालों को बिजली सस्ती मिल रही है। मैं तो कहूंगा कि आपको इस सरकार को उलट देना चाहिये। (व्यवधान) सरकार को और विद्युत बोर्ड को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश में बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी भी होती है। यह छोटे लेविल पर होती है। जहां हाई टेन्शन लाइन होती है उस पर सीधे तार फेंक कर लोग अक्सर बिजली ले लिया करते हैं। ३-४ जगह तो मैंने स्वयं देखा। एक

[श्री बंशीधर पाण्डेय--]

जगह बारात में मैंने जब बिजली देखी तो मैंने पूछा यहां यह कैसे आ गयी ? लोगों ने बताया कि इस तरह तार फेंक कर काम चला लिया। इस तरह की चोरियां जो बिजली में होती हैं, उसका बोझ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर अन्तोगत्वा पड़ता है। आपके परचेज विभाग में गड़बड़ घोटाला है, मशीनों में इनएफिशियेंसी है, उस पर आपका पूरा ध्यान जाना चाहिए। मैं विभाग के चेयरमैन और मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग इस पर विचार करें कि आप जिस कार्यक्रम को कर रहे हैं, उसमें बिजली की चोरी न होने पावे। किसी का मोटर बढ़ा दिया जाता है, किसी का घटा दिया जाता है, किसी का स्टाप कर दिया जाता है--इस तरह से गड़बड़ी बढ़ी है।

पिछली अपनी सरकार के समय में मैं एक बहुत बड़ी फर्म के पास अचानक चला गया, वहां पता चला कि २ हजार रुपये उसको दे दिये और उन्होंने मीटर ऐसा स्लो कर दिया। तो इस तरह की बातों को आपको देखना चाहिये। ट्यूबवेलों में बहुत जगह किसानों के पास मीटर्स नहीं हैं। आज इरीगेशन का रेट इतना हाई हो गया है जिसका कुछ कहने का नहीं, आज किसानों के लिए उसका लेना मुश्किल हो गया है। यहां मिनिमम गारेन्टी के बारे में कुछ आंकड़े दिये गये, ३ रुपये प्रति हार्स पावर और ३ पैसे प्रति यूनिट आपने रेट बढ़ा दिया, यह सब आप जोड़ डालें तो आप पायेंगे कि यह ड्योढ़ा हो गया है। आपने किसानों को दिखाने के लिए मिनिमम गारेन्टी तो हटा दी, लेकिन आपके इस जाल में बहुत से लोग फंस गये हैं। आप हमें सेटिस्फाई करें कि यह ड्योढ़ा नहीं पौना ही रह गया है।

नरौरा के पावर हाउस के बारे में हम बहुत दिनों से सुनते आये हैं कि एटामिक एनर्जी का एक पावर हाउस अपने प्रदेश में लगने वाला है। यह बहुत बड़ प्रदेश है, उसमें एटामिक एनर्जी के लिए आपको डर किस बात का है। यदि आप डर जायेंगे तो यहां एटामिक एनर्जी नहीं ला सकेंगे। अब केवल दो वर्ष ही रह गये हैं, लेकिन नरौरा या और कहीं आज तक यह नहीं लगा है। मेरा निवेदन है कि आप प्रयास कीजिये कि दो-डेढ़ साल में--इसी असेम्बली अवधि में यह जरूर लग जाए, ताकि वह हमारे प्रदेश में बिजली की कमी को पूरा कर सके। एक सुझाव और देना चाहता हूं--एक जर्मन इंजीनियर ने एक रिपोर्ट लिखी उसके अनुसार। जिस कांस्टिटूयेंशी से आप आते हैं-- पंचेश्वर डैम के बारे में कहना चाहता हूं या ऐसे ही अन्य बहुत से स्थल हैं। हिमालय के ऊपर इतना जल है कि कुछ कहने को नहीं। आप उस पानी को बांधिये, उससे आपका काफी बिजली उत्पादन हो सकता है। आपके पास ताकत है, इनर्जी है, इनर्जी बेमतलब बहती चली जा रही है। आप जैसे मंत्री, उसका उपयोग करें ताकि प्रदेश की क्षमता बढ़े और यह जो प्रदेश जो आज सबसे पिछड़ गया है, सबसे आगे बढ़ जायगा।

श्री शान्तिचरण पिड़ारा (जिला मथुरा)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं आपका। आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं केवल बिक्री-कर विभाग के बारे में ही अपने कुछ सुझाव आपके सामने पेश करूंगा। मैंने बड़े ध्यान से उन भाषणों को सुना है जो आज यहां बिक्री-कर विभाग के बारे में दिये गये ह। इस सदन में बार-बार जो बिक्री-कर विभाग के बारे में बातें कही जाती रही हैं, मुझे डर है कि जो महत्व बिक्री-कर का है उसको हमारे सदन ने और सदन के माननीय सदस्यों ने समझा नहीं है। बार-बार जो बात कही जाती है वह केवल उस बकाया के बारे में कही जाती है जोकि व्यापारियों के ऊपर इस समय है। मालूम नही कि वह सात करोड़ है या ३४ करोड़ है जैसा कि मैंने सवेरे सुना था। लेकिन जो कुछ हो, उसी के बारे में बात करने का मतलब यह है कि बिक्री कर के महत्व को हम भूल जाते हैं। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहूंगा। कुल रेवेन्यु रिसीट्स ५ अरब रुपये की हैं। उसमें से अगर उन रिसीट्स को घटा दिया जाय तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट हम को देती है या जो ब्याज हमको मिलता है, क्योंकि ब्याज उससे ज्यादा देना पड़ रहा है, तो केवल २ अरब २४ करोड़ रुपया रह जाता है जो वाकई में हमारी पैदा की हुई रेवेन्यु है।

उसको दूसरे तरीके से देखें। २ अरब २२ हजार रुपया बताया गया है, कुल हमने करों, शुल्कों में वसूल किया। करीब ७० करोड़ रुपया इनकम टैक्स और स्टेट ड्यूटी का सेंट्रल गवर्नमेंट से प्राप्त हुआ है। उसको अगर निकाल दिया जाय तो १ अरब ४९ करोड़ रुपया आता है। इसमें ५८ करोड़ रुपया यानी ४० परसेंट जो हमारी कुल रिसीट्स है, सेल्स टैक्स से वसूल करते हैं। इसका महत्व इसी से सोच सकते हैं। एक और तरह से मैं इसी बात को रखना चाहूंगा। १ अरब ४९ करोड़ की इनकम को पैदा करने के लिये अगर ३२ करोड़ का खर्चा निकाल दिया जाय तो एक अरब १७ करोड़ की नेट इनकम रहती है। उसमें ५६ करोड़ की नेट इनकम सेल्स टैक्स से है यानी ५० परसेंट केवल सेल्स टैक्स से वसूल होती है। लेकिन सेल्स टैक्स के बारे में आप क्या कहते हैं, मैं समझ नहीं पाता। माननीय बंशीधर जी पांडे भी सेल्स टैक्स के संबंध में बात कर रहे थे। उन्होंने केवल दो बातें कहीं बड़े भोलेपन से, एक तो यह कि कई जगह टैक्स लिया जाता है। उन्हें नहीं मालूम है कि क्या यह मल्टिपिल टैक्सेशन शुरू से चला आ रहा है हमारे प्रदेश। मैं उसको सिंगिल प्वाइन्ट में करने की कोशिश की जा रही है।

दूसरी बात, उन्होंने यह कही कि ७ करोड़ रुपया पेनाल्टी के रूप में वसूल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जोर देकर वसूल कीजिये क्योंकि वह रुपया है जो कि व्यापारी वसूल कर चुका है खरीददार से। माननीय पांडेय जी किस प्रकार समझेंगे कि वह नहीं है जो कि व्यापारी वसूल कर चुका है खरीददार से। यह वह रुपया है जो सेल्स टैक्स आफिसर ने व्यापारी पर ज्यादा लगाया है और जिसे वह किसी प्रकार रोक रहा है देने से।

श्री बंशीधर पांडेय––

मुझे बड़ा अफसोस है मैंने एक सुझाव दिया था कि मल्टिपिल टैक्सेशन के बजाय सिंगिल प्वाइंट टैक्सेशन हो।

श्री शान्ति चरण पिडारा––

ठीक है। हमारे राज्य मंत्री जी ने एक बात बड़े गर्व के साथ कही कि सन् ४८ में जो ४ करोड़ रुपये की आमदनी थी बिक्री-कर से वह सन् ७२ में यानी २४ साल में बढ़ कर ५८ करोड़ यानी १४ गुनी हो गयी है। लेकिन यह कोई गर्व की बात नहीं है। क्या चीजों के भाव बढ़े नहीं हैं? ४८ में जिस चीज की प्राइस १०० रुपये थी आज उसकी प्राइस ३००, ४०० रुपये हो गयी है। सन् ४८ तथा उसके १० साल बाद तक रेट आफ टैक्सेशन जिस चीज पर २, ३ परसेंट था क्या अब उस पर टैक्स की दरें बढ़ा नहीं दी गयी हैं? लिहाजा यह कहना कि २४ साल के बाद बिक्री-कर १४ गुना ज्यादा हो गया है, गलत है। निश्चय ही हमको यह सोचना होगा जैसा कि भारत सरकार के बड़े-बड़े इकोनामिस्ट यह कहते हैं कि ४०० करोड़ या उससे कहीं अधिक आमदनी, हर साल इनकम टैक्स में छिपाई जाती है, तो क्या सेल्स टैक्स में भी उसी तरह से बिक्री नहीं छिपाई जाती होगी? अगर वही तरीके से जिनका जिक्र अभी करूंगा अपनाये जायं तो निश्चय ही सेल्स टैक्स की आमदनी जो ५८ करोड़ है वह ८० करोड़ हो जायगी और प्रदेश की जो वर्तमान आर्थिक स्थिति है, व्यापारिक परिस्थितियां हैं उनको देखते हुये ८० करोड़ की आमदनी सेल्स टैक्स की हो जाना कोई अधिक नहीं है।

इस बात के लिये मैं वित्त मंत्री महोदय को अवश्य बधाई दूंगा कि जहां उन्होंने सेल्स टैक्स की आमदनी बढ़ाई है वहां सेल्स टैक्स के वसूल करने का जो खर्चा होता है और वह केवल डेढ़ परसेंट ही है। लेकिन प्रदेश में बिक्री-कर की आमदनी बढ़े इसके लिये कुछ क्रान्तिकारी कदम उठाये जाने चाहिये। पहला कदम है स्ट्रकचरल। मैं यह समझता हूं कि बिक्री-कर विभाग जो प्रदेश को इतनी बड़ी आमदनी देता है केवल कमिश्नर के बल पर नहीं चलाया जा सकता। कोई भी कमिश्नर आज तक विभाग पर अपने थोड़े से कार्यकाल में कोई इम्पेक्ट नहीं डाल सका है। केवल आई० ए० एस० आफिसर्स को सेल्स टैक्स विभाग का कमिश्नर बना देना ही काफी नहीं है। जिस प्रकार केन्द्र में सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्सेज हैं जिसमें टैक्सेशन जानने वाले आफिसर्स हैं वह फाइनेंस सेक्रेटरी के नीचे सबसे बड़ी बाडी है।

[श्री शान्ति चरण पिडारा]

इसी प्रकार यदि प्रदेश में सेन्ट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्सेज की जगह पर आप बोर्ड आफ डाइरेक्ट टैक्सेज कर दें तो मेरे खयाल से टैक्सेशन के मामले में काफी आमदनी बढ़ सकती है और प्रदेश की उन्नति हो सकती है। मैं समझता हूं कि इस प्रदेश में बोर्ड आफ डारेइरेक्ट टैक्सेज की जरूरत है। जो कमिश्नर्स और एडीशनल कमिश्नर्स होते हैं वे नई जगहों पर जाने के इच्छुक होते हैं। इसके साथ ही जो असिस्टेंट कमिश्नर्स (एडमिनिस्ट्रेटिव) हैं उनको आप अधिक पावर्स दें। जो आज आपके असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उनके पास कोई पावर्स नहीं हैं वह केवल इतना ही कर सकता है कि जो उसके रेन्ज में सेल्स टैक्स आफीसर होते हैं, उनके साथ बैठ कर दावतें खायें। जो भी पावर्स हैं वे सब कमिश्नर्स के पास ही हैं। अतः मैं चाहता हूं कि इन असिस्टेंट कमिश्नर्स को आप पावर्स दें और उनके पावर्स बढ़ायें ताकि वे अधिक उपयोगी हो सकें। जिस प्रकार कि इन्कम टैक्स में आई० ए० सी० के लोग होते हैं और जो इन्सपैक्टिंग आसिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं, वे अपने डिपार्टमेंट को फायदा पहुंचाते हैं, उसी तरह से यहां भी होना चाहिये।

दूसरी चीज यह है कि जहां आमदनी बढ़ाने के लिये स्ट्रक्चरल चेन्ज लाने की बात यहां पर मैं कर रहा हूं वहां पर इसको सुचारु रुप से चलाने के लिये इकानामिक इन्टेलीजेन्स का भी संगठन होना चाहिये। आपने एक एस० पी० रख दिया, एक इन्सपेक्टर रख दिया या ४ सब-इन्सपेक्टर नियुक्त कर दिये किन्तु इकानामिक इन्टीलीजेन्स, जिसकी की आज बहुत जरूरत है, उसे नहीं किया। यह हास्यापद है। आप को मालूम है कि उत्तरी हिन्दुस्तान में दिल्ली में सोने और चांदी का एक बड़ा भारी सेन्टर है जहां कि लाखों रुपये का सोना और चांदी रोज बिकता है। अखबारों कोई दिन ऐसा नहीं जाता जबकि उसमें यह न लिखा हो कि आज पुराने चांदी के सिक्के का दाम इतना बढ़ गया या कम हो गया। मैं समझता हूं कि रोज ही इसका भाव बदलता रहता है मथुरा के चांदी वालों ने जब चांदी बेची तो उस समय चांदी का सिक्का सस्ता हो गया और जब खरीदा तो वह तेज हो गया। यह सब क्या है? मैं आपसे पूछता हूं कि आपका विभाग इस बारे में क्यों नहीं सोचता है कि जो मथुरा में चांदी-सोने का काम करते हैं वे पूरे दिल्ली के बाजार को डांवाडोल कर देते हैं। इसीलिये मैं कहता हूं कि इकानामिक इन्टेलीजेन्स की आज हमारे प्रदेश में बहुत जरूरत है जो कि इन सारी चीजों का पता लगाये। इससे प्रदेश का काफी फायदा हो सकता है।

एक बात का और जिक्र कर देना चाहता हूं कि जो टर्न ओवर शब्द आपका है और उसकी जो डिफिनीशन है, उसमें आपको तब्दीली करनी पड़ेगी। क्या आपको मालूम नहीं है कि बिक्री-कर से बचने का एक बड़ा भारी जारिया यह निकाला गया है कि प्रदेश के बाहर व्यापारी लोग अपनी शाखायें खोल लेते हैं और उसके नाम से माल यहां से भेज देते हैं और वहां जाकर वह माल बिकता है। उसको आप यहां पर बिक्री नहीं मानते हैं और इस प्रकार बिक्री-कर से वे बच जाते हैं। दूसरा जरिया कन्साइन्मेंट बेसिस का है। यदि आप यहां से मद्रास माल आढ़ती के पास भेजते हैं तो यह माना जाता है कि वह उत्तर प्रदेश में नहीं बिका है और मद्रास में बिका है। तो इस प्रकार का लाखों, करोड़ों रुपयों का टैक्स मिल सकता है अगर टर्न-ओवर की डेफिनीशन में कोई परिवर्तन किया जाय। मुझे नहीं मालूम है कि विभाग ने क्या समझा है। हो सकता है कि वह सोचते हों कि संवैधानिक कठिनाइयां हैं। जहां करोड़ों रुपयों के रेवेन्यू का मामला है वहां केन्द्रीय सरकार से इस बारे में बात-चीत की जानी चाहिये जिससे हम डेफिनीशन में कोई तब्दीली ला सकें।

एक चीज और कह देना चाहता हूं। अभी केन्द्रीय सरकार ने १९६८ में अपने टैक्सेशन के लाम्र्स में एक चेंज किया है, बड़ा भारी, कि पेनाल्टी उतनी लगेगी जितनी कि आमदनी छिपायी गयी है या जितनी वेल्थ छिपायी गयी है। उतनी तो कम से कम लगेगी और दूनी भी लगा सकते हैं —यानी कम से कम उतनी और ज्यादा से ज्यादा दूनी। मेरी व्यक्तिगत तरीक से

जानकारी है कि उस पेनाल्टी के प्रावीजंस के बाद इनकम टैक्स की चोरी करने वालों में एक परेशानी पैदा हुई, हालांकि वह रास्ता निकाल चुके होंगे लेकिन मैं समझता हूं कि काफी लोग ऐसे हैं जो इतने स्ट्रिंजेंट प्रावीजंस के बाद अपनी चोरी करने से बाज आये। आपके सेल्स टैक्स में पेनल्टी का कोई प्रावीजन है भी तो इतना नाकाफी है कि बेकार सा है। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री इस बात पर प्रकाश डालें कि आखिरकार कितना पेनाल्टी से रुपया वसूल किया गया है। मैं समझता हूं कि नामिनल होगा, पेनल्टियां नहीं लगाते हैं। एक बार मैंने आपके उच्च तम विभागीय अधिकारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास स्टाफ की कमी है। मैं समझता हूं कि स्टाफ की कमी को रखना और इस कारण पेनाल्टी रोकना या न लगाना इसका उनकी नजर में महत्व होना चाहिए।

अब मैं चाहूंगा कि जो व्यापारियों को इस प्रकार की असुविधाएं होती हैं जिनको बहुत जल्दी आसानी से हटाया जा सकता है उसके बारे में भी आपके सामने दो एक बातें रखूं। सबसे पहली चीज है जिनको आप कहते हैं जब रिवीजंस, रिवाइजिंग आथरिटीज। एक जज रिवीजन और आठ ऐडीशनल रिवाइजिंग आथरिटीज आपने ९ अधिकारी उत्तर प्रदेश नियुक्त कर रखे हैं। मैं चाहता हूं कि आप सोचें कि क्या इससे लोगों को संतोष है? आप सोचें कि क्या ट्रय-ब्यूनल जैसी चीज हम कायम नहीं कर सकते उत्तर प्रदेश में? ऐसा ट्रयब्यूनलल्स जिसमें अकाउन्टेंसी को जानने वाले मेम्बर्स हों, ला को जानने वाले हों तो दोनों मिल करके जो रिवीजंस आवें, जो अप्लीकेशंस आवें उनका निपटारा कर सकते हैं। होता यह है कि जज रिवीजंस बड़े-बड़े न्याय की जानकारी विधि का ज्ञान रखने वाले होते हैं, लेकिन अकाउन्टेन्सी के बारे में कुछ नहीं जानते और उसका परिणाम यह होता है कि चाहे विभाग का, सरकार का या व्यापारी का हो, लेकिन नुकसान होता है, वह न्याय नहीं कर पाते। तो मैं चाहूंगा कि ट्रयब्यूनल वाली बात को भी विभाग सोचे।

दूसरी चीज जो बहुत इम्पार्टेन्ट है जिसको कि कई बार कहा जा चुका है वह यह है कि कृपा करके ऐसा मत करिये कि हर दसवें, पंद्रहवें दिन या महीने भर मेंबर्स को बदलें। मैं चाहूंगा कि.... (लाल बत्ती होने पर) अभी खत्म करता हूं उपाध्यक्ष महोदय, तो यह सरकार इस प्रकार के चेन्जेज करती है उसका परिणाम तो सोचें कि क्या होता है? अभी अभी पिछले दिनों जब २ परसेंट से ३परसेंट टैक्स किया गया उस समय एक चीज यह उठी कि जो डोरी और निवाड़ बनाने वाले हैं उन पर जो उत्तर प्रदेश से बाहर माल जाता है उस पर कितना टैक्स लगेगा? आपका विभाग उनको काफी दिनों तक इस मामले में अन्धकार में रखे रहा और उसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश के उन व्यापारियों ने जो डोरी, निवाड़ बनाते थे अपनी शाखायें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में खोल दीं। इसका नतीजा आपको तब दिखाई देगा जब अगले साल आप देखेंगे कि डोरी, निवाड़ के दुकानदार उत्तर प्रदेश में टैक्स बिल्कुल नहीं देते क्योंकि वह अपने माल को उत्तर प्रदेश के बाहर भेज रहे हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, इन सुझावों के साथ जो अनुदान पेश किया गया है उसका मैं स्वागत करता हूं और उसका समर्थन करता हूं।

*श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफरनगर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो कटौती का प्रस्ताव श्री देशमुख जी ने पेश किया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

जहां तक सेल्स टैक्स का मामला है जितना आज के क्वेश्चन्स से पता लगा कि कितना सेल्स टैक्स इस प्रदेश में बकाया है अगर सरकार की नीयत इसको वसूल करने की हो तो वित्त मंत्री जी को यह जरूरत न पड़ती कि उल्टी नाक पकड़ कर काश्तकारों को जो लगान में छूट दी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रभान शर्मा]

थी उसको दोबारा लागू करने की चेष्टा करते । एक काश्तकार, एक छोटे आदमी के ऊपर अगर १०,२०, ५० रुपये भी बकाया हो तो तहसीलदार द्वारा, अमीन द्वारा उसके साथ कितनी जबर्दस्ती की जाती है फिर यह सरकार अपने आपको इस बात में क्यों असमर्थ पाती है कि इस टैक्स का बकाया दिन दूने रात चौगुने बढ़ता जा रहा है और वह वसूल नहीं हो पाता । इसका पहला कारण यह है कि जितना भी सेल्स टैक्स का स्टाफ ऊपर से ले कर जिला स्तर तक होता है वह सब का सब भ्रष्ट हो गया है । अगर विजिलैन्स के जरिये आप उनकी प्रापर्टी और उनके असेट्स की लिस्ट मंगाने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि एक मामूली से मामूली सेल्स टैक्स आफिसर लखपति और करोड़पति होने जा रहा है और उसका मियर जिन्दगी आप गौर करें तो एक मिनिस्टर और एक बड़े आदमी का भी मियर जिन्दगी इतना नहीं होता । इसीलिये वह सब भ्रष्टाचार सिखाते हैं, डाली लगाते हैं और यही कारण है कि इस टैक्स की वसूलयाबी नहीं हो पा रही है ।

और जिलों का तो मैं नहीं जानता लेकिन जो हमारे जिले में शुगर मिलें हैं उन पर १०,२०, ३०, ४० लाख रुपया बकाया रहता है और जब कलेक्टर या एस० डी० एम० के पास रिकवरी सार्टीफिकेट्स जाते हैं तो वह सब के सब पैसा लेते हैं और यहां तक कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तो यह पोजीशन रहती है कि उन्होंने तो यह समझ रखा है कि यह बड़ा सेफ तरीका है, ३० लाख पर कितना सूद देना पड़ता है, अगर वह चौथाई पैसा भी नजर के तौर पर दे दें तो वह उसको टालते जाते हैं और यह बिल्कुल हो रहा है, सब की नजर में है लेकिन चूंकि नीचे से ऊपर तक सब की आदत पड़ गयी है इसलिये कोई ऐक्शन नहीं होता है । जो सेल्स टैक्स तिगड्डा देना पड़ता है, यानी जो माल हमारे यहां दिल्ली या बम्बई से आता है तो वहां सेल्स टैक्स देते हैं,जब यू० पी० में दाखिल होता है तब देते हैं, जब होल-सेलर के पास आता है तब देते हैं और जब रिटेलर के पास आता है तब देते हैं । बड़े अफसोस की बात है कि सरकार एक दफा भी उसको वसूल करने से कासिर रही है । यही कारण है कि आज यहां पर दिन दूने रात चौगुने टैक्सेज लगाये जा रहे हैं ।

जहां तक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ताल्लुक है, इसके बारे में माननीय भानु प्रताप जी ने जो ख्याल जाहिर किया है मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं । इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का आपसे अलग कर देना, सरकार का उसके ऊपर कोई नियंत्रण न होना यह इस बात का सबूत है कि जितना करप्शन और अत्याचार इसके अन्दर है इतना कहीं नहीं हो सकता । मान्यवर, ऊपर से लेकर नीचे तक एस० डी० ओज० और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को इस तरह से रखा जाता है कि वे लोग वहां पर कितनी कमाई करते हैं और फिर कितनी सप्लाई करें । यह हालत हो रही है आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की । मुजफ्फरनगर में बिजली का एक डिवीजन था । जब वह वहां पर अकेला डिवीजन था तो १८०० ट्यूबलैल्स इंजीनियर्स हुये, २०० गांवों में बिजली लगी लेकिन अब वहां पर दो डिवीजन कर दिये गये हैं । एक तो मेंटीनेंस डिवीजन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन डिवीजन । इन दोनों डिवीजनों के बीच बेचारा किसान पिस रहा है । उनको अपने लाइन डलवाने के लिये कभी रूरल डिवीजन में जाना पड़ता है तो कभी मेंटीनेंस डिवीजन में जाना पड़ता है । वे लोग इस तरह से उनको चक्कर लग जाते हैं और कोई काम नहीं करता है । वहां के काश्तकार और उपभोक्ता धक्के खाते फिरते हैं । वहां के लाइन इंसपेक्टर्स, एस० डी० ओज० और एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों ने ऐसी दशा कर रखी है कि घोर भ्रष्टाचार फैला रखा है और कोई अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करता है । वहां की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है ।

विद्युत् परिषद् जो बीच में पड़ा हुआ है उसके द्वारा पिछले दिनों यह बात सुनने में आई कि उन्होंने तांबे का तार वापस मंगाया और आप लोग नहीं जानते ह कि उस तांबे के तार को बेचने में कितना गोल माल हुआ है । जो टेंडर्स हाई रेट के आये थे उनको सप्लाई नहीं किया गया और

उस वक्त यह बहाना किया गया कि उनको इस तार की इंडस्ट्रीज के लिये जरुरत है और वह टेंडर्स कैंसिल कर किये गये और बाद में लोअर रेट्स पर छोड़ दिये गये और दिल्ली की किसी फर्म को भेजे गये। बीच वालों ने इसमें २०–२५ लाख रुपये का गोल माल किया है।

आज आप देखिये कि बिड़ला, हिंडाल्को पर गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया बकाया है। यह बोर्ड अगर इसी तरह से काम करता रहा तो हमारे प्रान्त को दिवालिया कर देगा। हिंडालको पर जो करोड़ों रुपया बकाया है उसको हमारी सरकार वसूल नहीं कर सकती है। इस प्रदेश में जब बिजली की कमी होती है तो हमारी बिजवी बन्द कर दी जाती है और ब्रेक डाउन कर दिये जाते हैं, काश्तकारों की खड़ी फसल जिसको पानी की आवश्यकता होती है वह सूख जाती है लेकिन बिजली सप्लाई नहीं होती है और उनको बराबर बिजली की सप्लाई होती रहती है। इसका कारण यह है कि जितना स्टाफ होता है वह सब उनका ऋणी होता है, उनकी खातिर तवाजह खूब अच्छी तरह से की जाती है। क्या कोई कार्यवाही सरकार ने की है। अगर करेगी भी तो सरकार विफल रहेगी। इसलिये कि इनके विभाग का और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कोआपरेशन नहीं मिलेगा। इसीलिये कम रेटस पर इन लोगों का एग्रीमेंट बिजली देने का हुआ है और यह ताज्जुबखेज बात है कि सरकार कहती है कि हम मजबूर हैं और उनको बिजली सस्ती दर पर देनी पड़ेगी। इसका यह तरीका हो सकता है कि सारे प्रदेश में बिजली का नेशनेलाइज कर दिया जाय और सरकार इसको अपने हाथ में ले ले। इस तरह से इस घाटे से बचा जा सकता है वरना नहीं बच सकते हैं।

दूसरी बात परिषद् यह नहीं सोचता कि यह एक कमर्शियल कनसर्न है। इसलिये इसको वहीं बिजली देनी चाहिये जहां ज्यादा डिमांड हो। इस तरह की इसकी पालिसी होनी चाहिये। पश्चिम में बुलन्दशहर जिले में नरौरा एटोमिक प्लांट बनना था। कई सालों से इसकी चर्चा हो रही है लेकिन इसमें बराबर डिले की जा रही है। इसका कारण यह है कि लोग नहीं चाहते कि यह प्लांट यहां लगे। इसलिये इसको घपले में डाले हुये हैं। जहां दुकान चलती है वहीं सामान रखा जाता है वरना उस सामान को दीमक खा जाती है या फिर वह टूट जाता है। हमारे प्रदेश के तमाम के तमाम जिले इंडस्ट्री के लिये बिजली मांगते हैं, गांवों के लिये बिजली की मांग ट्यूबवल्स के लिये बिजली की मांग है, लेकिन इनको बिजली नहीं दी जाती है। इसीलिये घाटा हो रहा है। बिजली की लाइन्स उस जगह पर डाली जाती हैं जहां कोई बिजली लेने वाला नहीं है। इसलिये इसको कमर्शियल बेसिस पर चलना चाहिये और इसको बिजली वहां देनी चाहिये जहां जरूरत हो। इससे पैदावार बढ़ेगी, रेवेन्यू आयेगी। जब रेवेन्यू आयेगी तो उससे आप बिजली दूसरी तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं और नई लाइनें डाल सकते हैं। आज आप घाटे में चल रहे हैं और अगर इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड की यही पालिसी रही तो वह दिन दूर नहीं है जब किइसका फट्टा बैठ जायगा। अगर आपने करप्शन को खत्म करने का कोई प्रबन्ध नहीं किया तो यह मामला ही खत्म हो जायगा।

अभी-अभी हाइडिल मंत्री जी ने कहा कि हमने मिनीमम गारन्टी को हटा दिया। एक तरफ तो आपने मिनीमम गारण्टी को हटाया और दूसरी तरफ १७ पैसा के बजाय २० पैसे यूनिट आपने दर कर दी उसके अलावा ३ रुपया प्रति पावर आप सरचार्ज करते हैं। इसके बाद मिनीमम गारण्टी क्या रह गयी। कम से कम दो महीने के लिये स्कीम को चला कर के देख लीजिये। आपका घाटा पूरा नहीं हो सकता। आप यह तो देखते ही नहीं हैं कि कितनी यूनिट बिजली आपकी चोरी जाती है। हरएक लाइनमैन, इंसपेक्टर और एस० डी० ओ० इस बात के आदी हो गये हैं कि चाहे कुछ हो उनको १००, २००, ५०० रूपया महीना की इनकम होनी चाहिये। पहले तो ३० फीसदी लेकर ही मीटर को बदलते थे या पीछे हटाते थे लेकिन अब तो १०–२० रूपया लेकर मीटर को पीछे हटाते हैं। अगर यही चलता रहा तो ये आपका दिवाला ही बैठा देंगे। पचासों मिसाल ऐसी बता सकता हूं कि मीटर जाम है और बिजली चल रही है और कनेक्शन काटा नहीं है। ५–५ हजार

[श्री चन्द्रभान शर्मा–]

का कंजम्पशन हो रहा है लेकिन कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप इसको क्यों नहीं देखते हैं जिस प्रकार से पर पावर के हिसाब से हरियाणा सरकार ने कर दिया है वैसा आप क्यों नहीं करते हैं। १००, १५०, २०० जो भी आपके टैक्नीशियन्स बतायें वैसा रख दीजिये, देखिये अपकी कितनी आमदनी बढ़ जाती है। एक बार इस स्कीम को चलाकर तो देखिये इसमें आपका मीटर का ही खर्चा बच जायेगा और दूसरी तरफ जो चोरी होती है वह भी बच जायेगी और उससे किसानों को भी लाभ होगा। लेकिन आज यह पोजीशन है कि मीटर बंद पड़े हैं और बिजली की चोरी हो रही है और सरकार कान में तेल डाले बैठी हुई है। इसलिये जो पहला प्रपोजल था आप अपने एक्सपर्ट से १२०,१३० या १४० जो भी वह कहें पर पावर के हिसाब से बिजली रखिये, वरना आपकी कंपनी डूब जायगी। अगर सरकार ने जल्दी इसके बारे में नहीं सोचा तो पूरे प्रदेश का अहित हो जायगा।

इस डिपार्टमेंट में जो अन्धेरखाता है उसकी मैं एक नजर पेश करना चाहता हूं। मुजफ्फरनगर में एक गांव खरड़ है वहां पर नारायण सिंह को एक साल हो गये। उसका टयूबवेल चल रहा है और कन्जम्पशन ५ हजार यूनिट से ज्यादा हो गया है लेकिन एक साल से ज्यादा हो गया कोई मीटर रीड करने के लिये नहीं आया है। १० हार्स पावर का मीटर है और ५ हजार यूनिट खर्च हो गये लेकिन वह बीच में नहीं गये। और पूरे साल का गारण्टी का नोटिस चला गया। यह हालत आपके बिजली डिपार्टमेंट की है। लेकिन जब कनज्यूमर वहां पर १० मील से आता है तो बिना १०० रुपया खर्च किये उसकी कोई बात ही नहीं सुनी जाती है। यही नहीं मैं तो वहां का एम० एल० ए० हूं। ५–६ महीने हो गये मेरे यहां कोई मीटर रीड करने नहीं गया और २०–२० रुपये का बिल बना कर भेज दिया जाता है और जब याद पड़ी तो ५०० रुपया का एक महीने में बिल बना कर भेज दिया गया और वह ३ पैसा बढ़े हुए रेट से भेजा गया। जब मैं गया तो कहने लगे कि अब क्या हो सकता है और ३०–७०–८० रुपया ज्यादा मुझे देना पड़ा। यह हालत है आपके यहां के इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की। अन्धी पीस ही है और कुत्ते खा रहे हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप इसको सीरियसली नहीं लेंगे तो दिवाला निकल जायगा। अगर आप कारपोरेशन के बलबूते पर रहे तो आप बदनाम हो जायेंगे। आप जरा देखिये कि कौन कहां से आया है और किस प्रकार से वह काम कर रहा है।

एक बात यह भी मुझे कहना है कि बिजली के बिल्स के मामले में इतनी ज्यादा इनएफीशियेंसी आ गई है कि उन्हें यह पता ही नहीं रहता कि हमारा एडजस्टमेंट हुआ या नहीं हुआ। कनज्यूमर्स बिल पे करते चले जा रहे हैं और फिर उनका तीन-तीन चार-चार मास का बिल फिर भेज दिया जाता है और अगर कोई जाकर कहता है तो उस को कहा जाता है कि लाइन इंसपेक्टर से कहो, लाइन इन्सपेक्टर के पास जाते हैं तो उस को एस० डी० ओ० के पास भेज दिया जाता है और वह भी फिर मुजफ्फरनगर के दफ्तर तक उस गरीब को दौड़ा देते हैं और सौ-सौ रुपया के बिल के लिये उसके मुजफ्फरनगर तक आने जाने में ५० रुपये खर्च हो जाते हैं। सवाल उनका है कि जिन पर इस का असर पड़ता है। छोटे काश्तकारों से जिनको इन मामलों में रोजाना मगजखपती करना पड़ती है और रोज दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं उनका सवाल है जिनका पैसा भी जाता है और परेशानी भी होती है। इन तमाम चीजों को देखते हुये अगर आप कोई रेडिकल चेन्ज नहीं करेंगे, कोई अंकुश नहीं लगायेंगे, एक मजबूत पंजे से गिरफ्त नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकेंगे और इन खराबियों को रोक नहीं सकेंगे। अगर थोड़ा सा और इन मामलात में आप जाने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि शायद इस वक्त कोआपरेटिव विभाग से आप का विभाग बराबरी के लेबिल पर आ गया है या और ऊपर निकल गया है, चाहे उन्हें आप शूरवीर समझ लें या अपने को।

एक खास बात मुझे यह कहना है कि अपनी पालिसी बनाने में आप चारों तरफ नजर रखें, अगर आपने चारों इलाकों की तरफ बराबर की नजर नहीं रखी तो एक ऐसी चीज पैदा होने जा रही है कि पश्चिमी इलाके के हम लोग महसूस करने लगे हैं कि हमारी बात का यहां कोई वजन

नहीं है, आप पच्छिम के लोगों की आदमी नहीं समझते, आप अपने नशे में शरशार हैं, आप मदहोश हो गये हैं, कोई स्कीम आप हमारे इलाके के लिये लाते ही नहीं हैं किसी तरह के विकास की या तरक्की की कोई योजना आप वहां के लिये नहीं सोचते बिजली के बारे में नरोरा पावर हाउस के मामले को भी आप बराबर टाल रहे हैं। अगर आप ने उस इलाके के लोगों की भावनाओं का खयाल न किया, उधर के लोगों के जजबात और वहां की नब्ज पर हाथ नहीं रखा तो हो सकता है कि वहां की उठने वाली आवाज से आप को परेशानी पैदा हो। और आप हाथ जोड़ें और वहां की जनता हमारी, विधायकों की और मंत्रियों की बात को न सुनें और वह उसी तरह की मांग पर उतारू हो जाय जिस तरह कि महराष्ट्र, हरियाना, विदर्भ पंजाब और आंध्र वगैरा में अलहदगी के लिये उठी क्योंकि आप के यहां हम पच्छिम वालों की कोई पोजीशन नहीं, आप के क्लर्क तक हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, हमारा आप के यहां कोई सम्मान नहीं होता और आप हमारी बात तक सुनना पसन्द नहीं करते।

मैंने परसों भी कहा था कि की अगर ऐसी पीजीशन है तो महाराष्ट्र, आन्ध्र और मैसोर जिस तरह से अपनी बाउन्डरी के लिये चिल्लाते हैं और एक दूसरे के साथ दुश्मन का सा बर्ताव करते हैं तो आप को भी अभी से सतर्क हो जाना चाहिये। अभी अभी बलिया का सवाल आया कि वहां की जमीन बिहार में कटकर जा रही है और वहां के लोगों को परेशानी है इसी तरह से हमारे यहां मेरठ, सहारनपुर के गांवों की आबादी भी काफी कटकर हरियाना में जा रही है लेकिन कोई नहीं सुनता। मंत्री जी से पूछा कि दस गांव कब गये तो उन्हें नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। कहा जाता है कि इसको रोकिये, चिट्ठी लिखो तो उसका उत्तर भी नहीं दिया जाता। इसलिये मैं चाहता हूं कि वक्त रहते पश्चिमी इलाके की तरफ आप की नजर जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बिजली बोर्ड और काश्तकारों की हालत को सामने रखकर वह अपन फैसले लें ताकि सूबे की जनता का हित हो और काश्तकार तरक्की कर सके।

*श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)—

मान्यवर, वैसे कहा तो यह जाता है कि पुलिस में बड़ा भ्रष्टाचर है लेकिन बिजली विभाग ने तो समस्त विभागों को मात कर दिया है। मैं आश्वासन समिति में था और वहां जो भ्रष्टाचार के केस सामने आये उनमें सब से ज्यादा केसेज इंजीनियर्स के थे जिन्होंने लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया है वे बिजली विभाग के थे। बिजली विभाग के अभियन्ता ने बताया कि ३–४ अधिशासी अभियन्ताओं के ऊपर गबन के मामले हैं और ऐसी भी सूचना मिली थी कि जो भी ऐसे कैसेज गबन के हैं, उनसे से कोई भी १ लाख रुपये से कम नहीं है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह भ्रष्टाचार क्यों है और उसका निराकरण क्यों नहीं होता है। जितने भी इंजीनियर्स मुवत्तल हैं उन पर किसी भी केस में १ लाख से नीचे के भष्टाचार के केसेज नहीं हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि इस विभाग के मंत्री माननीय नारायण दत्त तिवारी जी हैं लेकिन वे भी कुछ नहीं कर सकें।

मैं अपने जिले कि एक मिसाल देना चाहता हूं। एक काश्तकार से वहां पर बिजली के कर्मचारियों ने कनेक्शन लेने के लिए रुपया मांगा। यह सब जानते हैं कि बिना रुपया दिये किसी को कनैक्शन नहीं मिलता है। हजारों रुपया खर्च करते हैं तब जाकर उपभोक्ताओं के यहां पर बिजली लगती है। और साधारणतया किसानों को ज्यादा देना पड़ता है। जब उसने रुपया नहीं दिया तो बिजली का चार्ज लगाना शुरू कर दिया। एक साल बीत गया लेकिन फिर भी उसे कनेक्शन नहीं मिला। १,२०० रुपया उससे चार्ज किया लेकिन फिर भी कनेक्शन नहीं दिया गया। मैंने जब माननीय मंत्री जी के पास उस मामले की रिपोर्ट की तो उन्होंने आर्डर किया कि इसकी जांच की जाय। मैंने उनसे यह भी अर्ज किया कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुकुम सिंह परिहारा]

जिन्होंने भ्रष्टाचार करके किसान को परेशान किया उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए लेकिन आज तक भी कोई कार्यवाही नहीं हुयी। जिन लोगों ने लाखों रुपये का गबन किया गया है वे १०–२० हजार रुपया खर्च कर देंगे और बहाल हो जायंगे। समाजवाद का ढोंग बनाये हुए हैं लेकिन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती है।

श्री उपाध्यक्ष––

आप जरा माइक से पीछे होकर बोलें। रिपोर्टस को आप की आवाज स्पष्ट नहीं सुनायी दे रही है।

श्री हुकुम सिंह परिहार––

यह सरकार उस साधू के समान है जो गेरवे वस्त्र धारण किए हुए है, माथे पर तिलक लगा है, कंठ में माला पड़ी है, आडंबर सब किए हुए है लेकिन बाहर कुछ और इनके मन में कुछ है। श्रीमन्, मैं चम्बल की घाटी से आता हूं जहां पर डाकू रहते हैं। वे साधू का पहनावा पहन लेते हैं लकिन जनता को लूटते हैं। यह पूरा विभाग भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। हमारे वित्त मंत्री जी इस विभाग के भी मंत्री हैं, इसलिये पैसे का घाटा तो नहीं पड़ेगा। जहां तक पैसे का सवाल है पैसे का उसमें घाटा यूं नहीं रह सकेगा कि बिजली विभाग के जो मंत्री हैं वे स्वयं ही वित्त विभाग को भी संभाले हुए हैं। उस विभाग में भी पैसे का बहाना बना कर यह कह देना कि पैसा नहीं है वह समझ में नहीं आता। मेरे जिले में गांवों में ट्रान्सफार्मर्स नहीं हैं, आवश्यक बिजली का सामान वहां के लिये नहीं आ रहा है। मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन भी किया था इस सिलसिले में कि आगरा जिले में बिजली की सुविधायें नहीं प्रदान की जा रहीं हैं। बिजली विभाग की सुविधा से मतलब यह है कि जहां बिजली नहीं है वहां काश्तकारों को पानी नहीं मिल सकता। हरित क्रान्ति का नारा वहां पर पूरा नही हो सकता है। पिछली सरकार ने कुछ क्षेत्रों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर रक्खा है।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछड़ा क्षेत्र क्या होता है। दो तिहाई क्षेत्र जहां का असिंचित हो क्या वह क्षेत्र पिछड़ा नहीं है। जिस क्षेत्र में पांच फीसदी कनेक्शन नहीं मिलते क्या वह क्षेत्र पिछड़ा नहीं है। जिस जिले में शिक्षा देहातों तक नहीं पहुंच पाई है क्या वह पिछड़ा नहीं है। अस्पतालों की भी वहां पर बुरी हालत है। मैं जानना यह चाहता हूं कि मैंने कई ज्ञापन दिये एक पारसाल दिया तमाम जिले के विधयकों ने माननीय मुख्य मंत्री के नाम दिया कि दो तिहाई क्षेत्र आगरा जिले का असिंचित है। उसमें पूरा उल्लेख किया लेकिन आज तक उस ज्ञापन के बारे में कुछ नहीं है। सरकार की यह हालत है कि जिसको चाहा उसको पिछड़ा क्षेत्र बना दिया। मैंने सरकार से कहा कि इस सम्बन्ध में एक समिति बनायें ताकि वे देख सके कि कौन सा क्षेत्र असिंचित है, कौन सा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। जिस यमुना-चम्बल घाटी की जनता पर मध्य प्रदेश सरकर बहुत बड़ा बजट खर्च कर रही है राजस्थान सरकार ने भी उस ओर ध्यान दिया है और वहां की जनता बाबू जय प्रकाश नारायण के प्रति आभारी है जिन्होंने लूट करने वालों से भी सरेन्डर करवा दिया है। मैं अपने जिले की जनता के द्वारा उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं और इस सरकार की निन्दा करता हूं कि वहां की चम्बल वासी जनता के लिये हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया। सत्तर करोड़ रुपया मध्य प्रदेश की सरकार खर्च कर रही है परन्तु हमारी सरकार इसके लिये कुछ भी खर्च नहीं कर रही है।

मैं यह कहना चाहता हुं माननीय वित्त मंत्री से कि आगरा के क्षेत्र को भी पिछड़ा इलाका घोषित किया जाय। तो मैं उन से अनुरोध करूंगा कि आप चम्बल घाटी के लोगों के प्रति अन्याय नहीं करें, वहां की जनता अब और ज्यादा सहन नहीं कर सकती। इसी हाउस में

पश्चिमी जिलों के लिये पर्चे फेंके गये, इसी हाउस में पहाड़ी जिले के लिये पर्चे फेंके गये और वहां के विधायकों ने उस के लिये आवाज उठायी और उनके लिये सरकार ने बजट भी अलग हो गया। अप्रत्यक्ष रूप से सरकार ने पहाड़ी प्रदेश बना दिया।

अभी हाल में दारुल शफा में पश्चिमी जिलों के विधायकों की एक बैठक हुई, उस म पश्चिमी जिलों के लिये एक अलग प्रदेश बनाने के लिये मांग की गयी। जब पहाड़ी प्रदेशों के लिये और पूर्वी प्रदेशों के लिये जब अलग-अलग मांग होती है, तो वही लोग क्यों अलग हों। मैं तो उनका समर्थक हूं और इसी कारण सरकार से यह मांग करता हूं कि चम्बल घाटी के क्षेत्र के लिये अलग से सरकार कोई समिति बनावे, कि कौन पिछड़ा क्षेत्र है और कौन अगला है। अगर सरकार यह हमारी मांग नहीं मानती तो हम इस के लिये आन्दोलन करेंगे, पिकेटिंग करेंगे, धरना देंगे। श्रीमन्, मैं आप के माध्यम से वित्त मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आगरा की तरफ भी वह विशेष ध्यान दें। जब यह सरकार आयी है, हमारे आगरा जिले के लिये पानी और बिजली का कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। १० साल से रामगंगा परियोजना चल रही थी, जब वह पूरी हो गयी, तो उस से पानी हम को नहीं मिला, जब कि यह आश्वासन पहले दिया जा चुका था। जब कहा जा रहा है कि टेहरी बांध जब पूरा हो जायगा तब मिलेगा। अगर टेहरी बांध १० साल में पूरा होता है तब तक क्या जनता बैठी रहेगी और अगर वह पूरा हो जायगा तो वह पहाड़ी क्षेत्र को जायेगा कि यहां पर बिजली दी जायगी। अतः मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी, वित्त मन्त्रीजी तथा सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारी कठिनाइयों को समझ कर जनता की तकलीफ दूर करे नहीं तो चम्बल घाटी की जनता को अपने अधिकारों को प्राप्त करके रहेगी। मान्यवर आगरा में...

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--
मान्यवर आगरा का प्रश्न है...

श्री उपाध्यक्ष--
अब आप समाप्त करें।

श्री हुकुम सिंह परिहार--
मायन्वर ५ मिनट और दें। आगरा में मान्यवर, बिजली की बड़ी भारी कमी है और आप प्रचार करने में लगे हुये हैं कि हम इतनी बिजली दे रहे हैं। मान्यवर मैं पूछना चाहता हूं कि जहां बिजली न हो वह क्या पिछड़ा क्षेत्र नहीं है?...

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--
वित्त मन्त्रीजी को आगरा ले जाइये।

श्री हुकुम सिंह परिहार--
मैं आगरा के बारे में माननीय मन्त्री जी से कई बार कहा, लेकिन वह आगरा चलते ही नहीं हैं। हमारे यहां क्षेत्र में १० ट्यूबवेल्स बनाये गये हैं जिन में से ५ तो बिना बिजली के ही पड़े हैं। ज्यादा से ज्यादा १०० ट्यूबवेल्स हमारे क्षेत्र में हैं आप समझ सकते हैं कि उन में से कितने बेकार पड़े होंगे। मैं मांग करता हूं कि आप इसकी जांच करवायें। मैं इस हाउस के लेविल से यह कहता हूं कि अगर इन क्षेत्रों का आप सुचारु रूप प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं, तो पूर्वी प्रदेश अलग हो जाय, आगरा और अवध जैसा कि पहले था वह अलग हो जाय और पश्चिमी क्षेत्र अलग और पर्वतीय क्षेत्र अलग होकर पृथक राज्य बन जायें। जब यह हो जायगा तभी हमारे प्रदेश का निर्माण हो सकेगा।

श्री मैनेजर सिंह--
क्या आगरे के साथ बरेली भी रहेगा?

श्री उपाध्यक्ष--

आगरे के पास मथुरा है, भिंड क्षेत्र है ।

*श्री मुशीलाल चमार (जिला मैनपुरी)--

संसदीय कार्य मन्त्री जी ने जो विद्युत की मांग की है उस के समर्थन के लिये में खड़ा हुआ हूं । जैसा कि कहा गया कि विद्युत विभाग में भ्रष्टाचार चरमसीमा पर है उस में कोई दो राय नहीं है । वास्तव में यह चरमसीमा पर पहुंच चुका है । आप यह देखें कि जो निमिमम गारन्टी पहले थी काश्तकारों पर उसको हटा देने से भ्रष्टाचार और भी अधिक बढ़ गया है । लाइन इन्स्पेक्टर और लाइन मैन आज काश्तकारों को खुले हाथों से लूट रहे हैं । इन लोगों का उच्च अधिकारियों को देने के लिये पैसा बंधा है । लाइन इन्स्पेक्टर और लाइन मैन सहायक अभियन्ता को बंधी हुई रकमें दिया करता है । अगर वह बेचारा पैसा नहीं देता है तो उस बेचारे की इन्ट्री खराब कर दी जाती है । उच्च अधिकारी तभी अपने मातहत को अच्छी इन्ट्री देते हैं जब कि वह उन को लगातार पैसा दिया करता है नहीं तो वह चार्ज लगाकर मुअत्तल कर दिया जाता है या फिर नौकरी से अलग कर दिया जाता है ।

आज तक जितने अच्छे कर्मचारी हैं वे अपने उच्च अधिकारियों को परसेंटेज बांध देते हैं, उन को इन्ट्री अच्छी मिलती है और आगे बढ़ने का मौका भी रहता है । में जिला मैनपुरी के बारे में बताऊं कि वहां के अधिशासी अभियन्ता गोयल साहब हैं, उनका भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है । बिना लिये हुये कोई काम नहीं करते हैं । अग्रवाल साहब लाइन इन्स्पेक्टर हैं । राम गुलाम नाम का एक सैनिक फौज में था । उसका पत्र आया है कि उसका कनेक्शन विद्युत मन्त्री जी के यहां से स्वीकार करवा कर भिजवाया था । जब वह कनेक्शन के लिये लाइन इन्स्पेक्टर के बंगले पर गया तो जब उस ने उस से १५० रु० ले लेने के बाद ही कोई काम किया । लाइन इन्स्पेक्टर तथा अधिशासी अभियन्ता जिस बंगले में हैं, रहते हैं वैसे बंगले तो यहां के मंत्रियों के भी नहीं हो सकते हैं । वे महल बने हैं । केवल एस्टिमेट बनाने के लिए ही वह बेचारा फौजी लाइन मैन के पास गया था, लेकिन केवल एस्टिमेट बनाने के लिये भी उस बेचारे फौजी से १५० रु० की घूस ली गयी । यह तो हाल है इस विभाग में भ्रष्टाचार का ।

दूसरा केस मैं आप के सामने रखना चाहता हूं । हमारे क्षेत्र के लाखन सिंह यादव के भाई फूलन सिंह यादव, जिस को ९, १० महीने हो गये कनेक्शन को मंजूर हुये, लाइन इन्स्पेक्टर के पास गया, तो उस ने ७५० रुपया मांगे और कहा कि बिना रुपया दिये टयूबवेल का पानी नहीं पी सकते हो । इस पर वह आदमी मेरे पास दौड़ कर आया और उस ने कहा कि लाइन इन्स्पेक्टर, ओम प्रकाश अग्रवाल, जिसका करहल क्षेत्र है, टयूबवेल के लिये ७५० रुपया मांगता है । तो मैं कहना चाहता हूं कि काश्तकार के लिये तो मिनिमम गारन्टी ही ठीक थी । अब तो लाइन इन्स्पेक्टर ने लोगों से रुपया बांध लिया है और मीटर को गलत कर के काश्तकार से २०, ५० रुपया महीना ले लेता है । इस से बोर्ड को भी घाटा हो रहा है । यह बात केवल एक जिले में ही नहीं है सारे उत्तर प्रदेश में है । आज देहात में बिजली ५ रुपया महीने पर लाइन इन्स्पेक्टर ने बगैर मीटर के लोगों को दे रक्खी है और रुपया पैदा कर रहे हैं । तो आप मिनिमम गारन्टी फिक्स कर दें जिस से काश्तकार को पता रहे कि उस को इतना देना है, तो लाइन इन्स्पेक्टर को क्या दिया जाय ।

मुझे एक निवेदन यह करना है कि मेरे क्षेत्र में लोगों ने आवश्यकता के अनुसार टयूबवेल खूब लगाये हैं । उन के सामने एक मुसीबत यह आयी कि डाकू लोग ८० आदमियों को पकड़ कर ले गये । उन लोगों से बहुत अधिक धनराशि मांगी गयी क्योंकि सोचा यह गया कि टयूबवेल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है, ५०,००० रुपये तो दे ही सकता है। तो आप किसानों को पानी देने का सिस्टम रात से हटा-कर दिन में कर दें ताकि वह लोग अपने खेतों में पानी दे सकें। रात में गूलें कटने पर पता भी नहीं लगता है। तो आप काश्तकारों को दिन में बिजली दें और इन्डस्ट्री वालों को रात में बिजली दें। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो जो आत्म निर्भर होने की बात की जाती है वह पूरी नहीं हो सकेगी। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह बतलाना चाहता हूं कि इस समय तो २४ घंटे में २ घंटे भी काश्तकारों को बिजली नहीं मिल पा रही है। लाइनमैन जिधर की बिजली चाहता है काट देता है और काश्तकार विचारा तिलमिला कर रह जाता है। यदि किसानों को बिजली नहीं मिल सकेगी तो वह अधिक गल्ला कैसे पैदा कर सकेगा। इसके बाद मैं पुनः इस बात को कहना चाहता हूं कि काश्तकारों को दिन में बिजली दी जाय और फैक्ट्री वालों को रात में दी जाय। इससे काश्तकार अपने खेतों की सिंचाई कर सकेगा और भ्रष्टाचार दूर होगा। काश्तकार को सुविधा देकर ही हम अधिक अन्न उपजाओ योजना को सफल बना सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री मैनेजर सिंह—
माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री नित्यानन्द स्वामी—
यह तो गवर्नमेंट के हैं।

*श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—
मैं निष्पक्ष बात करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं देशमुख जी के प्रस्ताव का औपचारिकता वश ही समर्थन नहीं करना चाहता हूं बल्कि गम्भीरता के साथ उस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं। श्रीमन् जो डिमांड माननीय मन्त्री जी ने प्रस्तुत है, यदि उसको स्वीकृत न किया जाय और सेल्स टेक्स और विद्युत के महकमे को समाप्त कर दिया जाय तो मैं समझता हूं कि इससे बहुत लाभ होगा और बहुत बड़ा जनहित भी होगा। सेल्स टैक्स के बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसा गोरखधंधा बिडला जी के रेट के बारे में है वैसे ही यहां भी है। वह रेट २ पैसा नहीं बल्कि १.९९ या कुछ ऐसे ही हैं। ऐसे ही सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट १.९९ करप्ट है। शायद ही कोई एक आध व्यक्ति ईमानदार हो। अगर आप इस विभाग को समाप्त कर दें और व्यापारियों को छूट दे दें कि वे स्वतः पैसा जमा करें तो जितनी आय आज होती है उतनी स्वतः ही हो जायगी। जहां तक बकाया का सवाल है, वह तो पुरानी बीमारी है। चाहे इधर के लोग हैं या उधर के लोग हैं, सरकार का व्यापारियों के साथ बहुत ही नम्र सलूक रहता है। इसलिये वह पैसा वसूल नहीं होगा।

जहां तक विद्युत् परिषद् का सवाल है, यह एक सफेद हाथी है। इसको जल्दी से जल्दी समाप्त कर देना चाहिये। इस परिषद् को स्वायत्तता के नाम पर मनमानी करने और जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिये। हमारे साथी भानु प्रताप जी ने कहा कि इनके शक्ति भवन को देखें तो यह वाजिदअली साह से भी ज्यादा हरम बना हुआ है। इसको मटियामेट कर देना चाहिये। यह हरम आई०ए०एस० के अफसरों की अय्यासी के लिये बना हुआ है। इनको वहां से तत्काल निकाल देना चाहिये। आई०ए०एस० अफसरों को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मैनेजरसिंह ]

विद्युत के बारे में क्या जानकारी है, एकाउन्ट के बारे में उनकी क्या जानकारी है। इन लोगों को वहां अभ्यासी करने के लिये रखा गया है। इससे प्रदेश चौपट होगा। मैं माननीय मंत्री जी आप से यह कहना चाहता हूं। अध्यक्ष जी बड़े कुशल हैं, जितने पुराने अध्यक्ष हुये हैं। सबसे ज्यादा गुटबंदी इस विभाग में है। हमारे देशमुख जी ने कहा कि जब वे उपमंत्री थे तो उन्होंने फाइल पर नोटिंग की थी। केसा में जो चीफ इंजीनियर थे, जिनका चरित्र निष्कलंक नहीं था उनको यहां सबसे बड़ा अधिकारी बनाकर मुख्यालय पर बैठा दिया है। अगर विद्युत परिषद् का सत्यानाश नहीं होगा तो क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप कितना समय और चाहते हैं ?

श्री मैनेजर सिंह—

दस मिनट।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

थोड़ा समय बढ़ा दें।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

समय न बढ़ावें बल्कि कल इन्हें समय दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

कल दस मिनट समय आपको मिल जायगा।

## नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम ५१ के अन्तर्गत जो सूचनायें हैं उनको सुन लें।

श्री चन्द्रभान शर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अपनी मांगों के समर्थन में जलूस एवं प्रदर्शन से संबंधित सूचना प्रदान की है। इसको स्वीकार नहीं किया गया है।

दूसरी सूचना श्री विश्व नाथ कपूर श्री सुरेन्द्र, विक्रम तथा बंशीधर पाण्डेय ने दी है किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के डेंटल सर्जनों ने अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल कर रखी है। यह चूंकि स्वायत्त शासन से संबंधित मामला है, इसलिये इसे स्वीकार नहीं किया गया है।

तीसरी सूचना श्री शम्भूनाथ चौधरी ने दी है बलिया जिला चिकित्सालय में कम्पाउन्डरों की कमी के बारे में। माननीय सदस्य का सुझाव है कि बजाय कम्पाउन्डर्स को ट्रेन्ड करने के, डाक्टरों की संख्या बढ़ा दी जाती है जिससे समस्या का समाधान नहीं हो पाता। यह चूंकि अविलम्बनीय महत्व का नहीं है, अतः अस्वीकार। शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया जाय।

चौथी सूचना श्री मोहनलाल कपूर तथा मलिखान सिंह ने मैनपुरी में पुलिस की उदासीनता एवं असामाजिक तत्वों की कार्यवाहियों में बढोत्तरी के विषय में दी है। यह अस्पष्ट होने के कारण अस्वीकार किया गया।

पांचवीं सूचना श्री कल्याण सिंह ने इटावा जिले के भर्थना कस्बे में डकैतियों तथा कई उसके परिणामस्वरूप कई व्यक्तियों के घायल हो जाने के विषय में सूचना दी है। माननीय सदस्य इस संबंध में प्रश्न कर लें। यह नियम ५१ के अन्तर्गत स्वीकार्य नहीं है।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, मैंने जो सूचना नियम ५१ के अन्तर्गत दी है, उसको कृपया स्वीकार कर लें।

श्री उपाध्यक्ष—

जो विषय आपने सूचित किया है उस पर सरकार द्वारा यथासमय वक्तव्य दे दिये जाते हैं। हड़ताल आदि आय दिन होती ही रहती है। अतः यह स्वीकार्य नहीं है।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :

२४ अप्रैल, १९७२ ई०।

विधान सभा सचिवालय

## नत्थी "क'

[देखिये नियमावली ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ पर १०५ ।]

| खण्ड का नाम | ट्रान्सफार्मर | तांबा | योग |
|---|---|---|---|
| | रु० | रु० | रु० |
| १—विद्युत अनुरक्षण खण्ड, अलीगढ़ | ११,५४,२३५—०० | ६,७७,१५४—०० | १८,३१,३८९—०० |
| २—विद्युत् अनुरक्षण खण्ड, आगरा | ९४,२७५—०० | १२,५२९—०० | १,०६,८०४—०० |
| ३—विद्युत् अनुरक्षण खण्ड मैनपुरी | ३,९५,८६८—०० | ३,०४,४९९—०० | ७,००,३६७—०० |
| ४—ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड, एटा | ७,१६,७१९—०० | ३,६१,३२५—०० | १०,७८,०४४—०० |
| ५—ग्रामीण विद्यतीकरण खंड मथुरा | ७९,०५०—०० | २३,८८६—०० | १,०२,९३६—०० |
| ६—ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड, अलीगढ़ | — | — | — |
| ७—विद्युत् परीक्षण खण्ड, अलीगढ़ | — | — | — |
| योग | २४,४०,१४७—०० | १३,७९,३९३—०० | ३८,१९,५४०—०० |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी "ख"

[देखिये नियमावली ३८(२)के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०९ पर]

उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र (१९७२) के ४ थे सोमवार के लिये निर्धारित श्री महराम सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या—४ से संबंधित उन भट्टे वालों की सूची जिनको कोयला नहीं दिया गया।

### परिशिष्ट (अ)

सर्वश्री—

१—प्रकाश एण्ड संघ, फर्रुखाबाद।
२—मेला राम एण्ड सन्स, फतेहगढ़।
३—शंकर लाल अरोड़ा, फर्रुखाबाद।
४—गौरी शंकर सूरज प्रकाश, फर्रुखाबाद।
५—राम चन्द्र पुत्तू लाल, फर्रुखाबाद।
६—मैनेजर आर० पी० इन्टर कालेज, कमालगंज।
७—मैनेजर जनता इन्टर कालेज, पखना।
८—श्याम लाल सिंह एण्ड संस, अराह पहाड़पुर।
९—उदयपाल सिंह, नगला हूशा।
१०—डा० सी० डी० एफ०, बरोन।
११—राजेन्द्र प्रसाद जनार्दन प्रसाद, महरंपुर।
१२—आम दत्त, अमृतपुर।
१३—राज नारायण मिश्रा एण्ड कं०, करनपुर।
१४—प्रेम कुमार अनिल कुमार।
१५—अब्दुल रऊफ मु० उस्मान, जरारी।
१६—रवेन्द्र पाल सिंह बृजनन्दन लाल, कुम्हरौर।
१७—राम शंकर दीक्षित, मदनपुर।
१८—रामाधीन महाराम, कोरीखेड़ा।
१९—रामानन्द्र, पतौला।
२०—राम लखन तिवारी।
२१—डा० लड्डते लाल, नेकपुर।
२२—कृषनासिंह वीरेन्द्र कुमार।
२३—बृजनन्दन लाल, हमीरपुर।
२४—मग्गरी लाल श्याम लाल, फर्रुखाबाद।
५—महाबीर ब्रिक फैक्टरी, नगला गुलाल।
२६—किशान मजदूर मेट्स, लखूला।
२७—राजकुमार चावला, गंधिया।
२८—साहूमल एण्ड संस, तिर्वागंज।
२९—बृज किशोर गुप्ता, मकरंदनगर।
३०—यूनाइटेड ब्रिक फैक्टरी, अकबरपुर, सरायघाघ।
३१—राम बाबू मिश्रा, कन्नौज।
३२—सांवल दास हरगोविन्द दास, तिर्वागंज।
३३—जीवन सिंह, सिरोज।
३४—राम स्वरूप राम सेवक, गबंधरापुर।
३५—श्रीकृष्ण चतुर्वेदी, सारोतोष।
३६—सहकारी संघ, रामपुर मुझेला।
३७—अनिल बन्धु ईट निर्माता, कन्नोज।
३८—मुलायमसिंह राजेन्द्र प्रकाश, अनोगी।
३९—राम किशोर पुगुहा।
४०—मत्तूमल एशीमल, सरायप्रयाग।
४१—सहकारी संघ, छिबरामऊ।
४२—एच०एल०इन्टर कालेज, छिबरामऊ।
४३—गुलाब दास इन्टर कालेज, छिबरामऊ।
४४—ब्रम्ह स्वरूप दूबे, सिंगपुर।
४५—गोंदन लाल शुक्ला, छिबरामऊ।
४६—शराफतउल्ला मजरुलहक, खांडेदेवर।
४७—रामेश्वर दयाल जगदीश प्रसाद।
४८—उदय राम गुप्ता, सौरिख।
४९—पूरन ब्रिक क्लिन, कल्यानपुर।
५०—फहीमउद्दीन सकरवारा, बगुलुई।
५१—कदड़सओलम राम स्वरूप, पितौरा।
५२—महिमासरन हरिशरन लाल, शमशाबाद।

सर्वश्री—

५३—कुंवर सेन राम नरायन, चिलौला ।
५४—प्रताप नरायन श्रीकृष्ण, दारापुर ।
५५—राज नरायन एण्ड संस, आलेपुर ।
५६—गजराज सिंह ज्ञानचन्द, ममापुर ।
५७—सहकारी संघ, चिलसरा ।
५८—दीपचन्द गंगवार, बछिलैया ।
५९—एस० एम० मुर्तजा, शमशाबाद ।
६०—अनवर खां, चिलौली ।
६१—जहीद अली खां, कम्पिल ।
६२—उदय चन्द्र लहरा ।
६३—राजाराम यादव, पिपश बोझी ।
६४—किशान मुरारी गंगवार, फरीदपुर ।
६५—गन्धर्व सिंह, नगला दम ।
६६—ओम प्रकाश मलिखना सिंह ।
६७—रनबीर सिंह लोकपाल सिंह, बरखेड़ा ।
६८—राम नरेश बाबूराम ।
६९—गंगवार ब्रदर्स, किसरोली ।
७०—नरायन स्वरूप मिश्रा, चन्दुइया ।
७१—सरनाम सिंह, गौराई ।
७२—भजवीर सिंह उदय चन्द सिंह ।
७३—रघुनन्द लाल, रजपालपुर ।
७४—अभय प्रताप राम प्रसाद ।
७५—किशन पाल सिंह भटासा ।
७६—अशरफ शेर खां, रुदायन ।
७७—देवेन्द्र सिंह बरतल ।
७८—धांवर दास नैनू मल, नेकपुर कलां ।

———

संसदीय प्रलेख महा

# नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे १११ पर)

## विद्युतीकरण सूची

वर्ष १९६९-७० में--

निम्बूचोर मेवाकोट, गोरखपुर, घमन्डपुर, कोल्टा, पदमपुर, नन्दपुर, दुर्गापुर, कलालघाटी, मानपुर, लक्ष्मनपुर, लुधापुर बालागंज, जसोदापुर ।

वर्ष १९७०-७१ में--

अमसोर, देवीखाल, वेल्दा, दादामन्डी बोन्धा ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११५ पर)

### विशेष अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कर तथा करेत्तर राजस्व के बकाया की ३१ मार्च, १९७२ तक की वसूली की प्रगति रिपोर्ट

| कर तथा करेतर-राजस्व का नाम | ३१ मार्च, १९७० का बकाया धनराशि | कालम २ के समक्ष वसूल की गई धनराशि | पिछले वर्ष का का शेष बकाया (कालम–२–३) | उस बकाये की धनराशि जो वर्ष १९७०–७१ के मांग के समय वसूल न हो सकी | वर्ष १९७०–७१ के अन्त में कुल बकाया धनराशि (कालम ४–५) | हाई कोर्ट अथवा किसी अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा स्थगित की गई धनराशि | शुद्ध बकाया | अन्य विवरण (यदि कोई हों) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ |
| आबकारी देय '१०-राज्य आबकारी शुल्क' | १,२२,२९,७१३ | १४,०६,५५३ | १,०८,२३,१६० | २८,०४,७८९ | १,३६,२७,९४९ | ८८,४५,६३७ | ४७,८२,३१२ | (१) कालम ८ की धनराशि में रु० ९,७८,५३७ की धनराशि शामिल है जिसे बट्टेखाते में डालने के लिये जिलाधिकारियों ने संस्तुति की है। (२) कालम ८ की धनराशि में वह धन- |

विधान सभा

राशि शामिल है जिसे हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार अन्य अनुज्ञापियों ने, जिन्होंने इस बारे में समादेश याचिका दायर नहीं की है, भी स्थगित धनराशि समझकर जमा नहीं किया है तथा जिलाधिकारियों ने इस पर निर्णय देने के लिये लिखा है। उच्च न्यायालय के आदेशनुसार यह वसूल नहीं की जा सकती।





उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११७ पर)

१-४-१९७१ से ३१-१-१९७२ तक बिक्री-कर बकाया की सूचना इस प्रकार है--

| जिला | बकाया |
|---|---|
| १--देहरादून .. .. .. .. | ६०,३९,१७७ |
| २--सहारनपुर .. .. .. .. | ५१,८२,८०४ |
| ३--मुजफ्फरनगर .. .. .. .. | ४७,७९,१२३ |
| ४--मेरठ .. .. .. .. | १,९६,९८,९४१ |
| ५--बुलन्दशहर .. .. .. .. | ८८,१६,६९५ |
| (१) मेरठ खंड .. .. .. .. | ४,४५,१६,७४० |
| ६--आगरा .. .. .. .. | २,३५,५०,४५४ |
| ७--अलीगढ़ .. .. .. .. | १,२१,५७,२७५ |
| ८--मथुरा .. .. .. .. | १४,२७,८०३ |
| ९--मैनपुरी .. .. .. .. | १९,६१,६६६ |
| १०--एटा .. .. .. .. | २५,९१,६३७ |
| (२) आगरा खंड .. .. .. .. | ४,१६,८८,८३५ |
| ११--बरेली .. .. .. .. | ८८,३०,४७४ |
| १२--बिजनौर .. .. .. .. | ४०,९९,७९१ |
| १३--बदायूं .. .. .. .. | १४,९२,५१२ |
| १४--मुरादाबाद .. .. .. .. | १,६९,५१,८५२ |
| १५--शाहजहांपुर .. .. .. .. | १६,१०,७२७ |
| १६--पीलीभीत .. .. .. .. | १५,७५,२८४ |
| १७--रामपुर .. .. .. .. | १९,६१,९०९ |
| (३) बरेली खंड .. .. .. .. | ३,६५,३१,५४९ |
| १८--इलाहाबाद .. .. .. .. | ८१,२७,८१० |
| १९--फर्रुखाबाद .. .. .. .. | ३१,३३,८३४ |
| २०--कानपुर .. .. .. .. | ६,२५,७१,७२८ |
| २१--इटावा .. .. .. .. | ३१,१७,९६५ |
| २२--फतेहपुर .. .. .. .. | १५,४५,४८२ |
| (४) इलाहाबाद डिवीजन .. .. .. .. | ७,९४,९६,८१९ |
| २३--झांसी .. .. .. | ८३,५३,४९१ |
| २४--जालौन .. .. .. .. | ३०,९४,०९४ |
| २५--हमीरपुर .. .. .. .. | १४,८३,६८२ |
| २६--बांदा .. .. .. .. | २२,४६,६८७ |
| (५) झांसी खंड .. .. .. | १,५१,७७,९५४ |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| जिला | बकाया |
|---|---|
| २७--वाराणसी .. .. . .. | २,५९,४२,७७३ |
| २८--मिर्जापुर .. .. .. | ३३,४७,२५३ |
| २९--जौनपुर .. .. .. .. | २६,९४,१४५ |
| ३०--गाजीपुर .. .. .. .. | १४,४९,०११ |
| ३१--बलिया .. .. .. .. | २५,५३,८७३ |
| (६) वाराणसी खंड .. .. .. | ३,५९,८७,०५५ |
| ३२--गोरखपुर .. .. .. .. | १,०८,८३,९९७ |
| ३३--बस्ती .. .. .. .. | २१,४१,५२२ |
| ३४--आजमगढ़ .. .. .. | २९,२७,७४३ |
| ३५--देवरिया .. .. .. .. | ३८,५४,४७६ |
| (७) गोरखपुर खंड .. .. .. | १,९८,०७,७३८ |
| ३६--नैनीताल .. .. .. .. | २५,००,४७६ |
| ३७--अल्मोड़ा .. .. .. .. | ६,१७,९५३ |
| ३८--पौड़ी गढ़वाल .. .. .. | ८,७९,५०६ |
| ३९--टेहरी गढ़वाल .. .. .. | ५,८५,६७४ |
| (८) कुमायूं खंड .. .. .. | ४५,८३,६०९ |
| ४०--लखनऊ .. .. | ३,२८,६०,८८१ |
| ४१--उन्नाव .. .. .. .. | २१,१९,०३८ |
| ४२--रायबरेली .. .. .. .. | ७,९९,२२९ |
| ४३--सीतापुर .. .. .. .. | १२,९५,६६६ |
| ४४--हरदोई .. .. .. .. | २७,९७,७५३ |
| ४५--खीरी .. .. .. .. | ३९,८५,०१२ |
| (९) लखनऊ खंड .. .. .. | ४,३८,२७,५७९ |
| ४६--फैजाबाद .. .. .. .. | २१,९२,९८० |
| ४७--गोंडा .. .. .. .. | २६,९९,३४१ |
| ४८--बहराइच .. .. .. .. | २४,८८,७३२ |
| ४९--सुल्तानपुर .. .. .. | ८,८०,२९३ |
| ५०--प्रतापगढ़ .. .. .. .. | १२,६५,३१२ |
| ५१--बाराबंकी .. .. .. | १५,८४,४५१ |
| (१०) फैजाबाद खंड .. .. .. | १,११,११,१०९ |
| ५२--पिथौरागढ़ .. .. .. | अल्मोड़ा में शामिल |
| ५३--उत्तर काशी .. .. .. | टेहरी गढ़वाल में शामिल |
| ५४--चमोली .. .. .. .. | पौड़ी गढ़वाल में शामिल |
| (११) उत्तरा खंड डिवीजन | |
| सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश .. .. .. | ३३,२७,२८,९८७ |

अमर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२१ पर)

### वर्ष १९७१–७२ में गोरखपुर जिले में जारी किये गये चीनी के लाइसेंसियों की सूची

| क्रम-संख्या | लाइसेन्सी का नाम | स्थान | लाइसेन्स नम्बर | जारी करने की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| १ | सर्वश्री महाबीर राइस एण्ड आयल मिल्स। .. | मो० नसीराबाद, गोरखपुर शहर | ५१ | १–२–७१ |
| २ | सर्वश्री बासदेव राम मोहन लाल | मो० इस्माइलपुर गोरखपुर शहर | ५६ | १९–२–७१ |
| ३ | ,, पृथ्वीराज रामप्रसाद .. | आनन्दनगर तहसील फरेंदा | ५५ | १९–२–७२ |
| ४ | ,, कुंजीराम रामअधोर .. | पीपीगंज, तहसील फरेंदा | ५७ | १९–२–७१ |
| ५ | ,, रामअवतार एण्ड कम्पनी | मो० खूनीपुर गोरखपुर शहर | ५६ | ५–४–७१ |
| ६ | ,, दग्गन लाल ओंम प्रकाश.. | मो० इस्मायलपुर गोरखपुर शहर | ५९ | ४–५–७१ |
| ७ | ,, राम सयका शूगर कं० | पिपराइच, तहसील सदर | ६९ | ४–५–७१ |
| ८ | ,, भवानी सहाय लक्ष्मीचन्द | मो० इस्मायलपुर, गोरखपुर शहर | ६० | २१–५–७१ |
| ९ | ,, दीवान चन्द एण्ड सन्स.. | धर्मशाला बाजार गोरखपुर शहर | ६५ | २१–५–७१ |
| १० | ,, मध्येशिया ट्रेडिंग कं० .. | मो० साहब गंज, .. गोरखपुर शहर | ६१ | १३–७–७१ |
| ११ | ,, हरबंश सिंह महेन्द्र सिंह | नौतनवा बाजार, तहसील फरेंदा | ६२ | २२–७–७१ |
| १२ | ,, शंकर आयल एण्ड फ्लावर मिल्स। | मो० इस्माइलपुर, गोरखपुर शहर। | ६६ | ३–८–७१ |
| १३ | ,, रमाशंकर प्रमोद कुमार | साहबगंज गोरखपुर शहर | ६३ | १०–८–७१ |
| १४ | ,, महाबीर आयल एण्ड फ्लावर मिल्स | खिसयाबाजार, तहसील महाराजगंज। | ६४ | २०–८–७१ |
| १५ | ,, ओंकार नाथ गुप्ता .. | मो० शेषपुर, गोरखपुर शहर | ६७ | ६–९–७१ |

| क्रम-संख्या | लाइसेन्सी का नाम | स्थान | लाइसेन्स नम्बर | जारी करने की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| १६ | सर्वश्री कैलाशचन्द सुरेश कुमार .. | मो० इसमाइलपुर, गोरखपुर शहर। | ७० | १४–९–७. |
| १७ | ,, सीताराम अशोक कुमार .. | मो० इसमाइलपुर गोखपुर, शहर। | ७२ | १४–९–७१ |
| १८ | ,, रामबिलास विजयकुमार .. | मो० इसमाइलपुर, गोखपुर शहर। | ७१ | १–१०–७१ |
| १९ | ,, प्रकाश आयल एण्ड हार्ड वायर ट्रेडर्स .. | दिलेजा कपुर, गोरखपुर शहर। | ६८ | २८–१०–७१ |
| २० | ,, वृजबिहारी चौधरी जयनरायन | मो० इसमाइलपुर.. गोरखपुर शहर। | ३० | २–२–७२ |
| २१ | ,, दयाशंकर गिरजा शंकर .. | कौड़ीराम, तहसील बांसगांव | ५५–ए | १४–२–७२ |
| २२ | ,, पंचशील सी० सी० स्टोर | गोला तहसील बांसगांव | ८२ | २३–२–७२ |
| २३ | ,, महाबीर प्रसाद अग्रवाल .. | मो० पार्क रोड, गोरखपुर शहर। | ७६ | ९–३–७२ |
| २४ | ,, जगदीश प्रसाद सुरेश कुमार | मो० इसमाइलपुर, गोरखपुर शहर, | ७५ | ९–३–७२ |
| २५ | ,, हरिशंकर त्रिपाठी एण्ड कं० | मो० जटाशंकर पोखरा गोरखपुर शहर। | ९१ | १५–३–७२ |
| २६ | ,, हरगोविन्द प्रसाद .. | मो० दिलजाकपुर, .. गोरखपुर शहर। | ९० | २०–३–७२ |

उत्तर प्रदेश सरकार

## नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ १२४ पर)

### बस्ती जिले के अन्तर्गत नौगढ़ तहसील मे वर्ष १९७०–७१ एवं १९७१–७२ में प्रस्तावित एवं विद्युतीकरण किये गये ग्रामों का विवरण

| प्रस्तावित ग्रामों के नाम | विद्युतीकरण किये गये ग्रामों का नाम | उन ग्रामों की वर्तमान स्थिति जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ |
|---|---|---|
| १—बर्डपुर .. | १—बर्डपुर .. | ५—ककरहवा |
| २—बढ़नी .. | २—बढ़नी .. | ६—रानीगंज |
| ३—मदेहिइया .. | ३—मदेहिइया | इन दोनों गांवों में विद्युत लाइन पहुंच गई है और तार बिछाये जा रहे हैं । |
| ४—शिवपतनगर | ४—शिवपतनगर | |
| ५—ककरहवा .. | (इनमें से प्रथम दो गांवों का विद्युतीकरण वर्ष १७७०–७१ | |
| ६—रानीगंज | में और बाकी दो का १९७१– | |
| ७—तीतरी बुर्जग .. | ७२ में हुआ है ।) .. | ७—तीतरीबुजुर्ग इस ग्राम के विद्युतीकरण हेतु प्राक्कलन स्वीकृत किया जा चुका है परन्तु पर्याप्त प्रतिलाभ प्राप्त न होने के कारण इसका विद्युतीकरण अभी नहीं किया जा सका । |

### नौगढ़ तहसील में नलकूपों के विद्युतीकरण का विवरण १९७०–७१

| क्रम सं० उपभोक्ता का नाम व पता | वर्तमान स्थिति |
|---|---|
| १—श्री बनवारी लाल गुप्ता ग्राम परसा महामात्र | दिनांक ७–३–७२ को कनेक्शन दिया जा चुका है । |
| २—श्री चन्द्र शेखर प्रसाद पांडेय ग्राम तेतरी बुजुर्ग | कनेक्शन लेने के नियम व शर्तों के कागज उपभोक्ता को भेजे जा चुके हैं परन्तु अभी पैसा नहीं जमा हुआ है और अनुबन्ध भी नहीं हुआ है । |
| ३—श्री भानु प्रताप नारायण मिश्र ग्राम सेहुड़ी । | विद्युत लाइन व उपगृह मार्च, १९७१ से तैयार है परन्तु उपभोक्ता ने बोरिंगपूर्ण प्रमाण-पत्र अभी जमा नहीं किया है । |
| ४—श्री उदयभान मिश्र ग्राम सेहुड़ी | तदैव |

| क्रम सं० | उपभोक्ता का नाम व पता | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|
| ५ | श्री रघराज द्विवेदी ग्राम पकड़ी बजार | कनेक्शन लेने के नियम व शर्तों के कागज उपभोक्ता को भेजे जा चुके हैं परन्तु अभी पैसा नहीं जमा हुआ है और अनुबन्ध भी नहीं हुआ है। |
| ६ | शिवशंकर मिश्र ग्राम मधुबनिया | तदैव |
| | | १९७१–७२ |
| १ | श्री शचीन्द्र नाथ शुक्ल ग्राम धासानकर | दिसम्बर, १९७१ में कनेक्शन दिया जा चुक है। |
| २ | श्री लक्ष्मीनरायण ग्राम पकड़ी | तदैव |
| ३ | श्री प्रदीप चन्द्र सिंह ग्राम भगवानपुर | २३–३–७२ को कनेक्शन दिया जा चुका है। |
| ४ | श्री शंकर प्रताप सिंह ग्राम भगवानपुर | २६–३–७२ को कनेक्शन दिया जा चुका है। |
| ५ | श्रीमती रानीशिवकुमारी देवी ग्राम शिवपत नगर | मार्च १९७२ में लाइनें व विद्युत गृह तैयार किये जा चुके थे, कनेक्शन इस वर्ष अप्रैल, १९७२ में दिया जा रहा है। |
| ६ | श्री ईश्वर शरण सामन्त ग्राम शिवपत नगर | तदैव |
| ७ | श्री भी० पी० सिंह शिवपतनगर | तदैव |
| ८ | कु० विजय लक्ष्मी, शिवपतनगर | तदैव |
| ९ | बेनीमाधव सिंह ग्राम धूसरी खुर्द | उपभोक्ता से बी एण्ड एल० फर्म प्रतिक्षित है। |
| १० | श्री बालीकरण सिंह ग्राम चिलिहा | उपभोक्ता को कनेक्शन लेने के नियम व शर्तों के कागज भेजे जा चुके हैं परन्तु उपभोक्ताओं ने अभी पसा जमा नहीं किया है और अनुबन्ध भी नहीं हुआ है। |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२७ पर)

### मार्च तथा अप्रैल, १९७२ में प्रति मास आबंटित चीनी की मात्रा मी० टनों में

| क्रम संख्या | जिले का नाम | मार्च, अप्रल |
|---|---|---|
| १ | बिजनौर | ४७० |
| २ | मुरादाबाद | ७६० |
| ३ | बदायूं | ३९३ |
| ४ | रामपुर | ३६८ |
| ५ | बरेली | ६४० |
| ६ | पीलीभीत | २०० |
| ७ | शाहजहांपुर | ३५६ |
| ८ | देहरादून | ३८० |
| ९ | सहारनपुर | ७६८ |
| १० | मुजफ्फरनगर | ५१७ |
| ११ | मेरठ | १,२६० |
| १२ | बुलन्दशहर | ५५० |
| १३ | मथुरा | ४१४ |
| १४ | अलीगढ़ | ७०० |
| १५ | आगरा | १,०९७ |
| १६ | एटा | ३५० |
| १७ | मैनपुरी | ३०० |
| १८ | फर्रुखाबाद | ३८७ |
| १९ | इटावा | ३९३ |
| २० | कानपुर | १,५२८ |
| २१ | फतेहपुर | २४२ |
| २२ | इलाहाबाद | ९९५ |
| २३ | झांसी | ४५१ |
| २४ | जालौन | २२३ |
| २५ | हमीरपुर | २२८ |
| २६ | बांदा | २५९ |
| २७ | खीरी | २९८ |
| २८ | सीतापुर | ४३२ |
| २९ | हरदोई | ३६० |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| क्रम संख्या | जिले का नाम | मार्च, अप्रैल |
|---|---|---|
| ३०—उन्नाव | .. .. .. .. | २५६ |
| ३१—लखनऊ | .. .. .. .. | १,१२० |
| ३२—रायबरेली | .. .. .. .. | २८० |
| ३३—बाराबंकी | .. .. .. .. | ३०१ |
| ३४—बहराइच | .. .. .. .. | ३०८ |
| ३५—गोंडा | .. .. .. .. | ४४६ |
| ३६—फैजाबाद | .. .. .. .. | ४०१ |
| ३७—सुलतानपुर | .. .. .. .. | २५७ |
| ३८—प्रतापगढ़ | .. .. .. .. | २४० |
| ३९—बस्ती.. | .. . .. .. | ५७५ |
| ४०—गोरखपुर | .. .. .. .. | ६९८ |
| ४१—आजमगढ़ | .. .. .. .. | ४२० |
| ४२—देवरिया | .. .. .. .. | ५०२ |
| ४३—जौनपुर | .. .. .. .. | ३९० |
| ४४—बलिया | .. .. .. .. | ३२८ |
| ४५—गाजीपुर | .. .. .. .. | ३०० |
| ४६—वाराणसी | .. .. .. .. | १,०६० |
| ४७—मिर्जापुर | .. .. .. .. | ४१७ |
| ४८—उत्तर काशी | .. .. .. .. | ५७ |
| ४९—चमोली | .. .. .. .. | १०६ |
| ५०—पीलीभीत | .. .. .. .. | १०७ |
| ५१—टेहरी गढ़वाल | .. . .. .. | १४६ |
| ५२—अल्मोड़ा | .. .. .. .. | २५९ |
| ५३—गढ़वाल | .. .. .. .. | २३९ |
| ५४—नैनीताल | .. .. .. .. | ३९१ |

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ५५ एल० ए०—१९७३—८४५ (मैग०) ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश